C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXXII, Thirteenth Session, 2013/1934 (Saka)
No. 16, Friday, March 15, 2013/Phalguna 24, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No.261	5-11
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.262 to 280	12-81
Unstarred Question Nos.2991 to 3220	82-618

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **619-625**

PARLIAMENTARY COMMITTEES (OTHER THAN FINANCIAL AND DRSCs) SUMMARY OF WORK **625**

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Water Resources on review of Central Soil and Material Research Station, pertaining to the Ministry of Water Resources

Shri Harish Rawat **626**

BUSINESS OF THE HOUSE **627-630**

Shri Paban Singh Ghatowar

MOTION RE: FORTY-SIXTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **631**

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re:Reported notification making English compulsory in UPSC Civil Services Examinaton **632-653**

(ii) Re: Reported Resolution passed by National Assembly of Pakistan condemning India for hanging Afzal Guru **654**

RESOLUTION RE: REJECTING THE RESOLUTION PASSED BY THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN ABOUT INTERFERING IN THE INTERNAL AFFAIRS OF INDIA **655**

JHARKHAND BUDGET(2013-14) – GENERAL DISCUSSION 659-703
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT(JHARKHAND), 2013-14
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (JHARKHAND) , 2012-13

Shri Nishikant Dubey	665-675
Shri Jagdambika Pal	676-681
Shri Shailendra Kumar	682-684
Shri Bhudeo Choudhary	685-687
Shri Pulin Bihari Baske	688-689
Shri Bhartruhari Mahtab	690-691
Shri Kameshwar Baitha	692-694
Shri Inder Singh Namdhari	695-698
Shri Ajay Kumar	699-700
Shri P. Chidambaram	701-702

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Competency of Parliament to enact Appropriation Bills authorizing appropriation for full year in relation to State 662

JHARKHAND APPROPRIATION BILL,2013 708-709

Motion to introduce	708
Motion to consider	708
Clauses 2, 3 and 1	709
Motion to Pass	709

JHARKHAND APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2013 710-711

Motion to introduce	710
Motion to consider	710
Clauses 2, 3 and 1	711
Motion to Pass	711

MOTION RE: THIRY-SECOND REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS		**712**
PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS		
(i)	**Formulation of an Action Plan to rehabilitate persons displaced from Pakistan**	**712-736**
	Shri Rajendra Agrawal	712-716
	Prof. Saugata Roy	717-718
	Shri Mahendrasinh P. Chauhan	719-720
	Shri Satpal Maharaj	721-722
	Shri Ashok Tanwar	723
	Shri Mullapally Ramachandran	724-729
	Shri Arjun Ram Meghwal	730-736
	Resolution -- Negatived	736
(ii)	**Steps to control rise in prices of essential commodities**	**737-765**
	Shri Mahendra Kumar Roy	738-744
	Shri Mahendrasinh P. Chauhan	745-747
	Shri Satpal Maharaj	748-750
	Shri Shailendra Kumar	751-754
	Prof. Saugata Roy	755-759
	Shri Jagdambika Pal	760-763
	Shri Bhartruhari Mahtab	764-765

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 781

Member-wise Index to Unstarred Questions 782-786

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 787

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 788

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 15, 2013/Phalguna 24, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

… (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, अंगेजी को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। ...(व्यवधान) यह गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

11.0½ hrs.

At this stage,Shri Lalu Prasad, Shri Dharmendra Yadavand some other other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। इसे 12 बजे कर लेंगे।

…(व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri R. Thamaraiselvan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए, उसके बाद जीरो आवर में इस मामले को लेंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.30 a.m.

11.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till
Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

11.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Minutes past Eleven of the Clock.

(Shri P. C. Chacko *in the Chair*)

श्री लालू प्रसाद (सारण): यूपीएससी से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाए...(व्यवधान)

11.30½ hrs.

At this stage, Shri Lalu Prasad, Shri Dharmendra Yadav, Shri Chandrakant Khaire, Shri Hansraj G. Ahir and some other hon. Members came and stood on the Floor near the Table.

MR. CHAIRMAN: Please wait. Please go back to your seats. We will take it up after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please go back. Mr. Lalu, the Government will respond. Please listen to me. You go back to your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The Government will respond to your query that you have raised. But you have to go back to your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We will start the Question Hour.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you all go back to your seats, then the Government will respond.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय: आपको रिस्पाँस मिलेगा। आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

...(व्यवधान)

<u>11.32 hrs</u>

At this stage, Shri R. Thamaraiselvan and some other hon. Members came and stood on the Floor near the Table.

MR. CHAIRMAN: Please go back to your seats. We will now take up the Question Hour. Q. No. 261

… (*Interruptions*)

11.32½hrs

MR, CHAIRMAN:Q.No.261, Shri Ravneet Singh.

(Q. No. 261)

SHRI RAVNEET SINGH: Respected Chairman, Sir, although the UPA Government has made remarkable efforts, but the expansion of banks in the rural areas is much lower, which is a matter of grave concern. … (*Interruptions*) Lack of access to the banking facilities is one of the main hurdles in the implementation of the Government's Direct Benefit Transfer Scheme. … (*Interruptions*)

I would like to ask this from the hon. Union Minister of Finance. Does the Government have any plan to provide banking facilities to the people through its 1.5 lakh Post Offices, which are already in the process of money transactions? … (*Interruptions*) As they can render cost-effective banking services, there is no need for them to set up new infrastructure. … (*Interruptions*)

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Sir, the Department of Posts has a huge network in the country, and the number of Post Offices in the country is 1,50,000. … (*Interruptions*) The Department of Posts has launched a Core Banking Solution (CBS) that aims to bring in facilities of ATM banking, internet banking, mobile banking and phone banking to the Post Office Savings Bank customers. … (*Interruptions*) Sir, the process is on for Core Banking and will be rolled out by the end of this year. … (*Interruptions*) The Detailed Project Report is also been prepared for setting up of a Post Bank of India, and it can only become operational after the Reserve Bank of India (RBI) gives a license. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All of you will get time to raise the issue, and the Government will respond to it.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You can go back to your seats and raise the issue, and you will get the response from the Government.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11.35 hrs

The Lok Sabha then adjourned
till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri P. C. Chacko *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

12.0¼ hrs

At this stage, Shri Lalu Prasad and some other hon. Members came and stood on the Floor near the Table.

12.0½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN : Now, Papers to be laid on the Table. Shri S. Gandhiselvan.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): On behalf of Shri Ghulam Nabi Azad, I beg to lay on the Table –

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT8631/15/13)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 8632/15/13)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 8633/15/13)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 8634/15/13)

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 8635/15/13)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 8636/15/13)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Finance for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 8637/15/13)

(ii) Detailed Demands for Grants of the Parliament, Secretariats of the President and Vice-President for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 8638/15/13)

(iii) Outcome Budget of the Ministry of Finance for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 8639/15/13)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small Industries Development Bank of India, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Industries Development Bank of India, Mumbai, for the year 2011-2012.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 8640/15/13)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.99(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2013 together with an explanatory memorandum providing for usage of the Post Export EPCG Duty Credit Scrips (0% EPCG variant)

granted under Para 5.11 of the Foreign Trade Policy 2009-2014 for import of goods.

(ii) G.S.R.100(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2013 together with an explanatory memorandum providing for usage of the Post Export EPCG Duty Credit Scrips (3% EPCG variant) granted under Para 5.11 of the Foreign Trade Policy 2009-2014 for import of goods.

(iii) G.S.R.106(E) published in Gazette of India dated 19th February, 2013 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the two Notifications, mentioned therein.

(iv) G.S.R.114(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2013 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/1996-Cus., dated 23rd July, 1996.

(v) G.S.R.79(E) published in Gazette of India dated 13th February, 2013 together with an explanatory memorandum implementing the Export Promotion Capital Goods scheme of the Foreign Trade Policy 2009-2014 and the amendment specifying the conditions subject to which catalysts for one subsequent charge shall be allowed to be imported under the customs notifications relating to EPCG scheme.

(vi) G.S.R.86(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2013 together with an explanatory memorandum including Visakhapatnam Airport in the list of ports from where imports and exports are permitted under the customs notifications issued for implementing the Export Promotion Schemes.

(Placed in Library, See No. LT 8641/15/13)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/22/5429 in Gazette of India dated 19th November, 2012.

(ii) The Securities Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455 in Gazette of India dated 11th December, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 8642/15/13)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) The Assam Gramin Vikash Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 294 in Gazette of India dated 6th November, 2010.

(ii) The Ballia-Etawah Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. F. No. H.O./2011/10/PRS/1086 in Gazette of India dated 5th November, 2011.

(iii) The North Malabar Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. 5122/F-93/PAIRD/2010 in Gazette of India dated 13th September, 2010.

(8) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 8643/15/13)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.113(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2013 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 64/95-C.E. dated 16th March, 1995.

(ii) G.S.R.101(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2013 together with an explanatory memorandum providing for usage of the Post Export EPCG Duty Credit Scrips (0% EPCG variant) granted under para 5.11 of the Foreign Trade Policy 2009-2014.

(iii) G.S.R.102(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2013 together with an explanatory memorandum providing for usage of the Post Export EPCG Duty Credit Scrips (3% EPCG variant) granted under para 5.11 of the Foreign Trade Policy 2009-2014.

(Placed in Library, See No. LT 8644/15/13)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 8645/15/13)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the

year 2011-2012, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2011-2012.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 8646/15/13)

(5) A copy of the Drugs and Cosmetics (5th Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 844(E) in Gazette of India dated 26th November, 2012, together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.105(E) dated 19th February, 2013 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 8647/15/13)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2011-2012.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 8648/15/13)

… (*Interruptions*)

12.03 hrs

PARLIAMENTARY COMMITTEES (OTHER THAN FINANCIAL AND DRSCs) - SUMMARY OF WORK *

SECRETARY-GENERAL : Sir, I beg to lay on the Table the Hindi and English versions of the 'Parliamentary Committees (Other than Financial and DRSCs) - Summary of Work (1st June, 2010 to 31st May, 2011)'.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 8649/15/13.

12.03½ hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of the implementation of the recommendations contained in the 11th report of the Standing Committee on Water Resources on the review of Central Soil and Material Research Station, pertaining to the Ministry of Water Resources*

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI HARISH RAWAT): Sir, I beg to lay the statement on the status of implementation of recommendations contained in the Eleventh Report of Standing Committee on Water Resources in pursuance of Direction 73 A of the hon. Speaker. Lok Sabha. … (*Interruptions*)

I would like to inform for the benefit of the hon. Members of the House that the 11th Report of the Standing Committee of the 15th Lok Sabha on Water Resources on Review of Central Soil and Material Research Station was presented to Lok Sabha on 27th March, 2012. The Report contained 13 recommendations. Action Taken Notes on these recommendations as prevailing in June, 2012 were sent by the Ministry of Water Resources to the Standing Committee on Water Resources in the month of June, 2012. The Report of Standing Committee (11th Report) has been presented on the table of Lok Sabha on 27th Nov., 2012. … (*Interruptions*)

The present status of the implementation of various recommendations made by the committee is indicated in the Annexure to my Statement which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the Houses to read out all the contents of this Annexure. I would request that this may be considered as read. … (*Interruptions*)

---

* Placed in Library. See No. LT 8650/15/13.

12.04 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 18th of March, 2013, will consist of :-

1. Consideration of any item of the Government Business carried over from today's order paper.
2. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Securities and Exchange of Board of India (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 1 of 2013) and consideration and passing of the Securities and Exchange of Board of India (Amendment) Bill, 2013, as passed by Rajya Sabha.
3. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 3 of 2013) and consideration and passing of the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013.
4. Consideration and passing of the following Bills: -

   (a) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012;
   (b) The National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010; and
   (c) The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill, 2010.

5. Further consideration and passing of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2012, as passed by Rajya Sabha.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, Submissions to the Statement.

… (*Interruptions*)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा(गुजरात) के त्वरित विकास हेतु उद्योगों की स्थापना की जाए।

(2) कृषि की सिंचाई हेतु पानी की समुचित व्यवस्था की जाए।

MR. CHAIRMAN: Sk. Saidul Haque -- not present.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jai Prakash Agarwal -- not present.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश अग्रवाल - उपस्थित नहीं।

श्री ए.टी. नाना पाटील।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

(1) पिछले दो सालों से जलगांव एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद भी आज तक उस पर कोई एयरलाइन सेवा या कार्गो सेवा नहीं देने से वहां की जनता में असंतोष है। यह देखते हुए उनहें तत्काल एयरलाइन सेवा और कार्गो सेवा शुरू करने के लिए सरकार निर्देश जारी करे।

(2) महाराष्ट्र में एनएच-6 धुले-अमरावती 2500 करोड़ रुपयों का टेंडर 6 जून, 2012 को मंजूर हो कर एग्रीमेंट भी हुआ है। लेकिन अभी तक कार्य आरम्भ आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च करके गुमराह किया जा रहा है।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

(1) गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना पर नर्मदा डैम की ऊंचाई 121 मीटर से बढ़ा कर 138 मीटर तक करने का फैसला शीघ्र लिया जाए।

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

(1) महाराष्ट्र राज्य के उत्तर महाराष्ट्र के लिए स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडल की स्थापना करने हेतु राज्य घटना के अनुच्छेद 371 (2) (अ) में संशोधन करने की आवश्यकता।

(2) महाराष्ट्र राज्य के धनगर समाज को अनुसूचित जाति की सूची में समाविष्ट करने हेतु राज्य घटना के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की आवश्यकता।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

(1) देश की सर्वोच्च व निचली प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

(2) देश के पिछड़े जिलों में जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी वाले इलाकों के समग्र विकास, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की व्यवस्था कराई जाए।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I would request that the following items be included in the next week's business:-

(i) Need to review the decision to authorize oil market companies to sell diesel at market determined price to all consumers including State Transport Corporations taking bulk supplies.

(ii) Need to constitute Cauvery Water Management Board and Cauvery Water Regulation Committee.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

(1) एयरपोर्टों पर सामान की चैकिंग के लिए एयरपोर्ट में प्रवेश द्वार के बाहर चैकिंग पोस्ट की आवश्यकता है।

(2) धार्मिक आस्था के कारण धार्मिक आयोजनों में अत्यधिक भीड़ होने पर भगदड़ मच जाती जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

(1) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके कार्यान्वयन की समीक्षा एवं मूल्यांकन तथा उसमें गतिशीलता लाने के लिए सदन में चर्चा की जाए।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के प्रथम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई है। उस पर सदन में चर्चा की जाए।

MR. CHAIRMAN: Prof. Sk. Saidul Haque.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): I would request that the following items be included in the next week's business:-

(i) Need to establish a Central Agricultural University at Burdwan, West Bengal in collaboration with thee State Government.

(ii) Need to construct a new dam in Damodar Valley Corporation Project at Bolpahari, Jharkhand.

12.10 hrs

MOTION RE: FORTY SIXTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): On behalf of Shri Kamal Nath, I beg to move:

> "That this House do agree with the Forty-sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14th March 2013."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Forty-sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14th March 2013."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please go back.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please go back to your seats. I will allow all the Members who have given notice to speak. Lalu Ji, you can speak.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Lalu ji, you can speak now. Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at12.30 p.m.

12.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

SUBMISSION BY MEMBERS
Re: Reported Notification making English compulsory in UPSC Civil Services Examinations

MR. CHAIRMAN: Now we will take up 'Zero Hour'. Shri Lalu Prasad ji.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have called Shri Lalu Prasad ji.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : बैठिए।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन में अंग्रेजी जानने वाले लोगों द्वारा कान्सपिरेसी हुई है। पूरे भारत के गांवों से बच्चे देशी भाषाओं के रहते आईएएस और आईपीएस की परीक्षा देते थे। हमने, हमारे पुरखों ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है।.(व्यवधान).. जितनी भी रीजनल भाषाएं हैं, उन्हें दरकिनार करके, हिंदी को दरकिनार करके 100 नंबर का अंग्रेजी का पेपर इन्सर्ट किया है। सारे देश की रीजनल भाषाओं और हिंदी जानने वाले गांव के बच्चों के लिए साजिश के तहत ऐसा किया गया है कि जो अंग्रेजी का 100 नंबर का पेपर पास नहीं करेगा, वह मेरिट में इन्कलूड नहीं होगा। शुरु से ही मंडल कमीशन का दबाव हम लोगों पर पड़ा, क्रीमी लेयर बनाकर पक्षपात किया गया। यही नहीं नॉट फाउंड स्यूटेबल, नॉट टर्न अप किया गया। मेरिट में जो बच्चे बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उन्हें आरक्षण कोटा में रखा जाता है। यह गंभीर साजिश हुई है। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, एसपी पार्टी के शैलेन्द्र जी और तमाम सदस्यों ने भी दिया है। हम कहना चाहते हैं कि देश में हिंदी की उपेक्षा, इन्सल्ट कैसे की? यह राष्ट्र का अपमान है। इसे रोल बैक कीजिए। इससे पहले जो व्यवस्था थी, उसे कायम करने का सरकार का मैसेज जाना चाहिए। यह ठीक है कि कांस्टीट्यूशनल बॉडी है। लेकिन कांस्टीट्यूशनल बॉडी सरकार से बाहर नहीं है, संसद से बाहर नहीं है। देश में लोगों को काफी

गुस्सा है। तमाम दल के लोगों ने दल से अलग हटकर भाषा के सवाल को रखा है। जिस भी अधिकारी ने कांस्पीरेसी की है, उन्हें चिह्नित करके दंडित किया जाना चाहिए।

महोदय, शायद वे समझ रहे हैं कि यह देश उनका है। यह देश पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी और हिंदी रीजनल भाषाओं को जानने वालों का है। हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हम ज्यादा भाषण करना नहीं चाहते हैं। सब सदस्यों की बात सुनने के बाद इसे रोल बैक कीजिए, हटाइए, पहले जो स्टेट्स था उसे कायम कीजिए। इस तरह का साहस हरगिज नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। हम सरकार से ठोस जवाब चाहते हैं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): महोदय, मैं अपने आपको इस मुद्दे के साथ संबंद्ध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I will call you later. You will be called. Shri Gopi Nath Munde ji.

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदय, आज सदन में यह मुद्दा उठा है। यूपीएससी में भारतीय भाषा और देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में परीक्षा होती थी लेकिन अब अंग्रेजी भाषा को कम्पलसरी किया गया है। अंग्रेजी के मार्क्स सिलैक्शन में कम्पलसरी जुड़ेंगे इसलिए जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, उन्हें तकलीफ हुई है। देश के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं तमिल, मराठी, कन्नड़, मैथिली, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। इन सभी भाषाओं में स्टूडैन्ट्स परीक्षा देते हैं। ये कौन सा ऐसा फैसला यूपीएससी ने लिया है, जो अंग्रेजी को कम्पलसरी किया और भारतीय भाषाओं को दूर किया। यह सभी भारतीय भाषाओं के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है और जुल्म है। यूपीएससी ने सरकार से कंसल्ट किये बिना ऐसा फैसला किया है। हमारे देश में पिछड़े वर्गों, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदि वर्गों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अंग्रेजी लागू करने से इनके बच्चे आईएएस और आईपीएस नहीं बन पायेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती है। ऐसे बच्चों को आप आईएएस और आईपीएस बनाना नहीं चाहते है। भारतीय भाषाओं को जानने वाले बच्चे आईएएस, आईपीएस और सैंट्रल सर्विसेज में न आ पायें, जानबूझकर इसकी व्यवस्था की गई है। चूंकि एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए सरकार इस फैसले को बदलने में देरी न करे, बल्कि तुरंत इस पर फैसला लेना चाहिए कि जो पुरानी पद्धति थी, जो भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का अधिकार था, इस देश के स्टूडैन्ट्स को वह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अंग्रेजी अनिवार्य करके क्या आप अंग्रेजी की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। अंग्रेज देश छोड़कर चले गये, लेकिन आप अंग्रेजी को हमारे माथे पर कम्पलसरी क्यों कर रहे हो। आपने अंग्रेजी को कम्पलसरी किया है, उसके मार्क्स

भी फाइनल लिस्ट में जोड़े जायेंगे और अंग्रेजी के मार्क्स को वेटेज दिया जायेगा और इस वेटेज के कारण ग्रामीण, आदिवासी, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदि वर्गों के बच्चे इस परीक्षा में सिलैक्ट नहीं हों पायेंगे। यह इनजस्टिस विद भारतीय भाषा है, यह इनजस्टिस विद बैकवर्ड क्लासेज है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेजी के बारे में जो फैसला यूपीएससी ने लिया है, वह एक इंडिपेन्डेन्ट बॉडी है, यह हम जानते हैं। लेकिन सरकार इसमें पहल कर सकती है, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और संसद भी हस्तक्षेप कर सकती है। संसद से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी संस्था संसद को आन्सरेबल है। पार्लियामैन्ट सुप्रीम है।

इसलिए मेरी मांग है कि यूपीएससी द्वारा किये गये फैसले के बारे में सरकार जल्द से जल्द संसद को अवगत कराये और को आश्वासन दे कि यह फैसला वापस लिया जायेगा, ऐसा आश्वासन हम आपसे चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, यह विषय मैं पहले भी शून्यकाल में उठा चुका हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shivarama Gowda, Shri Hansraj G. Ahir, Shri Rakesh Singh, Shri Mahendrasinh P.Chauhan and Dr. Kirit Premjibhai Solanki are allowed to associate themselves with Shri Gopinath Munde on this issue. ...(व्यवधान) सबको अवसर मिलेगा।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): सर, मैं तेलुगु में बोलना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध होगी।...(व्यवधान) मैं अंग्रेजी, हिन्दी और तेलुगु में बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : ऑर्डर प्लीज, आप मैम्बर की बात सुनिये।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: जैसे आप हिन्दी को चाहते हैं, वैसे ही हम...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज, चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : महोदय, मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जैसे आप लोग हिंदी को चाहते हैं, वैसे ही हम लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाओं को चाहते हैं। इसीलिए भाषा को मदर टंग बोलते हैं। भाषा को मदर टंग इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वह मां समान होती है। मां के भीतर भगवान है, इसलिए मां भगवान है। इसलिए भाषा को मदर टंग बोलते हैं।

अभी जो यूपीएससी एग्जाम के बारे में हमने देखा है, यह बदलाव किसी के लिए अच्छा नहीं है। हमें ऐसी थिंकिंग में कभी नहीं पड़ना है कि अंग्रेजी जानने वाले लोग बाकी लोगों से बड़े हैं, यह ठीक नहीं है। अंग्रेजी जानना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी जानना ही क्वालिफिकेशन नहीं बनना चाहिए।

उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कामराज नाडार जी थे, जिन्हें भारत का सबसे इन्टेलेक्चुअल पोलिटीशियन माना जाता था। पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ, जब भी क्राइसेस होता था तो वह कामराज नाडार से सम्पर्क करते थे। यह हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से कामराज नाडार जी को तमिल के सिवाय और कोई भाषा नहीं आती थी और वे इसके अलावा कभी किसी भाषा में बात नहीं करते थे। हमारी राजनीति में भी बहुत से इन्टेलेक्चुअल लोग हैं, जिनका भाषा पर भले ही कमांड न हो, वे सिर्फ अपनी मदर टंग ही जानते हैं। मगर उनकी इंटलेक्चुअल उससे नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए मैं इस सभा और सरकार से अपील कर रहा हूँ कि तेलुगू भाषाओं में यूपीएससी के जो एक्ज़ाम्स हो रहे थे, उन्हें वैसे ही करवाइए। जैसा था वैसे ही करवाइए। इंग्लिश को किसी अन्य भाषा से ज्यादा बढ़ावा दे कर, उसे उन्नत स्थान देने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश रहने की बहुत जरूरत है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिशन को रखना है, मगर इंग्लिश को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। अन्य भाषाओं को समान श्रद्धा देने की जरूरत है।

MR. CHAIRMAN : Shri Ramasubbu is allowed to associate with the matter raised by Shri Aruna Kumar Vundavalli.

Shri Dharmendra Yadav.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं, उनको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से निकालने का जो निर्णय लिया गया है, यह बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी कोई निर्णय नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, यह कोई मामूली निर्णय नहीं है। हमारी संविधान सभा से जुड़े हुए लोग और स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा दे-दे कर, हमारे संविधान की रक्षा करने का निर्णय लिया था। नारे दिए थे - लोहिया जी की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। इन सभी भावनाओं से हमने देश का संविधान बनाया। संविधान बनाने के लिए, भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए, हम कभी अकेले हिंदी की बात नहीं करते हैं। हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। उसकी रक्षा के लिए, इसी सदन ने राजभाषा अधिनियम बनाया। राजभाषा अधिनियम बनाने के बाद राजभाषा समिति बनाई। सभी राष्ट्रीय कार्यालयों की जांच के लिए समिति बनाई। सरकार करोड़ों रूपये खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर, जिस तरह का यह कानून बनाया है, यूपीएससी से निकले जो अधिकारी होंगे, अगर वे केवल अंग्रेजी जानने वाले होंगे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे हमारी भारतीय भाषाओं की रक्षा कैसे कर लेंगे? एक नहीं अनेक अत्याचार होते हैं, एक नहीं अनेक शोषण होते हैं। पहले हमारी दोहरी पढ़ाई के माध्यम से शोषण, फिर अगर गांव-गरीब के लड़के किसी तरह अपनी क्षमता से अगर देश की सेवाओं में आ जाते हैं तो फिर से शोषण होता है। यह कोई मामूली

शोषण नहीं है। हिंदी और भारतीय भाषाओं को केवल हटाया ही नहीं गया है, केवल अंग्रेजी को कंपलसरी ही नहीं किया गया है, बल्कि आप सब को जान कर आश्चर्य होगा कि उसमें जो निबंध का पेपर होता है, उस निबंध के पेपर और अंग्रेजी के पेपर को जोड़ दिया गया है। जिस छात्र की अंग्रेजी कमज़ोर होगी, उसका निबंध का पेपर भी कमज़ोर पड़ जाएगा। एक ही पेपर है। दो सौ नंबर का निबंध का पेपर और सौ नंबर का अंग्रेजी का पेपर है। जब वे दोनों एक ही हो गए, तो तीन सौ नंबर से आपने पहले ही पीछे कर दिया। देश के अंदर कितने षडयंत्र करोगे?

सभापति महोदय, षडयंत्र करने वाले कौन लोग हैं? पूरे सदन को इस पर सोचना पड़ेगा। यह केवल प्रतियोगी छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय नहीं है। देश के अंदर हम बड़ा संकल्प लेते हैं कि हमारे देश के 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, यह देश के 80 फीसदी लोगों को देश की तमाम मुख्यधाराओं से दूर करने का षडयंत्र है। क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं। अरूण जी बोल रहे थे। हम अपनी सारी भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। सभापति जी, हम यह अपील करते हैं कि हिंदी की बजाय अगर हटाने का संकल्प लेना है तो अंग्रेजी को हटाने का संकल्प यह सदन पारित करे, जिससे हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का संविधान बढ़ सके।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please be brief on this. Shri Sharad Yadav.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, इस सवाल ने देश भर को बेचैन किया है। भारतीय भाषाओं के सभी बच्चे बड़ी संख्या में मुझ से मिलते रहे हैं। आज सदन में इस मुद्दे को जिन लोगों ने उठाया है, मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ। यह भारतीय भाषाओं का सवाल है। एक बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान सदियों से पीछे है, इसमें बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी का है। आदमी का चिंतन उसकी मातृभाषा में होता है। भोजपुरी हो या चाहे मैथिली हो सभी माँ की बोलियां हैं। सारी दुनिया में भाषाओं का अलग-अलग किस्म से एवल्युशन हुआ है। मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य जिस बात को कह चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ।

चिदम्बरम साहब, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब से यूपीएससी में नये अध्यक्ष बने हैं, इनकी यह लगातार कोशिश रही है। आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड क्लास के लोग ग्रुप ए में कुल 4.3 परसेंट हैं, कौन हाथ है, जो यह कैंची चला रहे हैं, आप देते हैं और लोग कैंची चलाते हैं। यह मामला गंभीर है, इसे सिर्फ सुधारने की जरूरत नहीं है, जैसा लोगों ने कहा, इस आदमी को यूपीएससी से, यदि आप नहीं कर सकते, यह संवैधानिक संस्था है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले दिन से उस आदमी ने यह काम किया है, यह ऐसा अंग्रेजी का मुरीद आदमी है, इसने सारी भारतीय भाषाओं को तबाह कर दिया है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप उससे कहिये, उसे बर्खास्त कीजिए या इम्पीचमेंट करने के लिए यहां

आइये, जिससे आगे आने वाला कोई आदमी इस तरह की हरकत न करे। यदि आपने इसे ठीक नहीं किया, इस आदमी का माथा ठीक नहीं किया तो हम इम्पीचमेंट लायेंगे। आप इसमें सब ब्यूरोक्रेट्स लोगों को बिठाते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। आपने तो कास्ट सेंसस के बारे में यहां आश्वासन दिया था, यहां प्रणब बाबू नेता थे, उसका क्या हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 80 फीसदी लोगों के साथ अन्याय की उम्र बहुत बढ़ गयी है। यह ऐसा अन्याय हुआ है कि पूरे देश में जो भाषायी स्कूल हैं, उनके बच्चों के रोजगार खत्म हो गये। एक ठिकाना यह बचा था, इस ठिकाने को भी इन लोगों ने बन्द करने का काम किया, इसका षड़यंत्र किया। इन षड़यंत्रकारियों को सजा होनी चाहिए और आप सजा न दे सकें तो यहां इम्पीचमेंट लाना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is a very important subject, but please be moderate in your expression; please do not compel the Chair to remove anything that you are saying.

Shri T.K.S. Elangovan.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, *Vanakkam*. Although I wanted to speak in Tamil yet due to non-availability of Tamil Interpreter I am compelled to speak in English.

Sir, the UPSC examinations were going on smoothly during the last year and the earlier years. What is the necessity to change the system now? Who has authorized the UPSC to change the system mid-way? We cannot accept authoritarian act of the UPSC. The UPSC may be a constitutional body, but these things are related to the people. English is not an official language; English is a link language.

We have regional languages in the States; in my State, Tamil is the official language. Every State has its own official language. English is neither an official language of the state nor of the nation. It is only a link language. When the link language can take such importance in the official duties of the country, what will happen to the regional languages? We have been demanding that the official languages of all the States should be made the official languages of this country.

Under these circumstances, if we allow English to take control of the UPSC and other examinations, then we have no other escape and we will be bound by English. As the other leaders were telling, we will become, once again, slaves to English.

It was the wish of our leader, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi and he had been demanding that all the regional languages should be made official languages of this country.

So, UPSC should be immediately asked not to follow this new procedure. With these words, I say that it should go back, revert and the *status quo* should be maintained.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति जी, हमारे देश के अलग-अलग प्रांतों की अलग-अलग भाषाएँ हैं। हम लोगों को इस सदन में पिछले दिनों बार-बार यह मांग करनी पड़ी जब हमने देखा कि आंचलिक भाषाओं पर आक्रमण हो रहा है। परिवर्तन हुआ, सरकार ने नीति बदली कि अपनी भाषा में यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। यह जो अधिकार हमारे देश के नौजवानों को मिला, उसके लिए हमें सदन के अंदर और सदन के बाहर लड़ाई करनी पड़ी। तब सरकार के ऊपर दबाव डालकर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, ऐसी नीति अपनानी पड़ी। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सरकार की एक नीति है, लेकिन नारायणसामी बोलेंगे कि सरकार की क्या नीति है। एक बार नहीं कई बार सरकार ने बताया है कि यह नीति है कि अपनी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन सरकार की इस नीति के विरोध में ...(व्यवधान) यह संवैधानिक अधिकार है हमारे देश के लोगों को कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। यह अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिया गया। आज यह अधिकार छीना जा रहा है। हम कहेंगे कि यूपीएससी का यह जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर है, इसके द्वारा हमारे देश के नागरिकों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनके अधिकार पर हमला हो रहा है, ...(व्यवधान) इसलिए हम चिन्तित हैं। हम मांग करेंगे कि इस सदन में सरकार बताए कि यह जो सर्कुलर जारी हुआ है, उसके द्वारा जो संवैधानिक अधिकार पर हमला हुआ है, उस सर्कुलर को तत्काल वापस लें और कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा आश्वासन यह सरकार इस सदन में दे।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): The 5th March, 2013 Circular of the UPSC is indeed something very sad. We know, those who know, under the able leadership of Jawahar Lal Nehru ji there was a strong move to put

pressure and see that Hindi becomes the sole connecting language in this country. This nation was driven to the brink of virtual splitting up. We all know in the fifties and sixties how the DK Movement gained strength.

When we have this background, and this country has a plethora of languages all of which are rich or maybe even richer than some others, it is indeed sad that the UPSC decided to opt only two languages, English and Hindi as if, if you do not know Hindi you are unfit to call yourself an Indian. This mindset, I am glad, that everybody, starting from big Leaders to small people like me, is united in opposing this move to put one particular Indian language on top of everybody. What made the AIADMK Leader and the hon. Chief Minister of Tamil Nadu to believe in saying that this is a discriminatory notification, we from the Biju Janata Dal heartily support it. Students and applicants must have the scope to write in their own mother tongue, in their own languages whether it is Malayalam, Oriya, Bengali, Gurumukhi, Tamil, Telugu, Marathi or Gujarati. I am talking about Indian languages. I am not talking about those Marine's language or something.

So, it is necessary that this House appreciates the fact that with all Indian languages we have to honour English. I will give one little example. Suppose there is a case in Kerala against one of your workers and the judgement comes in Malayalam and that poor worker has to appeal in the Supreme Court. Imagine what troubles he will face in getting the translation of that judgement. So, English definitely is the connecting language but along with English we must have every other Indian language and not just Hindi. This is my request.

We condemn this UPSC notification dated 5 March, 2013. Apart from this, this House is not aware what other changes they have brought about. But those also should be very well scrutinised. I would request the Government to review this and to withdraw this notification which is specifically highlighting only one north Indian cow belt language. It should take everybody on an equal platform along with English.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आदरणीय लालू जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि हर राज्य की भाषा को महत्व देना चाहिए। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल तक राज किया है। हमने आजादी के 65 साल बाद आज इस बात को इस सदन में उठा रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि हमें इस सदन के माध्यम से उन बच्चों के पीछे खड़े रहकर उन्हें हौसला देना चाहिए कि आप चिंता मत करो, यह पूरी पार्लियामेंट आपके साथ है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यह सर्कूलर निकलने के बाद हमारे महाराष्ट्र के बच्चे हमें पिछले दो-चार दिनों में मिले हैं, सभी दलों के सांसदों को मिले, उन्होंने कहा कि यह हमारे ऊपर अन्याय होगा। ऐसे कितने आईएएस और आईपीएस हैं, जो कहते थे कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकते थे। मैं सदन के माध्यम से विनती करता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाने वाली है, इसके बारे में सदन को बताए ताकि आने वाले भविष्य में यह न हो।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, most of the Members have expressed their views about this UPSC notification.

On 13.03.2013, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written a DO letter to the hon. Prime Minister regarding this issue. I want to quote from that letter. She said:

> "I invite your kind attention to the recent changes notified by the Union Public Service Commission in the scheme of the Civil Services Examination for the year 2013 onwards. These changes are highly discriminatory and appear to be calculated to bias the system against the civil servants aspirants from non-Hindi speaking regions of the country."

She made it very clear and made four points. The first point is that most of the people in rural areas study in their own mother tongue. Afterwards, when they are going for higher education, they are switching over to some other language. In most of the cases, they are switching over to English medium. Just because they studied in English medium, you cannot make them write UPSC examination compulsorily in English language. Till now, our students do have the choice to write the examination in their own mother tongue. They can use Tamil language in the examination.

13.00 hrs.

That option is given. Now students are studying different subjects like mathematics and chemistry in English. But they should be given the right to write the Union Public Service Commission examination in their mother tongue. The second point that is there in the notification is that if a student has not Tamil literature, then he cannot opt for a subject on Tamil literature. That is the second discrimination that is being made. Thirdly, suppose if there are less than 25 students in an examination centre to write an examination in their mother tongue, then the students would not be allowed to write the examination. This is another stipulation that they have made in this regard. Fourthly, there was an option earlier to write the examination in any Indian language. But that provision has now been removed. Now, because of these changes that have been brought about by this notification, the people, particularly students of Tamil Nadu in rural areas have been adversely affected. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has reiterated her claim that this has to be withdrawn. Most people call Hindi as a regional language. But this is wrong. All the languages that are included in the Eighth Schedule of the Constitution are Indian languages. Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu in the year 1993 had passed a Resolution in our party requesting the Central Government to see that Tamil and other Indian languages must be declared as national official language for this country. We fought for our freedom not based on any one language. People speaking different languages like Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi and other languages fought in the freedom struggle. Therefore, we have the right. Last time also we also raised this issue and we demanded that the Parliament should take this matter seriously to see that all languages like Tamil are declared as national official language of this country… (*Interruptions*)

Sir, I wanted to speak in Tamil here, but I could not speak because the interpretation was not available and thus I am speaking in English. Therefore, this kind of discriminatory problem has to be solved. We want interpretation for all

languages here in this House. Therefore, once again I would like to request the Government to withdraw the UPSC notification and see that all languages are included for writing the UPSC examination.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सभापति जी, मैं मानता हूं कि हमारे देश की शक्ति इस की विविधता में है। आज सवाल यह है कि क्या हम उस विविधता को संरक्षण देना चाहते हैं या उसे समाप्त करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि भाषा इंसान को समाज से जोड़ती है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस में हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमें इंसान बनाने में भाषा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यदि हम धरातल पर जा कर देखेंगे तो जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, वे गांवों की पाठशालाओं में पढ़ कर अपनी जगह मुख्यधारा में बना रहे हैं। मैं अपील करता हूं। मैं सदन की भावना के साथ खड़ा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करेगी और न्याय करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदय, हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भाषा के बारे में इतना प्रेम कैसे है, यह हम नहीं जानते, बहुत ज्यादा प्रेम है। सिर्फ़ प्रेम ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में यह माना जाता है कि आप कितने अच्छे दफ़्तर में हैं, सरकार में हैं, वह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं।...(व्यवधान) चिदंबरम जी जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उस के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है लेकिन हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता की भाषा होनी चाहिए। केवल हिन्दी का सवाल नहीं है। ...(व्यवधान) ये गलत बात बोल रहे हैं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते। मैं हाउस में आप से अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं। सवाल यह नहीं है लेकिन हम आप को एक चीज बोलेंगे कि हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं तब अखबार भी अच्छे से थोड़ा-बहुत छापते हैं लेकिन जब हिन्दी में बोलते हैं तो वे कुछ नहीं लिखते हैं।

सभापति जी, हिन्दी और अंग्रेजी का सवाल नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि जर्मनी में अंग्रेजी है क्या?...(व्यवधान) इटली में अंग्रेजी है क्या? हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में मातृभाषा में हमारी शिक्षा हो जाए। जो भाषा से हम मां को मां बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं, वही भाषा से हमारे हिन्दुस्तान में शिक्षा होनी चाहिए। यह हिन्दी की बात नहीं है, अंग्रेजी का सवाल नहीं है। आप अंग्रेजी को आवश्यक मत कीजिए, आप इसे ऐच्छिक कीजिए।

हम एक बात लास्ट में बोलना चाहते हैं, हम जानते हैं कि सरकार क्या बोलेगी? चिदम्बरम जी बोलेंगे कि संसद को मानते हुए सरकार कुछ करेगी। आप जानते हैं, हमारे लालू बाबू की इतनी बुलंदियों के बाद सरकार को हिम्मत नहीं, जो है, वही रहेगा, बदल होगा, हम जानते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि यूपीएससी ने जो आदेश दिया, यह आदेश सरकार के साथ बातचीत करके दिया।...(व्यवधान) सरकार के

साथ बातचीत करके नहीं दिया, यह हम जानना चाहते हैं? हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में स्लेबस कहते हैं, कुछ दिन पहले इसके बारे में हमने सवाल उठाया था। हम जानना चाहते हैं कि यूपीएससी जो संगठन है, वह कैसे चलेगा? सरकार के साथ सम्पर्क क्या है, हिन्दुस्तान की जनता के साथ सम्पर्क क्या है? हिन्दुस्तान की जनता के साथ हम अन्याय करते हैं, यह अनकॉस्टीट्यूशनल नहीं है, अन्याय करके हिन्दुस्तान में कोई संगठन नहीं चलेगा। जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इस बात में हम सब एक साथ हैं।

* DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Thank you, Chairman Sir. I would like to speak in Punjabi.

Sir, there are vicious forces in this country who leave no stone unturned to spoil the peace and tranquility prevailing here. They spoil everything. These foreign or Indian forces have played another joke upon the Indians, as is evident from the circular of the UPSC. As demanded by all the hon. Members, these forces must be exposed and stringent action must be taken against those responsible for this mischief.

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

As far as language is concerned, let me remind this august House that after we attained Independence, several states were carved out on the issue of language after agitations. We got the 'Punjabi Suba' only after a long struggle of 15 years. So, all languages in India must be given due regard and accepted by the UPSC. This is the need of the hour so that students belonging to all states and speaking different languages are able to compete on a level playing field in UPSC exams.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): आनर्बेल स्पीकर सर, मादरी जबान के बारे में माहरीन तालीम का और माहरीन नफ़सियात का यह मानना है कि अपनी मातृ जबान जो है, मदर टंग, उसमें आदमी, बच्चे की सलाहयते ज्यादा उजागर होती हैं, उसकी दिमागी सलाहयते ज्यादा ऊंची उड़ान लेती हैं, बजाए इसके कि उसके मुंह में हम जबरदस्ती दूसरी जबान ठोक दें। मैंने देखा कि आजादी की लड़ाई के दौरान अगर अंग्रेज पुलिस वाला हिन्दुस्तानी को गाली देता था, उसे मालूम था कि यह अंग्रेजी में नहीं समझेगा तो हिन्दुस्तानी में वह बात करने की कोशिश करता था। किसी ने कहा है, "जुबाने यारेमन तुर्की, वमिन तुर्की नमिदानम।" मेरे यार की जुबान तुर्की है और मैं तुर्की जबान नहीं जानता, जो जानता हूं, वह अपने ही देश की और अपनी मादरी जबान जानता हूं। लिहाज़ा जो यहां चर्चा हुई है, ये गुलामी की जहनियत है हम में मौजूद, जहां हम सिर्फ यह समझते हैं कि जो अच्छी अंग्रेजी बोले, सारी अक्ल उसी के ठेके में पड़ गई है, सारा अक्ल उसी के ठेके में आ गया है। ये गुलामी की जंग, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिट्रेचर बहुत बड़ी बात है। किसी जुबान के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां जो हिन्दुस्तान की जरूरत है, हिन्दुस्तानियों की जरूरत है, वे मुकामी जुबानें समझने, उसी को पढ़ने-लिखने की जरूरत है। उस जरूरत को मद्देनज़र रखते हुए यह जरूरी है कि जो भी इम्तिहान यू.पी.एस.सी. के हों या दूसरे इम्तिहान हों, वे मुकामी जुबान में, मादरी जुबान में हों, ताकि हमारे बच्चे अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार कर सकें और अपनी काबलियत का लोहा मनवा सकें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, आज हाउस में जो तर्क हुआ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में अंग्रेजी को अलग भाव, अलग वेटेज देने की बात की और अंग्रेजी को आवश्यक किया, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। हमारे संविधान के आठवें शैड्यूल में हमारी सारी भारतीय भाषाओं की तालिका है और यह अधिकार किसी भी भारतीय नागरिक का है कि वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सर्व भारतीय नौकरी के लिए परिक्षाएं होती हैं, वे किसी भी भारतीय भाषा में लिख सकें। हमारी भाषाओं को बहुत लड़ाई के बाद हमारे संविधान में स्वीकृति मिली। बहुत साल के बाद गुलामी की जंजीर से हमारा देश मुक्त हुआ था। आज फिर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देना, ज्यादा बढ़ावा देना ठीक नहीं रहेगा। जैसे कुछ लोग बोले हैं, अंग्रेजी एक भाषा है, जो सीखें, वह अच्छा है, लेकिन भारतवर्ष में नौकरी के लिए भाषा आवश्यक होगी, यह बहुत ही खराब बात है, इसलिए लालू यादव जी ने जो चर्चा शुरू की थी कि इसको वापस लेना चाहिए और यूनियन पब्लिक सर्विस के किस अधिकारी ने यह काम किया, उसको ढूंढकर निकालना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं और उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। मुझे पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान की धारा 319 के अनुसार एक संस्था है, जैसे कम्प्ट्रॉलर एण्ड ऑडीटर जनरल है, जैसे इलैक्शन कमीशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, यह भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह हाउस की जो पूरी सेंस है कि हमारी भारतीय भाषा की मर्यादा, हमारी राजभाषा के साथ-साथ उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और इसका जो उल्लंघन किया, उसकी निन्दा होनी चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): महोदय, सदन में काफी माननीय सदस्यों ने इस पर काफी बातें कही हैं तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात सदन के सामने लाना चाहता हूं कि 1980 से पहले नये सिस्टम को जो रिकमेण्ड कर रहे थे, यह चल रहा था और उस समय अगर देख लिया जायेगा तो वैसे पदाधिकारी आते थे, जो अपने आपको राजा समझते थे और अपने आपको पब्लिक सर्वेंट के रूप में नहीं देखते थे। 1980 के बाद वैसे पदाधिकारी लोग आने लगे, जिनकी जनता के बीच में काम करने की इच्छा थी। इसका छोटा सा उदाहरण है। जैसे कि हम दो साल पहले जब आई.ए.एस. एकेडमी में लैक्चर देने के लिए गये थे तो वहां हमको दो लड़के मिले, एक टाटा प्लांट पुणे में वर्कर की कैटेगरी में था, जो विदेश सेवा में चला गया और एक रामगढ़ का लड़का था, जिनके पिताजी के पास एक पान की दुकान थी। यह नया सिस्टम जो यू.पी.एस.सी. रिकमेण्ड कर रहा है, इसके बाद हम फिर से पुराने 1980 वाले सिस्टम में चले जाएंगे। यह सुनिश्चित कर लेंगे कि गरीब परिवार के बच्चे, जो छोटे शहर से, मुफसिल शहर से जो आते हैं, उनका यू.पी.एस.सी. में पास करना असम्भव होगा। सदन की भावनाओं को रिपीट करते हुए मैं

आपसे अनुरोध करूंगा कि पुराना सिस्टम जो चल रहा था, अभी शैड्यूल एट में जितनी भी भाषाएं हैं, उसको लागू किया जाये। एक और चीज़ जो सभी लोगों ने कही कि यू.पी.एस.सी. के कांस्टीट्यूशनल पोस्ट के बारे में, जो भी यू.पी.एस.सी. के चेयरमैन इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जांच की जाये। एक और चीज़ है कि यू.पी.एस.सी. या जितनी भी संवैधानिक पोस्ट हैं, वे ब्यूरोक्रेट्स का रिटायरमेंट होम बन गयी हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हम जब भी सुनते हैं, कांस्टीट्यूशनल पोस्ट में हम लोगों को जाल थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए ताकि देश में उचित ढंग से सबसे उचित लोगों को सलैक्ट किया जाये। सिर्फ ऐसा न हो कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट्स हैं, उनको ही वापस सिलेक्ट किया जाए।

*SHRI A. GANESHAMURTHY (ERODE): Hon'ble Chairman Sir, I thank you for the opportunity. Now, an issue has been raised. It is a very sensitive issue. Even after India's independence, the nation which we now address as "India", was not united. Many languages, many races and many cultures were united to form the Indian nation. The problem of languages arose later.

Our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru gave an assurance that English will be the link language that will be language of communication till all the regional languages of India became the official language of the country. Sir, now it seems that that assurance has gone with the wind. Now a situation has come that UPSC examinations can be written only in English or in Hindi. The members who spoke here expressed two different kinds of views. Some members expressed that the examination has to be written only in Hindi. And the other view is that all regional languages have to be used for writing examinations.

Sir, we should give the opportunity to the candidates to write the examination in any language of their choice before differences arise among us. The candidates should be allowed to write the examination in any regional

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

language. As spoken by the members here, English is the language of communication. And all the languages that are mentioned in the Eighth schedule of the Constitution of India has to be made the official language of India.

Sir, at this juncture, I would like to point out another important issue. In our House, the interpreter who was interpreting from Tamil to English has retired. After his retirement, one year has passed. No new person was appointed as an interpreter so far. Therefore, I would like to request the Speaker and the Secretary General that an interpreter, exclusive to our House has to be appointed as expeditiously as possible.

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। महात्मा गांधी जी ने आजादी के वक्त नारा दिया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलायी थी, चरखा लेकर गांवों में गए और कहा कि चरखे से सूत कातो और कपड़ा बनाओ। उससे पहले हरिजन की, किसान की, आदिवासी की और पिछडे वर्ग की क्या हालत थी, उसका आज आकलन नहीं कर सकता। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब किसी फौजी की चिट्ठी आती थी, तो गांव में कोई उसको पढ़ने वाला नहीं मिलता था। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। चिट्ठी-पत्र लेकर, जो शहर मे पढ़े-लिखे होते थे उनके पास जाना पड़ता था। आज भी गांवों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 1947 से पहले महात्मा जी ने नारा दिया था, इसके बाद हमारे मुल्क के दो राष्ट्र, तीन राष्ट्र हुए,...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) आप बोलने नहीं दीजिएगा तो मैं बैठ जाता हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ओला जी हमारे आगे यूपीएससी सर्कुलर का एक मुद्दा है, आप उस पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शीश राम ओला: मैं बोलूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये यूपीएससी के कौन महानुभाव हैं जिन्होंने यह सलाह दी है, उसके खिलाफ ऐक्शन हो, कार्रवाई हो। ...(व्यवधान) हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, वह हिन्दी रहे, हमारी प्रांतीय भाषा कायम रहे और क्षेत्रीय भाषा, वे सब कायम रहें। ...(व्यवधान) वर्ष 1947 के पहले अंग्रेजों के पास आईसीएस ऑफिसर्स होते थे। हमारी आजादी के बाद आईएएस ऑफिसर्स कायम हुए। क्या आज गुलामी फिर चाहते हैं? मैं इसके घोर विरोध में हूं, मैं खिलाफ हूं, इसको तत्काल स्वीकृत किया जाए। इस विधेयक को वापस लिया जाए और गांवों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति जी, जो भावनाएं आज सदन में व्यक्त की जा रही हैं, निश्चित रूप से देश की जो आंतरिक भावना है उसका उभार है, प्रकटीकरण है। इसलिए मैं वैसे सदस्यों का सम्मान करता हूं जिन्होंने देश की जो भाषाएं हैं उनको महिमामंडित करने के लिए और जैसे कि पुरानी कहावत है कि जब कोई पढ़ा-लिखा भारतीय गुस्से में आता है तो अंग्रेजी बोलता है। मुझे लगता है कि यूपीए थोड़ा गुस्से में आई है और इसने कहा कि चलो हम अंग्रेजी की जो वरियता है उसको सिद्ध कर के दिखा देते हैं। यूपीए को यह समझना चाहिए कि देश में गुस्सा नहीं चलेगा। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमें इन द लॉंग रन कोई न कोई एक लिंक भाषा बनानी पड़ेगी। यह ठीक है कि तमील अपनी जगह आगे बढ़े, मलायली, पंजाबी, बंगाली बढ़े, लेकिन एक लिंक भाषा तो चाहिए जिससे हम एक दूसरे के नजदीक आएं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि अगर तमिलनाडु के लोग हिन्दी में लिखते हैं

तो उनको एक्सट्रा वेटेज दिया जाए ताकि उनके दिल में हिन्दी पढ़ने की इच्छा पैदा हो और देश में एक राष्ट्रीय भाषा आगे बढ़ सके, वह पनप सके।

MR. CHAIRMAN : Thank you. We have some more important issues before us. So, Shri Prasanta Kumar Majumdar and Dr. Tarun Mandal may associate themselves with this matter.

Now, the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, I rise to say that there are various languages, religions and cultures in this large nation called India. Every language has a unique place in our society and all are close to our hearts. There are so many mother tongues and they all enjoy constitutional status. So each language should be given due weightage. Even the parliamentary work should also be carried out in regional languages. The circular that has been issued by UPSC recently is highly damaging. Earlier this examination could be taken in regional languages as well. Why only English and Hindi should be accorded more importance? Other regional languages are equally rich and should not be forgotten. We all know that there were two great Indian personalities who had immense impact on world history – one was Mahatma Gandhi and the other was Rabindranath Tagore. Both of them preferred Indian languages. Tagore even received the Nobel Prize for his Gitanjali. So such is the prowess of a mother language. Therefore priorities should be given to all Indian languages and English should not be the only language for UPSC examinations as that will be harmful to the students who wish to appear in these exams and should be allowed to write in their own language.

So I once again urge upon the Government to ensure that the UPSC circular is withdrawn with immediate effect.

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, यूपीएससी ने जो फैसला लिया है, यह गलत है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्हें इसे तुरंत वापिस लेना चाहिए। मेरे दो बिन्दु हैं। यूपीएससी के इस कदम से यह सोच पैदा हो सकती है कि यूपीए सरकार या आईएनसी इंग्लिश से बहुत प्यार करती है, उसे गंभीरता देती है। लेकिन हम जानते हैं कि पंडित नेहरू ने इंडिया में पहले बोला था कि अंग्रेजी हटाओ। वर्ष 1986 में राजीव गांधी जी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, उसमें भी अंग्रेजी की इम्पार्टेंस कम कर दी गई। लेकिन साथ ही देश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल और कालेज चलाए जा रहे हैं। एक इलीट क्लास पैदा हो रही है। इलीट क्लास को सुविधा देने की यूपीएससी की कोई साजिश है। यह ठीक नहीं है।

यदि हम देश की भाषा के विकास और उसके ओरिजन के इतिहास में जाएं, देश के कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं। अंग्रेजी हटाओ और अंग्रेज हटाओ एक चीज नहीं है। कवि गुरु रविन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा था, बंगाली लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज गंगा-जमुना की तरह साथ-साथ चलती रहें तो बंगाली भाषा का विकास होगा। भारत में बंगाली लैंग्वेज सबसे रिचेस्ट है क्योंकि इंग्लिश के सहयोग से उसे उन्नत होने की सुविधा मिली। हर रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश जैसी इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, रिचेस्ट लैंग्वेज के साथ रखकर सबका गुरुत्व बढ़ाना चाहिए, किसी को कम नहीं रखना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। ..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Virender Kashyap, Shri Nishikant Dubey, Shri Anurag Singh Thakur, Shri Rakesh Sachan, Shri Harin Pathak, Shri Rajendrasinh Rana, and Shri Arjun Ram Meghwal are allowed to associate with the issue of UPSC raised by many hon. Members.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने यूपीएससी के नए नोटीफिकेशन के बारे में चर्चा की।...(व्यवधान) आपने जो मुद्दे उठाए, उस बारे में हम यूपीएससी के अधिकारियों को बुलाकर बातचीत करके आपका मन खुश करने के लिए रास्ता निकालेंगे।...(व्यवधान)

13.29 hrs. (Madam Speaker in the Chair)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …**

---

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: मैडम, लालू जी ने तब तक नोटीफिकेशन बंद करने के लिए कहा।...(व्यवधान) मैं अब अंग्रेजी में पढ़ूंगा so that they can understand.

I would like to say that the Government has taken into account all the views expressed by the hon. Members on the recent Notification issued by the Union Public Service Commission. The Government will call a meeting of the UPSC and solve the issue. In the meanwhile, taking into consideration the views expressed by the hon. members, we will keep the Notification in abeyance and the *status quo ante* will be maintained.… (*Interruptions*)

13.30 hrs.

(ii) Re: Reported Resolution passed by National Assembly of Pakistan condemning India for hanging Afzal Guru

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैडम, हमारे देश और इस संसद के ऊपर एक बार फिर हमला हुआ। इस बार का हमला पाकिस्तान की नैशनल असेम्बली की तरफ से हुआ है। …(व्यवधान) क्योंकि कल जब इस नैशनल असेम्बली के कार्यकाल के मात्र दो दिन बचे थे, तब उन्होंने अपनी नैशनल असेम्बली में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसमें उन्होंने भारत की घोर भर्त्सना की है। जम्मू-कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसे उन्होंने फिर हथियाने के लिए इस प्रस्ताव के माध्यम से कोशिश की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह इसमें उनकी मदद करे।

मैं आपसे और आपके माध्यम से सारे सदन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यह सदन भी एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करे, जिसमें पाकिस्तान को उसका जवाब मिले।

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवराम गौडा जी अपने आपको श्री यशवंत सिन्हा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Madam Speaker, this is a matter concerning the nation's sovereignty and integrity and all of us are deeply concerned with the Resolution passed by the Pakistan Parliament. Hence, I request that the Speaker may consider moving a Resolution from the Chair on behalf of the whole House.

13.31 hrs

RESOLUTION RE: REJECTING THE RESOLUTION PASSED BY THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN ABOUT INTERFERING IN THE INTERNAL AFFAIRS OF INDIA

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I will place the Resolution before the House.

> "This House totally rejects the Resolution passed by the National Assembly of Pakistan on March 14, 2013.
>
> The House notes that Pakistan has committed that it would not allow its territory to be used for terrorism against India and only fulfillment of this commitment can be the basis for peaceful relations with Pakistan.
>
> The House rejects interference in the internal affairs of India and calls upon the National Assembly of Pakistan to desist from such acts of support for extremist and terrorist elements.
>
> The House reiterates that the entire State of Jammu and Kashmir, including the territory under illegal occupation of Pakistan, is and shall always be an integral part of India. Any attempt from any quarter to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely and with complete unity of our nation."

The Resolution was adopted.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam Speaker, the excruciatingly painful story of atrocities committed against Sri Lankan Tamils has been discussed in this House elaborately on 7th March, 2013 in which all the political parties have participated. They have all condemned the atrocities and human rights violations committed by the Sri Lankan Administration.

Madam, yesterday, with your kind permission, we have discussed about the atrocities committed by the Sri Lankan Navy on the fishermen of Tamil Nadu and the Government has come forward to commit itself and said that all the fishermen who have been arrested will be released shortly. Today, the fishermen of Rameswaram have decided to go on strike. More than 53 fishermen have not yet been released and on that account they are going on strike.

On the issue of human rights violations, the students of Tamil Nadu have come out of the colleges. Lakhs and lakhs of students are resorting to various kinds of agitations, including fast-unto-death.

Madam Speaker, I think, now-a-days the voices of Tamils are not heard or considered properly by the Government of India, neither the voices of Sri Lankan Tamils nor the voices of Indian Tamils nor the voices of Diaspora world over. I feel sorry to say, Madam, that the Government is adopting a stoic silence on this human rights violation issue.

Madam, I am reminded of a couplet said by Great Saint Thiruvalluvar

"Nagudhar Porutandru Nattal Migudhikan

Merchendru Idithar Poruttu."

'Maintaining friendship is not merely for fun and frolic, but when there is an excess by a friend, he should be condemned, he should be corrected.' I want to tell the same thing to my friends in the Government of India before anything goes wrong, kindly come forward, please be awake and do justice to Tamils of Sri Lanka.

Madam, UNHRC is in session. All the Party Leaders have pressed for a tangible resolution to be taken up in UNHRC. They should go with an amendment to the US Resolution asking for credible international multilateral investigation into the human rights violation. But nothing is happening here, the Government is not reacting to this.

The students' agitation, day by day, has become very tense. I do not know what will happen. I can only remind my friends what happened in 1965 on the language issue. The agitation on language issue has cost the Congress to a very great extent. The Congress has lost its rule in Tamil Nadu in 1965 and till now they could not come to power in Tamil Nadu. So, I can only request my friends in the Government of India to prepare themselves for the UNHRC session, go before the UNHRC, campaign themselves and see that people who have committed crimes by violating human rights are punished.

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI T.R. BAALU: Madam, I would like to quote Shakespeare, 'Today is ides of March, 15th of March'. In Shakespeare the Almighty said, 'Oh Caesar, beware of ides of March'. I can only quote that phrase and I can only warn my friends not to resort to silence, kindly go before the UNHRC to see that resolution is adopted and an international credible investigation agency is appointed so that the guilty should be punished before anything goes wrong by the students' agitation.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, we have discussed the issue of Sri Lankan Army's violation in 2009 Ethnic War in this House many times. At that time genocide of Sri Lankan Tamils has taken place and they suffered a lot.

Madam, the hon. Prime Minister made a speech recently that he is going to insist the President of Sri Lanka, Mr. Rajapakshe, to implement the 13th constitutional amendment to see rights of the Tamils are protected. But Sri Lanka is not bothering at all. Madam, you know very well that nearly two lakh Tamils were killed in Sri Lanka in the Ethnic War. There are so many violations. How the people were tortured there? How rapes took place there? There were so many

violations that took place. For that, we would request the hon. Prime Minister and the Union Government to take necessary steps to initiate some kind of resolution which can be passed in the coming Geneva Conference, UNHRC. In that respect, already our hon. Tamil Nadu Chief Minister has written a letter to the Prime Minister to see that – whatever the resolution is passed in Tamil Nadu Assembly – till the Tamilians issue is solved in Sri Lanka, the economic sanction must be imposed on Sri Lanka.

Regarding students' agitation – it is a State subject – Tamil Nadu Government is taking all steps on that. But their anguish is to see that Government must take the initiative.… (*Interruptions*)

What is students' demand? Their demand is that the Government must take the initiative to pass a resolution in the UNHRC against Sri Lanka. I would like to know whether the coalition partner is ready to impose it. Still they are in the Government; they are not raising the issue. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Address the Chair. Please conclude now.

DR. M. THAMBIDURAI : The demand of the students is only to see that Sri Lanka must be punished against whatever violations they have done against the Tamilians there. That is what they are demanding that India must take the initiative. I am also reiterating on behalf of my Government, Tamil Nadu Government, and the hon. Chief Minister that the Government must come forward to take initiative to bring a resolution in UNHRC which is going to take place in Geneva soon. That is our demand.

MADAM SPEAKER: Shri P. Lingam is allowed to associate with the issue raised by Dr. M. Thambidurai.

13.42 hrs.

JHARKHAND BUDGET(2013-14) - GENERAL DISCUSSION
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT(JHARKHAND), 2013-14
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (JHARKHAND), 2012-13

MADAM SPEAKER: Item Nos. 11 to 13, the Jharkhand Budget, Shri Nishikant Dubey.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं आगे आकर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आगे आकर बोलिए।

SHRI INDER SINGH NAMDHARI (CHATRA): Madam Speaker, I am on a point of order.

MADAM SPEAKER: Under which rule?

SHRI INDER SINGH NAMDHARI : Under rule 376, Madam.

MADAM SPEAKER: What is it?

SHRI INDER SINGH NAMDHARI : Madam, I will elaborate it. Hon. Finance Minister has presented the annual financial statement of the estimated receipts and expenditure of Jharkhand for the year 2013-14 which is going to be taken up. My point of order is that the Central Government, by bringing an Annual Budget for the State of Jharkhand for the year 2013-14, has committed Constitutional impropriety. The House has approved Statutory Resolution seeking approval of the Proclamation in respect of Jharkhand for a period of six months. That means the Proclamation will be in force till 17th July, 2013.

Article 356 (4) provides that a Proclamation, unless revoked, ceases to operate on the expiration of a period of six months from the date of issue of Proclamation. Bringing an Annual Budget proposes two things. The Central Government intends to keep the Jharkhand Assembly in a state of suspended animation for the whole of the next financial year or the Government is in no mood to conduct elections in the State for the appointment of a duly elected democratic Government. This is my point of order.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, there is no point of order as no rule of the House has been violated. My learned friend is quoting the rule under which a point of order can be raised. But, that is not a violation of that very rule. Yesterday, the House approved the Proclamation and President's Rule has been imposed in Jharkhand.

Now we have to present the Budget. It has been done before in other States. We have to present the Budget for the year. We are presenting a Budget for the year. When elected Government takes over. When elected Government takes over in Jharkhand, they can always modify that Budget. We cannot now say when elections will take. It is for the Election Commission to decide. We cannot now say what the President will decide. Therefore, we have to present a Budget for the whole year and when an elected Government takes over, the elected Government can always modify the Budget. It has happened before. What we are doing is nothing wrong. No provision of the Constitution is violated. No Rule is violated. And, I therefore, request that the Point of Order may be rejected.

SHRI INDER SINGH NAMDHARI: Why does the Government not take Vote on Account? Why is there full year Budget for the State of Jharkhand?

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैडम, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यह देश की लोक सभा और और सबसे महत्वपूर्ण सदन है। इस सदन ने फैसला किया कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन छः महीने के लिए लगेगा। अब दूसरी जो संवैधानिक संस्था इस देश की है, वह चुनाव आयोग है। उसे छः महीने के अंदर झारखंड में चुनाव कराना है। चुनाव आयोग अपनी इच्छा या विल इस सदन पर नहीं लाद सकता कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम तो 12 महीने में कराएंगे या उसके बाद कराएंगे। इसलिए अगर छः महीने के भीतर चुनाव होना है, तो तत्काल सरकार को यह ऑप्शन है कि वहां की विधान सभा चुनाव की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह करें। यह नहीं करके झारखंड का अगर पूरे साल का बजट लाया जाता है तो सरकार की नीयत के बारे में एक सवाल उठता है कि उसकी नीयत क्या है।

आप जानती हैं कि संविधान में प्रावधान है कि छः महीने के बाद, और छः महीने के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है, केवल विशेष परिस्थिति में। झारखंड में कोई विशेष परिस्थिति नहीं है इसलिए सरकार

को यह आश्वासन देना चाहिए सदन में कि हम लोग छः महीने भीतर झारखंड में चुनाव कराएंगे और उसके लिए चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार की नीयत में खोट है, ऐसा हमारा निष्कर्ष है।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yesterday, the Home Minister made it clear that we have no intention of keeping the President's Rule even for the period that has been stipulated here. He made it clear that every effort was made to form a Government. He, even, invited political parties who can still form a Government: "Please form a Government." We have no intention of extending the President's Rule. We know that the President's Rule may appear to be attractive for the first few days but the President's Rule is no answer to the people of any State. It is our intention to hold elections within the period of six months, for which the Proclamation is made.

____

13.47 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Compentency of Parliament to enact Appropriation Bills authorizing appropriation for full year in relation to State

MADAM SPEAKER: I have heard the hon. Members and also the opinion of the hon. Minister. In this regard I would like to refer to Clause (2) of Article 357 of the Constitution which provides that any law made by the Parliament in exercise of the powers of the State shall continue in force until altered or repealed or amended by a competent Legislature. From the provisions of this Article, it is clear that when a State is under President's Rule, the Parliament can enact a law for that State which continues in force unless altered or repealed or amended by the Parliament during the President's Rule or by the Legislature of the State when the President's Rule has come to an end.

In the instant case, in my opinion and also going by the assurance given by the hon. Minister, the Parliament is competent to enact Appropriation Bills authorizing appropriation for full year. Therefore, I rule-out the Point of Order.

13.50 hrs

JHARKHAND BUDGET (2013-14) – GENERAL DISCUSSION
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT(JHARKHAND),2013-14
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (JHARKHAND), 2012-13

…..Contd.

MADAM SPEAKER: Motions moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 12, 15 to 27, 29 to 33 and 35 to 60."

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 10, 16, 18 to 20, 22, 23, 25 26, 33, 36, 40, 41, 43 to 45, 48 to 51, 53, 54, 56 and 58."

Now, Shri Nishikant Dubey to speak.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया जी। मैं थोड़ा ही बोलूंगा, लेकिन साढ़े तीन करोड़ जनता का सवाल है और माननीय यशवंत जी और नामधारी जी ने जो कहा वह आपने सुना। यदि विधान सभा नहीं चल रही है तो वहां की जनता की आवाज को आपको सुनना चाहिए। अभी आपने कहा कि वोट ऑन एकाउंट नहीं लेना है, इलैक्टिड गवर्नमेंट के लिए हमने खुली छूट दी हुई है। जो कल होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, कितना कंफ्यूजन कांग्रेस में है। मैं आपके बजट भाषण पर बाद में जाऊंगा, उन्होंने कहा कि 28 लोगों ने कहा कि यह विधान सभा भंग हो जानी चाहिए। अब ये 11 आदमी डॉ. अजय कुमार जी की पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि ये 11 आदमी भी चुनाव के पक्ष में हैं और इसके बाद कहा कि दो छोटी-छोटी पार्टियां थीं जिनके एक-एक एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा कि यह विधान सभा भंग हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, 82 सदस्यों की सदन में खुद गवर्नर की रिपोर्ट कह रही है और होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कल इसकी चर्चा की कि 41 लोग कहते हैं कि चुनाव कराइये, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि एसेम्बली को डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, होर्स-ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यदि आपमें संविधान के प्रति आस्था है तो आप सरकार बनाइये, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस पिछले वर्ष 2009 में चुनाव साथ लड़ चुकी हैं। आपके एक एमपी यहां जीतकर आये हैं। आप मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, एनओ सिक्का, हरिनारायण राय आदि सबके साथ आप सरकार बनाइये और यदि नहीं बना सकते हैं तो आप असेम्ब्ली को डिजोल्व कीजिए। वोट ऑन एकाउंट आप लेते तो आपके लिए सुविधा होती। क्या स्थिति आपने झारखंड की कर दी है?

मैडम, मैं देवघर से हूं, द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक लिंग है शक्तिपीठ है, पार्श्वनाथ हैं जहां तेइसवें तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया। महात्मा गांधी देवघर में अपना आश्रम खोलना चाहते थे, महर्षि अरविंद पांडिचेरी जाने से पहले देवघर में थे, विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले देवघर में थे, ईश्वरचंद विद्यासागर झारखंड में पैदा हुए। रवीन्द्र नाथ टैगोर अपना शांति-निकेतन वहां बनाना चाहते थे। हम लोग सिद्धु, कानू, विरसा-मुंडा, तिलका-मांझी इस तरह की परम्परा के वाहक रहे हैं लेकिन आज झारखंड का यदि नाम आता है तो मधु-कोड़ा को लोग याद करते हैं, हरिनारायण राय को याद करते हैं, एनओ सिक्का को याद करते हैं, करप्शन को याद करते हैं। पूरा का पूरा झारखंड आपने बर्बाद कर रखा है। आपका कंफ्यूजन इस पूरे बजट में है। आप कह रहे हैं कि दो बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तो आपने वहां कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया, झारखंड को रास्ते पर लाने का काम किया। लेकिन इसके आगे की जो लाइन है, वह बड़ी रोचक है। फिस्कल एंड रैवेन्यू डैफिसिट बोलते-बोलते आपने कह दिया कि "The

indicators of revenue and fiscal deficits are within the limits prescribed by the FRBM Act." 28 महीने से आपकी सरकार नहीं चल रही थी, 28 महीने से राष्ट्रपति शासन नहीं चल रहा था, 28 महीने से हमारा शासन चल रहा था। इसका मतलब यह है कि स्टेट को फिस्कल डैफिसिट से हमने कंट्रोल रखा, रैवेन्यू में कंट्रोल रखा है, यह सब हमारी देन है। क्योंकि केन्द्र का जो फिस्कल डैफिसिट है वह 5.2 है, हमारा 2.3 है। इसका मतलब यह है कि हमने उसे कंट्रोल रखा है। आपने इसके रीजन्स दिये हैं, रीजन्स यह दिया कि डिवेलपमेंट नहीं हो रहा है। आपने पिछले साल के बजट एस्टीमेट और रैवेन्यू एस्टीमेट में जो 90 हजार करोड़ रुपये घटाये, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं कि झारखंड में आपने कितना प्रतिशत पैसा नहीं दिया है।

सेंटर के सर्व-शिक्षा-अभियान में जो 65 और 35 का हिस्सा होना चाहिए था उसमें आपने कितना पैसा नहीं दिया है। आपने हमारा पैसा काटा है। इंदिरा आवास में आपने हमारा पैसा काटा है, वृद्धावस्था पैंशन में आपने हमारा पैसा काटा है, बीआरजीएफ प्रोग्राम में आपने हमारा पैसा काटा है और यही कारण है कि हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। आज झारखंड के लोगों की स्थिति क्या हो गयी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है। महोदया, आपकी कविताएं भी मैं सुनता रहता हूं। झारखंड के लोगों की स्थिति इस कविता में स्पष्ट है।

"पेट पीठ दोनों मिलकर रहे एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठीभर दाने को,
भुख मिटाने को।"

आपके सामने हम तरस रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके आधार पर बजट बनाते हैं लेकिन आप हमें पैसा देने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। आप हमें ठगने का प्रयास करते हैं। चाहे एक्सिलिरेटेड इर्रिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम हो, चाहे बीआरजीएफ हो, चाहे सेंटर और स्टेट का हिस्सा देने की बात हो, हमें आपने हमेशा भ्रम में रखने का काम किया है। वहां का प्रशासन बजट तो बहुत लम्बे-लम्बे बना रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, मैं बिंदुवार इस पर आना चाहता हूं।

सबसे पहले हैल्थ की बात है। हैल्थ में पूरे देश में 108 नम्बर का एम्बुलेंस चालू हो गयी है लेकिन हमारे यहां आज तक यह फैसला नहीं हो पाया कि यह नोमिनेशन के बेसिज पर दिया जाएगा या टेंडर के बेसिज पर दिया जाएगा। आज आपको एम्बुलेंस कहीं भी, किसी भी अस्पताल में नजर नहीं आयेगी। मैं जहां से सांसद हूं वहां के अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। देवघर जहां के लिए चार-पांच करोड़ रुपये हर वर्ष जाते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि पांच साल पहले उस अस्पताल को बनाने का काम बंद हो गया है, आज तक वह चालू नहीं हो पाया है। महोदया, वर्ष 2010 में एक हॉस्पीटल का शिलान्यास हो गया, चूंकि इस बजट

में दिया गया है कि हम दो मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल बना रहे हैं। यह बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। क्या आपने वर्ष 2010, 2011, 2012 या 2013 का बजट देखा है? ये बजट आपके देखने लायक हैं? मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दुमका में वर्ष 2010 में शिलान्यास हो गया, लेकिन आज वर्ष 2013 तक, तीन साल से वहां एक ईंट नहीं रखी गई है और उसके लिए बजट में प्रोवीज़न किया गया है। कहीं भी आपको एएनएम और जीएनएम के स्कूल और कॉलेजिस नहीं दिखाए देंगे। आपने लक्ष्मी लाडली योजना के लिए पैसा दिया है और हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय है। लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जब उसका सैकिण्ड इन्स्टॉलमेंट देने की बात आयी तो वहां बच्चियां ही नजर आयीं। बच्चियां इसलिए नजर नहीं आयीं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। मृत्यु दर वहां इतनी ज्यादा है। आप किस तरह का हेल्थ का बजट बनाना चाहते हैं। लोगों को वहां सुविधा नहीं मिली है, लेकिन आपने एनआरएचएम के नाम पर बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बना दिए हैं। किसी भी हॉस्पीटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। किसी भी हॉस्पीटल में आपको नर्स और कम्पाउंडर दिखायी नहीं देंगे। किसी भी हॉस्पीटल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। किसी भी जिला अस्पताल में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी और आप कहते हैं कि हम इसमें बजट दे रहे हैं। यह आपकी भी गलती है, क्योंकि आप एनआरएचएम का पैसा देते हैं और आप कहते हैं कि दस हजार रुपये प्रत्येक गांव में छिड़काव के लिए दिया जा रहा है। कभी आपने देखा है कि क्या वहां डीडीटी का छिड़काव हो रहा है या नहीं? यह झारखण्ड की स्थिति है और इसीलिए मैं चाहता था कि यहां डिस्कशन करके यह बजट पास हो।

महोदय, अब मैं एजुकेशन पर आता हूं। एजुकेशन की क्या हालत है? 203 जगहों पर मॉडल कॉलेजिस बनने हैं, जो कि भारत सरकार को बनाने हैं, लेकिन मॉडल कालेज का एक भी बिल्डिंग आज तक नहीं बना है। पूरे झारखण्ड राज्य में एक भी बिल्डिंग नहीं बनी है। आपने 203 मॉडल स्कूल के लिए जो पैसा दिया है, जो कि प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर में बनना है। उस मॉडल स्कूल के लिए 42 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देती है। जबकि सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार को देना है। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, जिसमें आपको टीचर नजर आएगा। पिछले साल भी झारखण्ड सरकार ने कहा कि अपने बजट में 138 करोड़ रुपये रखते हैं। हम लगातार लिखते रहे, क्योंकि शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से हमारा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है और इसलिए हमारे यहां मॉडल कॉलेज होना चाहिए। मॉडल कॉलेज के बारे में केन्द्र सरकार कहती है कि 65 परसेंट केन्द्र सरकार देगी और 35 परसेंट राज्य सरकार देगी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले साल के और इस साल के बजट में एक भी मॉडल कॉलेज कंसीव नहीं हुआ है। एक भी मॉडल कॉलेज नहीं हुआ है। लोगों को पढ़ने के लिए टीचर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। पंखे-बिजली का तो कोई सवाल ही नहीं है। सेमेस्टर बढ़िया से नहीं चल रहा है। यह हालत प्राइमरी एजुकेशन की है। यह हालत सर्व शिक्षा अभियान

की है, मिड डे मील की है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए आपको टीचर ही नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका एप्वाइंटमेंट ही नहीं हुआ है। आपको कहीं भी आईटीआई प्रोपर फंक्शन करती नज़र नहीं आएगी। इन्होंने इस बजट में कहा कि पोलिटेक्नीक खोलेंगे। सात जगह पीपीपी मोड पर और तेरह जगह, आपको पता है कि वह पैसा कब का है। जिस चीज की घोषणा आपने बजट में की है, वह पैसा वर्ष 2010 से पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार बारह करोड़ तीस लाख रुपया देने वाली है और उसमें दो करोड़ की पहली किस्त वर्ष 2010 से पड़ी है। आपने कभी पूछा कि वर्ष 2010 से तुमने पैसा रखा है और क्यों नहीं आज तक पोलिटेक्नीक बन पाया है। आज यह हालत झारखंड की है। आपको एक भी इंजीनियरिंग कालेज प्रोपर फंक्शन करते हुए नहीं नजर आएगा। एक पोलिटेक्नीक, आईटीआई आपको प्रोपर फंक्शन करती नजर नहीं आएगी। झारखंड सरकार ने इस साल को कौशल विकास साल बनाया हुआ है। आप कारपेंटर की बात छोड़िए, लौहार की बात छोड़िए, सुनार की बात छोड़िए, राजमिस्त्री की बात छोड़िए, बढ़ई की बात छोड़िए क्योंकि उनके लिए तो स्किल डेवलपमेंट का सवाल ही नहीं है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है। झारखंड की आप लोगों ने क्या हालत बना रखी है?

इसके बाद मैं रूरल डेवपलमेंट की बात कहना चाहता हूं। आज तक 9 गवर्नर वहां बदले जा चुके हैं। जब से मैं सांसद बना हूं, तब से वर्तमान के चौथे गवर्नर हैं। आप स्वयं अस्थिरता लाना चाहते हैं। जब मैं एमपी बना तब ...* थे, उसके बाद ...... * बने, उनके बाद ..... *और अभी ... *हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

श्री निशिकांत दुबे : चार साल में चार गवर्नर बदले हैं। आप स्वयं अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। क्या ...... * को हमने पैदा किया? आपने मॉडल ला दिया। क्या हमने कहा कि क्रप्शन कर लीजिए।

14.00 hrs.

यह भी हम ही ने कहा कि करप्शन कर लीजिए। हम ही ने कहा कि झारखंड को लूट लीजिए। रूरल डवलपमेंट का लीजिए। रूरल डवलपमेंट में आपको मनरेगा में लगेगा, मैं इस सदन में बड़ी गंभीरता के साथ निगरानी के चेयरमैन के नाते कहना चाहता हूं और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि वहां कितना करप्शन है?

निगरानी समिति के चेयरमैन के नाते मैंने वर्ष 2009 में 7 करोड़ रुपये का बैन मनरेगा में लगा दिया। बड़ा अच्छा हो गया, उसमें करप्शन था। डीडीसी की रिपोर्ट आ गई। झारखंड हाईकोर्ट में डिसीजन हो

* Not recorded

गया कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक निगरानी समिति तय नहीं करेगी और कल परसों से अभी मनरेगा कमिश्नर ने आदेश दिया है कि उसका काम चालू कर दीजिए। 7 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दीजिए। करप्शन नहीं है। कोई बात नहीं है। मनरेगा का काम चल रहा है। कोई बात नहीं है। यह झारखंड की स्थिति है। पुल-पुलिया के बारे में आप कह रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं। पुल-पुलिया में क्या आप यह बता सकते हैं कि वहां जो रीजन है, रांची के अलावा रांची और जमशेदपुर, खरसांवा के इलाके को छोड़ दीजिए, सिल्ली के इलाके को छोड़ दीजिए, यह बताइए कि संथाल-परगना के 6 जिले में कितने पुल और पुलिया तथा कितनी रोड्स सैंक्शन हुई हैं? यह बताइए कि पलामू, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में कितने पुल-पुलिया और रोड्स सैंक्शन हुई हैं? आपको आश्चर्य होगा और लगेगा कि एक क्षेत्र विशेष में हमने रूरल डवलपमेंट का सारा पैसा पुल-पुलिया के लिए दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम साहब को बताना चाहता हूं कि 17 जिले हैं जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का मतलब होता है कि 250 से ऊपर की जो आबादी है, वह रोड से कनैक्ट हो जाएगी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा देगी और बाकी जो 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के लिए राज्य को सोचना चाहिए लेकिन राज्य ऐसा नहीं सोच रहा है और वह बंदरबांट कर रहा है। निशिकांत दुबे ने कुछ कहा तो उसको कर दीजिए, यशवंत जी ने कहा तो उसको कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? यदि आप राज्य का समग्र विकास करना चाहते हैं तो उस विकास के लिए आपको रूरल डवलपमेंट में कहां रोड बननी है, कहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड नहीं जा रहा है, वहां आप मुख्य मंत्री सड़क योजना से आप उसको जोड़ने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बंदरबांट है। करप्शन है। कितने लोग इसमें इंवाल्वड हैं? आपको इसकी स्थिति पता नहीं होगी।

इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में आप प्रत्येक जिले को, 17 जिले को मान लीजिए कि आप 25 से लेकर 40 करोड़ रुपये तक देते हैं। बाकी जो 7 जिले हैं, वे 7 जिले क्या करेंगे? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? थाने में गाडियां नहीं हैं। आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा आज हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं और नक्सलवाद से यदि जूझ रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके लिए थाने में गाड़ियों की क्या हालत है? एसआरए जिला होने के नाते उसके फाइनेंस की क्या स्थिति है और क्या बन रहा है? केवल पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर 1500 करोड़ रुपया किसी एकाउंट में रखा हुआ है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन वह खर्चा दिखाया जा रहा है कि पुलिस मॉडरेनाइजेशन के नाम पर 1500 करोड़ रुपया हमने दे दिया और वह खर्च हो गया। इस तरह से जो पैसे को मिसयूज करने की

टेंडेंसी है, इसके बारे में सोचिए क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, वह बंग्लादेश से जुड़ा हुआ है। हमारा जो बॉर्डर है, वह नेपाल से जुड़ा हुआ है और जब आप गृह मंत्री थे तो मैं बोलते बोलते थक गया हूं कि मैं जिस संथाल-परगना से आता हूं, उसका बॉर्डर बंग्लादेश और नेपाल से जुड़ा हुआ है। जो नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री थे, उन्होंने खुद कहा है कि दस साल जो वो एग्जाइल में रहे, पांच साल वह संथाल-परगना में रहे, संथाल-परगना नक्सेलाइट पैदा करता है और उसके बाद वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश के लिए डिसपर्स होता है और इस तरह से पूरे देशभर में वहीं से जाता है। बंग्लादेशी इंफिल्ट्रेटर्स जो आते हैं, उनका सबसे बड़ा शरणस्थली वही है लेकिन आपके कान पर जूं ही नहीं रेंगती है। आपको लगता है कि स्टेट का विषय है और स्टेट कहता है कि सेंटर का विषय है। बहुत अच्छा विषय है कि हम आपसे यहां डिसकस कर रहे हैं।

इसके बाद ट्यूरिज्म आता है। माइन्स और मिनरल्स पर मैं बाद में आऊंगा कि आप किस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ट्यूरिज्म की बात पर अब मैं आता हूं। देवघर जहां से आता हूं, मेगॉ ट्यूरिस्ट डेस्टीनेशन देवघर हो गया। 2010 से 25 करोड़ रुपया मेगॉ ट्यूरिस्ट डेस्टीनेशन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2010 से 12.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्यों 40 करोड़ रुपये की लागत से कॉम्पलैक्स बनना है? वर्ष 2013 तक उसमें काम चालू नहीं हुआ है। चाहे कोई भी ट्यूरिस्ट डेस्टीनेशन ले लीजिए। पारसनाथ मैंने आपको बताया। उसमें कोई काम चालू नहीं हुआ है। बॉस्कीनाथ आपको बताया यानी जो भी है, मुनरू है, रांची है, सब जगह बड़े बड़े सेंटर आपको नज़र आ रहे हैं। एक भी प्रोजेक्ट में काम शुरु नहीं हुआ और इस साल जो स्टेट प्लान का बजट है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 31 मार्च तक उसमें एक भी योजना सैंक्शन नहीं होने वाली है। जो केन्द्र सरकार पैसा दे रही है, वह पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण या पैसा जमा होने के कारण यदि झारखंड सरकार से पैसा वापस मांगती है कि आप दोबारा अगली योजना में ले लीजिएगा क्योंकि झारखंड की तरह हम चौपट व्यवस्था में नहीं चलना चाहते हैं तो राज्य उसको पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो पैसा दिया गया वह मेरा ही पैसा है। यह टूरिज्म का हाल है।

महोदय, एक भी योजना चालू नहीं है। मान लीजिए अगर बन भी गया तो कब चू जाएगा पता नहीं। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने खुद ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कहा है 3.7 परसेंट पाइप वाटर चल रहा है। मैं देवधर से सांसद हूं, वहां जेएनएनयूआरएम की तरफ से वाटर प्रोजेक्ट चल रहा था जो दिसंबर, 2009 में पूरा होना था। यह दिसंबर, 2013 तक पूरा हो पाएगा या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने 19 करोड़ रुपए का पहला इंस्टालमेंट दे दिया, दूसरा नहीं दे रहे हैं। कन्सोलिडेटिड फंड से पैसा दिया

भी गया है, उसके डीपीआर का सोर्स ऐसा है कि अभी जब वह प्रोजेक्ट कम्पलीशन की हालत में है तो कहा जाता है कि सोर्स ही नहीं है, पानी ही नहीं आ पाएगा। आप कैसे विकास करेंगे?

महोदय, वहां चापाकल गड़ता है, एमपी और एमएलए के कहने से पांच-पांच चापाकल प्रत्येक पंचायत में दे दिए। अब बात आती है कि चापाकल कैसे गड़ता है? एक जगह का चापाकल उठाकर दूसरी जगह गाड़ दिया जाता है क्योंकि कोटा पूरा करना है। यह स्थिति है। किसी भी गांव में कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है। मैं दूसरी जगह की बात नहीं कहता, यशवंत जी या उपाध्यक्ष महोदय आप बताएंगे। मेरे यहां जितने रूरल वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से एक भी चालू नहीं है। यह पिछले दस साल से है। मैंने अपने यहां कहा है कि सारे अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। यह रूरल वाटर की स्थिति है और आप कहते हैं कि हम पीने का पानी देंगे और इसमें 200 से 300 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया है। आपने क्या एलोकेशन की है?

महोदय, यह कहा जा रहा था कि इरीगेशन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यह बताया गया है कि ये-ये प्रोजेक्ट पूरे करेंगे और 1 लाख 45 हजार हेक्टेयर बढ़ेगा। अजय बैराज का उद्घाटन 2011 में हुआ था। 2013 में क्या बढ़ाया है? हमारे यहां पुरासी योजना चल रही है, सूखा पठार है, 1978-78 में उढ़ई का शिलान्यास हो चुका है। सब में पैसा जा चुका है। कोई भी प्रोजेक्ट चालू स्थिति में नहीं है, चाहे पलामू, गुमला, रांची, संथाल परगना, गुमानी या स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट हो। स्वर्णरेखा तो और बड़ा केस है। आज से एक साल पहले यानी 2011-12 में 335 करोड़ रुपया एआईबीपी में दिया। एआईबीपी से काम चालू हुआ। 2012-13 में एक रुपया भी एलोकेट नहीं किया गया। झारखंड सरकार ने बजट बना लिया कि एआईबीपी में पैसा मिलेगा। स्वर्णरेखा के कारण कोई दूसरा प्रोजेक्ट एस्कलेटिड इरीगेशन प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी चपरासी की तरह चक्कर काट रहे हैं। किसी के जूं नहीं रेंग रही है।

आप वित्त मंत्री हैं, आप बताएं कि उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी तरह से पुनासी डैम 40 साल से चल रहा है। उढ़ई का मधु लिमये जी ने 1978 में शिलान्यास किया था। सूखा पठार का 1977 शिलान्यास हुआ था। बटेश्वर पंप नहर योजना को 2013 में पूरा होना था शायद ही पूरा हो पाए। इस तरह इरीगेशन की यह स्थिति है। सीरीज़ आफ चैक डैम नाले पर नजर नहीं आएगा। उससे कोई भी पानी नहीं ले सकते हैं। रिहेबिलिटेशन और रेस्टारेशन प्रोग्राम में, ट्रिपल आर पालिसी में जिसमें बांध और तालाब बनना है। एआईबीपी में एक बांध का भी क्लियरेंस नहीं होता है यदि हो भी जाए तो उसका ऐसा बुरा काम होता है कि पानी नहीं मिलेगा। लिफ्ट इरीगेशन के जितने प्रोजेक्ट हैं, जिस भी एरिया में हैं, एक भी प्रोजेक्ट चालू नहीं है। चाहे माइनर या मेजर इरीगेशन हो, आप क्या करेंगे?

महोदय, राजीव गांधी बिजली परियोजना में जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, झारखंड के जितने सांसद हैं ज्यादातर सभी सांसदों के क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कभी कहते हैं कि आर्डर दे दिया है जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। हम आशा से देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है जब चुनाव में जाएं तब भी न आए। एक कंपनी को पैसा दे देते हैं। एक नया पावर प्लांट नहीं आ रहा है। यह बिजली की स्थिति है। हमारी बात कौन सुनेगा? …(व्यवधान) यह सब्जेक्ट ही तो है। आपने बिजली के लिए पैसा एलोकेट किया है तो यह कौन देगा? हमारे यहां 1990 से ग्रिड बन रहा है। आपने खुद ही लिखा है कि हम राष्ट्रपति शासन में चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या केन्द्र का पैसा हम देंगे? एआईबीवी का पैसा आप देंगे। आप जो एडवरटाइजमैन्ट कर रहे हैं, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल और माननीय प्रधान मंत्री जी का कह रहे हैं कि आपने एकदम पूरी व्यवस्था ठीक कर दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा, मनरेगा, बिजली, पानी सब ठीक कर दिया। हम रोज जो एडवरटाइज देख रहे हैं, क्या यह कोई तरीका है। राष्ट्रपति शासन क्या कोई चुनी हुई सरकार है? आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इन चीजों को सुनना भी नहीं चाहते।

मुझे हरिवंशराय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता याद आ रही है - "तोड़-मरोड़ विरल लतिकाएं, नोंच-खसोट कुसुम कलिकाएं, जाता है अज्ञात दिशा, उड़ जाओगे, क्या तुम तूफान समझ पाओगे।"…(व्यवधान) यह मैं आपके लिए कह रहा हूं। यह तूफान है, झारखंड की जनता का यह तूफान है। आपने जो …पैदा किया और वहां के पैसे को लूट लिया, हवाला में जो पैसा चला गया, वह जो पैसा नहीं आ पा रहा है…(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM : You should have made Shri Yashwant Sinha Chief Minister.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Thank you very much.

श्री निशिकांत दुबे: यानी आप नहीं चाहते कि आपकी जगह पर यशवंत जी जाएं, यानी यशवंत जी को देश का वित्त मंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। आप यशवंत जी को मुख्य मंत्री पद पर सिमटाना चाहते हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, he is condemning his own Government for the last 12 years. I do not know why he is continuing in this vein! We are trying to help you. Try to take the help of the Central Government; hold elections quickly; and elect a Government. If you want to condemn your own Government for the last 20 minutes, you might do so for the next 20 minutes and I have no objection.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I am not condemning my Government. You said that the President's Rule is always better. Hence, I am saying this.

SHRI P. CHIDAMBARAM : No, I did not say so. It is not my fault.

SHRI NISHIKANT DUBEY: It is your fault. हमारे यहां माइंस और मिनरल्स हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM : I started by saying that the President's Rule is not the answer. … (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे: महोदय, वित्त मंत्री के नाते यह बतायें, यह कहते हैं कि आपके यहां 30 परसैन्ट कोयला है, 30 परसैन्ट आयरन ओर है। हमारे यहां यूरेनियम और बॉक्साइट भी है। हमारे यहां ये जो पैसा देते हैं, वह मात्र तीन हजार करोड़ रुपये देते हैं। जीडीपी में कितना परसैन्ट स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेन्ट इंडस्ट्रीज, बॉक्साइट इंडस्ट्रीज या कोयला इंडस्ट्रीज महत्व रखते हैं, इनके यहां का पावर प्लान्ट बंद हो जायेगा। कितना परसैन्ट हम जीडीपी में देते हैं और आप उसके बदले हमें तीन हजार करोड़ रुपये देते हैं। रेलवे को चालीस परसैन्ट रेवेन्यू हम देते हैं। रेलवे हमारे यहां एक भी प्रोजैक्ट नहीं करती है। इसमें दोष आपका है। क्या बीआरजीएफ का पैसा राज्य का दोष है, क्या एआईबीपी का पैसा राज्य का दोष है, क्या सर्व शिक्षा अभियान राज्य का दोष है, क्या इन्दिरा आवास राज्य का दोष है? आप बताइये, 90 हजार करोड़ रुपये का केन्द्र ने जो नुकसान किया है, जो पैसा काटा है, उसमें यदि सबसे ज्यादा किसी को धोखा दिया है तो केवल झारखंड को दिया है। हमारी सरकार दस साल नहीं रही है। तीन साल आपकी सरकार रही है और पांच साल ये सरकार चला रहे हैं। हमारी सरकार तीन साल रही है।...(व्यवधान) आप विस्थापन की बात कर रहे हैं। नगरी में यदि लोगों ने पैसा ले लिया। डा.अजय जिस पार्टी के सांसद है, मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता था। नगरी में लोगों ने पैसा ले लिया, वहां कालेज बनेगा कि नहीं, कालेज किसके लिए बनेगा, झारखंड के लोगों के लिए बनेगा या दूसरों के लिए बनेगा? वह शेड्यूल फाइव की बात कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि शेड्यूल्ड फाइव में माइन्स नहीं होनी चाहिए। आपके अध्यक्ष महोदय चूंकि यहां के माननीय सांसद है, वह वहां धरने पर बैठ गये, बहुत बढ़िया बैठ गये। शेड्यूल फाइव में पैनएम को किसने क्लियरेन्स दिया। मुख्य मंत्री के नाते माननीय बाबू लाल मरांडी जी ने दिया और चूकि इस सदन के सदस्य हैं, इसलिए उनकी पार्टी के सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड लुटवाने में आपका भी उतना बड़ा योगदान है और यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि विस्थापन पर बातें नहीं होनी चाहिए। यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि शेड्यूल फाइव मे माइन्स नहीं होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि देश कैसे चलेगा, झारखंड का डैवलपमैन्ट कैसे होगा, उसके बारे में आप समग्र सोच रखिये। यदि स्टील अथारिटी का कार्यालय वहां नहीं है, हैड ऑफिस नहीं है तो इसमे केन्द्र का दोष है। यदि कोल इंडिया का हैड ऑफिस नहीं है तो इनका दोष है।

टाटा यदि मुम्बई में हमारा पैसा लूटकर वहां इंकम टैक्स दे रहा है तो इसमें दोष है, क्योंकि यह सब झारखंड का पैसा है। इसके लिए डिमांड करनी चाहिए।

जहां तक पेशन फंड का सवाल है। पेंशन के लिए इनके यहां अधिकारी हैं। जिस काडर का जो अधिकारी है, उसे यह निर्णय करने का अधिकार नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश भर में 1956 के बाद जितने राज्य बने हैं, उनका पेंशन का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। यह भी बता दें कि यह राज्य का विषय है। सन् 1956 के बाद से सारे राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं। हमारे यहां एंप्लाई के आधार पर हो गया क्योंकि दो एंप्लाई बिहार रह गए और एक एंप्लाई यहां रह गया। बिहार की असेंबली का किसी ने एक अमेंडमेंट दे दिया। यदि इस अमेंडमेंट को किसी ने देखा नहीं तो आप उसकी गलती सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे? दस हज़ार करोड़ रूपये का नुकसान है। हम मात्र सात-आठ हज़ार करोड़ रूपये का अपना रेवन्यु जनरेट कर पाते हैं। हम विकास में लगाना चाहते हैं, उसमें यदि दस हज़ार करोड़ रूपये आप ले लीजिएगा, यह आपका विषय नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय का विषय नहीं है? दूसरा विषय यह है कि यदि हमारे झारखण्ड में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण नहीं हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण चुनाव नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन आपने मेरा छह हज़ार करोड़ रूपये रख लिया है। आप पैसा देने को तैयार नहीं है। आप मिनरल माइंस में रॉयल्टी नहीं देंगे। आप पेंशन फण्ड में हमारे साथ धोखा करेंगे। पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, उसके कारण हमारे साथ समस्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे यहां 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। 73-74 प्रतिशत महिलाएं मालन्युट्रिशन की शिकार हैं। हमारे यहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का फर्स्ट फ़ेज का रोड़ आज तक पूरा नहीं हुआ है। मनरेगा में भयंकर लूट है। जब से राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ है, तब से और लूट हो रही है। माननीय जयराम रमेश जी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: हमारे यहां जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है। माइंस में कुछ नहीं हो रहा है। 70 प्रतिशत लोग गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं और पिछड़े हैं। मेरा यह कहना कि यदि किसी एक राज्य को सबसे पहले स्पेशल स्टेट्स मिलना चाहिए था, वह झारखण्ड को मिलना चाहिए था। यदि हम से पहले आप किसी को स्पेशल स्टेट्स दे देंगे तो हम वहां से माइंस, मिनरल और कोयला को लाल कर देंगे। हम आपको कोयला नहीं देंगे। हम आपको आयरन-ओर नहीं देंगे, बॉक्साइट नहीं देंगे। On the floor of House हम कह रहे

हैं कि हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि यह देश ठप्प हो जाएगा क्योंकि झारखण्ड में इतनी ताकत है। इस देश को रोकने का यदि किसी एक राज्य में अधिकार है, तो वह झारखण्ड में है। हम आपको कुछ नहीं देंगे? ...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Are you holding a threat to the country?

SHRI NISHIKANT DUBEY: Yes, if you will not give anything to Jharkhand or the people of Jharkhand, then it is a threat to the country. It is because we are suffering for the last 65 years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not get involved in cross-talks here.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please conclude now.

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is because of their own Government. It is your fault.

SHRI NISHIKANT DUBEY: No, it is not my fault.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): उपाध्यक्ष जी, आप भी झारखण्ड के रहने वाले हैं। मैं इस इल्ज़ाम का पूरा खण्डन करना चाहता हूँ। पिछले दो साल से मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में आया हूँ, तब से झारखण्ड के साथ कोई भेद-भाव नहीं हुआ है। ग्रामीण सड़कों के बारे में, मनरेगा के बारे में, इंदिरा आवास योजना के बारे में झारखण्ड को विशेष दर्जा दिया गया है। सांसद की ऐसी धमकी देना उचित नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे: हमारे सत्तर प्रतिशत लोग यदि गरीब हैं, यदि बीपीएल हैं तो इसमें मेरा दोष है? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री निशिकांत दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि -

" इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं हमारे, जिस तरह ये टूटे हुए आइने दिखते हैं।
आपने कालीन देखा होगा, इस देश ने कालीन देखा होगा, लेकिन मेरे पांव कीचड़ में हैं।
उस कीचड़ से निकालने के लिए हमें प्रयास करने दीजिए। "

श्री जयराम रमेश : उपाध्यक्ष महोदय, चुनी हुई सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें माननीय सदस्य से आती हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत झारखण्ड राज्य के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है।

माननीय सदस्य जिस तरह से लगातार उल्लेख कर रहे थे और योजनाओं के लागू न होने के कारणों की बात कर रहे थे, उसमें स्वाभाविक रूप से अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे और वह स्वाभाविक है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अभी दो महीने पहले तक उन्हीं की सरकार थी। जिन योजनाओं का पैसा गया है, उनकी ही सरकार में गया है। इस संघीय ढांचे में यह व्यवस्था है कि जो पैसा केंद्र सरकार से जाता है, उस पैसे को खर्च करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार उसको खर्च करती है। हमने वर्ष 2012-13 में जो पैसा दिया, 11,22,790 लाख इनका बजट अनुमान था, उससे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने पैसा दिया, जो केन्द्रीय अनुदान और सहायता है, मैं राज्य के उनके बजट की बात नहीं कर रहा हूं, केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिली है, मैं उसकी वर्ष 2012-13 की बात कर रहा हूं। वर्ष 2012-13 में जो बजट अनुमान था, वह 11,22,790 था और हमने 11,32,191 लाख दिया है। मैं समझता हूं कि इनको तो धन्यवाद देना चाहिए था, इनको वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी कि झारखण्ड राज्य के लिए, जैसा माननीय मंत्री जयराम रमेश जी ने भी कहा कि चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, सबमें हमने दिया है। मैं समझता हूं कि आज आप बहुत गुस्से में थे, मैं समझता हूं कि वह गुस्सा इसलिए था कि जिस तरह के सुझाव आप अपनी पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जी को देते थे, शायद वे सुझाव नहीं मानते रहे होंगे, तो वह गुस्सा आज परिलक्षित हो रहा है। अन्यथा मैं समझता हूं कि वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य का गठन हुआ और वर्ष 2004 तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर वास्तव में झारखंड के लिए दर्द था, तो वर्ष 2000 से 2004 में क्यों नहीं झारखण्ड राज्य को भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार ने स्पेशल स्टेटस दिया। आज हमारे मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने एक तरह से स्पेशल स्टेटस दिया है। हमने ग्रामीण सड़कों में दिया है।...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: एक तरह क्या हुआ, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस होता है।

श्री जगदम्बिका पाल: आपने वर्ष 2000 से 2004 तक, जिसे वित्त मंत्री जी बनाने की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: आप खड़े क्यों हो गए? निशिकांत जी, आपका भविष्य उदीयमान है, कम से कम आपने कहा है, तो उसको सुनिए भी। आपने कृषि पर बहुत जोर दिया। आज जो सेंट्रल स्कीम है, एडीबी, उस एडीबी में वर्ष 2013-14 में और कृषि में जो 66 परसेंट आपकी आबादी है, हमने इस बार के बजट में प्रावधान बढ़ाया है। आप उस राष्ट्रपति शासन की आलोचना कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है। आपने कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन है, इसलिए हम तारीफ कर रह हैं। वित्त मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है। राष्ट्रपति शासन कोई उपाय नहीं है, हम चाहते हैं कि वहा लोकप्रिय सरकार रहे और आज भी हम चाहते हैं कि वहां इसकी संभावनायें हों। आखिर राष्ट्रपति शासन लाने के लिए कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेदार है? आज पूरा देश जानता है कि अगर झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन आया है, तो वह केवल आपके कारण आया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, टोका-टाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: वहां आपकी सरकार थी, इसे कौन नहीं जानता है? जिस समय चुनाव के बाद वहां पर सरकार बनी, तब आप उनके साथ सरकार में शामिल थे। आपको यह बर्दाश्त नहीं हुआ, आप वहां की जिस सरकार में शामिल थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के थे और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री थे और आपने उसे नहीं चलने दिया। आपने उस सरकार को गिराया और उस सरकार को गिराकर फिर राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनी। फिर उन्हीं के साथ मिलकर जब आप मुख्यमंत्री बने, आप उनको उपमुख्यमंत्री बनाते हैं और जब वे कहते हैं कि 18 महीने आपने शासन कर लिया, 18 महीने अब हमको शासन करने दीजिए। जब आपने उन्हें यह मौका नहीं दिया...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं बजट पर ही बोलने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप राष्ट्रपति शासन पर बोल रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, जब वे कह रहे थे तो उनकी बात का जवाब तो आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चर्चा तो हो चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य की बात उठायी, आज स्वास्थ्य में हमने 776.23 करोड़ रूपये आबंटित किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य में सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है, आज सबसे बुनियादी आवश्यकता यह है कि मॉर्टेलिटी रेट कम हो, मातृ मृत्यु दर कम हो। आज राष्ट्रीय औसत क्या है, आज मातृ मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 212 है और झारखण्ड में मातृ मृत्यु दर 261 है। जहां राष्ट्रीय औसत 212 है, उसके सापेक्ष झारखण्ड में मातृ मृत्यु दर 261 है, वहां 261 महिलाओं की मौत हो रही है। जैसा हमारे अजय कुमार जी ने कहा कि वर्ष 2000 से आज तक वहां आपकी सरकार थी, कभी भी झारखण्ड में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर आज भी आप वहां पर प्रसव के समय हो रही महिलाओं की जिन्दगी को नहीं बचा सकते, आप जच्चा-बच्चा के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखण्ड की जनता आपको कभी कुबूल नहीं करेगी। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य में पैसा नहीं दिया गया। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय औसत क्या है? आज राष्ट्रीय औसत महिलाओं की मृत्यु दर की 212 है और झारखंड की 261 है। इसके लिए क्या हम ज़िम्मेदार हैं? आप केवल मधु कोड़ा का नाम लेते रहे। आपके अर्जुन मुण्डा जी तो अभी तक मुख्य मंत्री थे। जितने भी मुख्य मंत्री हुए, आपके ही भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कमोबेश रही। जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, या तो वे मुख्य मंत्री बने। कांग्रेस ने कभी आयाराम गयाराम नहीं किया और कांग्रेस ने वहाँ कभी सरकार बनाने का काम नहीं किया। आप लूटने की बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आपकी तरफ देखूँगा नहीं, मैं चेयर की तरफ ही देखूँगा। जो लूटने की बात आप कह रहे हैं, वह सवाल आपको अपने नेताओं से पूछना होगा जिनको आपने दायित्व दिया, जिनको आपने ज़िम्मेदारी दी कि उस राज्य में मिनिरल की खरीद और लूट क्यों हुई। आपने शिक्षा की बात की। क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ड्रापआउट किस राज्य में हैं - झारखंड में हैं। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? राज्य सरकार ज़िम्मेदार है। अभी मैं पैसा बताऊँगा कि कितना मिला है। आपको मैं हर मद का पैसा बताऊँगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो बोल चुके हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या है, सबसे घटिया स्तर के शिक्षक हैं। आप शिक्षक तैयार नहीं कर पाए, बी.एड. कॉलेज खोल नहीं पाए। दस सालों में जो हमने सरप्लस स्टेट बनाया था जिस तरह से वहाँ के खनिज और मिनिरल्स की दुहाई दी जाती है, उस सरप्लस स्टेट में आप शिक्षक प्रोड्यूस नहीं कर पाए, बी.एड. कॉलेज नहीं खोल पाए, क्वालिटी एजुकेशन

के लिए टीचर्स नहीं दे पाए, सबसे ज्यादा ड्रापआउट बच्चों का वहाँ है। वहाँ बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल से वंचित हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूँ। आप विकास की बात कहते हैं। मैं कहता हूँ कि भारत सरकार क्या नहीं कर रही है? आप जिस देवघर की बात कर रहे हैं कि देवघर में पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं, उस देवघर में बिल्कुल देश और दुनिया के लोगों की आस्था है। लेकिन उस देश और दुनिया की जिनकी आस्था है, जिस देवघर की आप झारखंड में बात करते हैं, वहाँ हवाई अड्डा देने का काम इसी कांग्रेस और यूपीए सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे। ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: उसके लिए झारखंड सरकार ने कहा था कि 50 करोड़ रुपये देंगे। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: लेकिन अभी तक नहीं दिया। ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अरे! इस तरीके से हमने तो नही देखा, कम से कम भारत का संस्कार है। अगर कहीं सिविल एयरपोर्ट मिल गया हो, वह हिन्दुस्तान से एयर सर्किट पर जुड़ गया हो उसके लिए कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपये दिया है। एक एयरपोर्ट कितने का बनता है इनको अंदाज़ है?

श्री निशिकांत दुबे: हाँ, अंदाज़ है।

श्री जगदम्बिका पाल: कितना अंदाज़ है?

श्री निशिकांत दुबे: 350 करोड़ रुपये।

श्री जगदम्बिका पाल: उसमें से 50 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं और उसमें अभी तक झारखंड सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है। ...(व्यवधान)

अभी आप टूरिज़्म में मैगा प्रोजैक्ट्स की बात कर रहे थे। आज भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने अगर मैगा प्रोजेक्ट में 40 करोड़ रुपये भी दिए तो उस मैगा प्रोजैक्ट में जो कार्यदायी संस्थाएँ होती हैं वे राज्य की होती हैं। ...(व्यवधान) मैं कहता हूँ मेरे कपिलवस्तु में भी पाँच करोड़ रुपये ही दिये। आप मुझसे ज्यादा ले गए। लेकिन आज तक राज्य सरकार यह तय नहीं कर पा रही कि हम किस कार्यदायी संस्था से काम कराएँ। इसके लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार है। आप भारत सरकार को बधाई दीजिए। पर्यटन स्टेट का सब्जैक्ट है, एजुकेशन कनकरैन्ट का सब्जैक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जैक्ट है। हम राष्ट्रीय कृषि विकास नीति के अंतर्गत पर्याप्त पैसा दे रहे हैं, विभिन्न योजनाएँ दे रहे हैं। आप यह तो देखिये कि हमने वार्षिक

परिव्यय को कितना बढ़ाया है। आप कह रहे हैं कि वार्षिक परिव्यय घटा दिया जबकि इस बार हमने 6 प्रतिशत वार्षिक परिव्यय बढ़ाया है। इसी तरह से हमने इनके स्टेट प्लान को बढ़ाया है। हमने हर चीज़ में वृद्धि की है। मैं कहता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? अगर पैसा भारत सरकार से गया और भारत सरकार से ये पैसा खर्च न कर पाएँ या यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट न दे पाएँ तो जब तक यूसी नहीं देंगे, तब तक दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। इनको पिछले मुख्य मंत्री को कहना चाहिए था कि पैसा भारत सरकार से जा रहा है और उसमें पैसा एक्सलरेटेड इंटीग्रेटेड बैनिफिट स्कीम में गया। आप जानते हैं कि एआईबीपी का जो पैसा था, वह आप खर्च नहीं कर पाए। आप चैकडेम की बात कर रहे हैं। हमने इस बार बजट बढ़ाया है और चैकडेम बनेंगे। आप निश्चित तौर से संतुष्ट होंगे। आपको आश्वासन मिल गया है कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे। हम सब यह मानकर चल रहे थे कि शायद दो-चार-छः महीने राष्ट्रपति शासन का मिल जाएगा तो जो कमियां हैं, जो कूड़ा-करकट है, वह साफ हो जाएगा। लेकिन आप चुनाव चाहते हैं तो ठीक है चुनाव में चलिए। आपने पिछले दस सालों में राज्य में सोशल ऑडिट नहीं करवाया है। आपने किसी विभाग का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। आप कहते हैं कि विधान सभा भंग कर दीजिए। विधान सभा को भंग करने की सिफारिश चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री ही कर सकता है। जब झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार अल्पमत में आ गयी। बीआरजीएफ की द्वितीय किश्त क्यों नहीं गयी? निशिकांत जी आप पता कर लीजिए, बीआरजीएफ की दूसरी किश्त इसलिए नहीं गयी क्योंकि उसकी यूसी नहीं आयी थी। झारखण्ड आज कृषि में, सिंचाई में, मॉयनोरिटीज़ में, जिस मॉयनोरिटीज़ के साथ पक्षपात होता रहा, पहली बार मायनोरिटीज़ के लिए हमने पैसे की बढ़ोतरी की है। हमने सिंचाई में भी बजट बढ़ाया है। इसी तरह से शिक्षा में भी है। आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि जो आपकी सरकार को करना चाहिए था, वह आपकी सरकार ने नहीं किया, आज वह राष्ट्रपति शासन में होने जा रहा है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इस पैसे का इस्तेमाल हो जाएगा।

महोदय, इन्होंने बच्चों को टेबलेट बांटने की घोषणा कर दी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया समाप्त कीजिए। इस बिल को पास करना है। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल है।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं एक मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा। 15 नवम्बर, 2012 को इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि झारखण्ड के बच्चों को टेबलट देंगे। नवम्बर में रहे, दिसम्बर में रहे, जनवरी में रहे...(व्यवधान) जनवरी में ही तो राष्ट्रपति शासन लगा।...(व्यवधान) आप ढाई महीने में आप टेबलेट नहीं दे सके।...(व्यवधान) डेढ़ महीने में कैबिनेट में नोट नहीं जा सका।...(व्यवधान) आपमें सरकार चलाने की कोई

क्षमता नहीं है।...(व्यवधान) इन्होंने झारखण्ड के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। डेढ़ महीने में कैबिनेट नोट नहीं जा सका।...(व्यवधान) डेढ़ महीने में कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ। ...(व्यवधान) आज तो इनको और इनकी पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए।...(व्यवधान) जबकि हम आकाश के माध्यम से टेबलेट दे रहे हैं। अभी हमने कैबिनेट सैक्रेटरी को भेजा और उन्होंने रांची में मीटिंग की। भारत सरकार के कैबिनेट सैक्रेटरी अपने सभी सैक्रेटरीज़ को ले गए कि झारखण्ड के विभिन्न विभागों में जो पैसा दिया गया है, वह खर्च क्यों नहीं हो रहा है? योजनाएं पूरी क्यों नहीं हुई? उनकी सारी फीडबैक लेकर आए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप अपना नोट वापस लीजिए और इसको सर्वसम्मति से पास कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड बजट अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं सम्मानित सदस्य निशीकांत दूबे जी और पाल साहब को विस्तार से सुन रहा था। इस बीच मैंने देखा कि पुरानी सरकार की उपलब्धियों का और राष्ट्रपति शासन की उपलब्धियों की चर्चा बडे. विस्तार से पाल साहब ने की। अपने आप में यह बात सही है कि झारखण्ड पूरे देश की शान है। यहां इतनी प्राकृतिक सम्पदा है, कोयला, यूरेनियम, बाक्साइट है। यह पूरे देश की एक तरह से देखा जाए तो धरोहर है। यह भी बात सत्य है कि वहां पूर्व में जितनी भी सरकारें चली हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां मैक्सिमम रही है। अगर चुनी हुई सरकार वहां से हटती है और एक वर्ष में चार-चार गवर्नर बदले जाते हैं तो यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी निशिकांत जी कह रहे थे कि 90,000 करोड़ रुपया घटाया गया है। यह गलत बात है। दूसरी तरफ इन की यह भी मांग है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्ज़ा दिया जाए। पहली बात तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी किसी भी राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं रही है। अगर किसी परिस्थिति में राज्य का विभाजन हुआ है तो ऐसे राज्यों के उत्थान के लिए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के उत्थान के लिए विशेष राज्य का दर्ज़ा देना अति महत्वपूर्ण है। मैं इस की सिफारिश करता हूं।

अभी बड़े विस्तार से बात हो रही थी कि जो हमारे बीपीएल हैं, अति पिछड़े हैं, जिन का जीवन-स्तर बहुत ही निम्न है, वहां भी बजट कम दिया गया है। मेरे ख्याल से बीपीएल का रिव्यू हो रहा है। फिर से बीपीएल की सूची बन रही है। बी.आर.जी.एफ. के बारे में बात हुई। पहले तो इसे राष्ट्रीय सम विकास योजना कहते थे। बी.आर.जी.एफ. में पैसा इसलिए जाता है कि उस जिले का उत्थान हो।

जहां तक हेल्थ की बात की गयी है तो मेरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो आप 108 नंबर पर टेलीफोन कीजिए, मुश्किल से पांच मिनट के अंदर वहां एम्बुलेंस पहुंच जाती है। यह व्यवस्था होनी चाहिए। आज ज्यादातर ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है जिन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं तो वे दम तोड़ देते हैं। इन तमाम योजनाओं को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। संविधान में यह है कि सब को शिक्षा, सब को स्वास्थ्य और सब को रोज़गार मिले लेकिन आज भी देश को आज़ाद हुए पैंसठ वर्ष होने के बावजूद भी हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। इन्होंने हॉस्पीटल की बात कही। वहां हॉस्पीटल होने चाहिए। अगर रेशियो देखा जाए तो वहां के बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में एनीमिया अर्थात् हेमोग्लोबिन की कमी है। ऐसे अवसरों पर देखना चाहिए कि जो राज्य पिछड़े हैं वहां पर मेडिकल की सुविधाएं हों, एम्बुलेंस हों, तमाम डॉक्टर्स हों। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर के अच्छे-अच्छे निवास हों, नर्सेज हों और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए तभी वह राज्य विकास कर सकता है।

एजुकेशन के मामले में मॉडल स्कूल की बात कही जा रही है। केन्द्र सरकार ने 203 मॉडल स्कूल खोलने की बात कही है। ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं और खासकर ऐसे जो ब्लॉक्स हैं जहां पर एजुकेशन न के बराबर है, ऐसे जिलों का चयन कर के वहां पर मॉडल स्कूल खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि देश के जितने भी ब्लॉक्स हैं, क्षेत्र पंचायत हैं वहां पर एक-एक मॉडल स्कूल खोलना अति आवश्यक है। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वहां पर स्कूल भवन नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, यह केवल झारखंड की बात नहीं है बल्कि अन्य राज्यों की भी बात है। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान में हर साल बजट बढ़ा रहे हैं तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर जो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जिन के सिर पर छत नहीं है, जो घर से टाट-पट्टी ले कर जाते हैं और उस पर बैठ कर पढ़ते हैं तो वहां पर टीचर्स और भवन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक प्राविधिक शिक्षा की बात कही गयी है, जिस क्षेत्र में आई.टी.आई. या पॉलिटेक्नीक नहीं खुले हैं उस क्षेत्र के तमाम युवक रोज़गार से बिल्कुल वंचित हैं। उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। अभी कल ही जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो कौशल विकास के बारे में आप ने कहा कि हम पचास लाख रुपये या साठ लाख रुपये महिलाओं को, नवयुवकों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर पॉलिटेक्नीक और आई.टी.आई. की व्यवस्था हो। हमारी जो शिक्षा है वह रोज़गारपरक होनी चाहिए। आप को शिक्षा को रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा तभी हम कौशल विकास में आगे बढ़ पाएंगे।

ग्राम विकास में पी.एम.जी.एस.वाई. की बात कही गयी। जो पिछड़े और रिमोट एरिया हैं, अगर वहां पर हमारी सड़कें दुरूस्त नहीं हैं तो वह क्षेत्र कभी विकास नहीं कर सकता। यह बात सही है कि जो राज्य बॉर्डर पर हैं, जो नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं, वहां पर भी कानून-व्यवस्था के नाम पर आप को अलग से बजट देना चाहिए।

पर्यटन में देवघर, पारसनाथ आदि तमाम ऐसे पर्यटन स्थलों की बात आप ने कही है। वहां पर ऐसे संसाधन जुटाने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, कि वहां टूरिस्ट आए और वहां का राजस्व भी बढ़े।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए।...(व्यवधान) पावर प्लांट होना चाहिए, राज्य अपने ऊपर निर्भर हो सके। दूसरी बात पंचायत के चुनाव की है, जो मेन मुद्दा है। अगर पंचायत के चुनाव नहीं हुए तो मेरे ख्याल से गांव का विकास नहीं होगा, राज्य और देश का विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर पंचायत के चुनाव कराए जाएं। ...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: हो चुके हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: वह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। निशिकांत जी और तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि वहां का डेवेलपमेंट हो।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही गंभीर मसले पर पिछड़े हुए राज्यों के भविष्य के विषय में संसद में चर्चा हो रही है। जब संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो सिर्फ देश के ही लोगों की नजर नहीं रहती, बल्कि कुछ मुद्दों पर विदेशों की भी नजर रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब झारखंड बनने की घोषणा हुई, मैं वहां विधान सभा में सदस्य के रूप में मौजूद था। उस समय अखंड बिहार था। सच यही है कि हमारे आदरणीय सांसद इन्दर सिंह नामधारी जी भी उसी विधान सभा के तत्कालीन सदस्य थे। जब विधान सभा में यह घोषणा हुई कि झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड हमसे अलग हुआ, झारखंड के सभी सम्मानित विधायक हमसे अलग हो जाएंगे, तो एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विधान सभा में जब विदाई समारोह का आयोजन चल रहा था तो वहां का दृश्य काफी मर्मात् था। ऐसी दर्दनाक स्थिति थी, कि उस समय के तत्कालीन विधानसभा के सदस्य इन्दर सिंह नामधारी जी, जो आदरणीय सांसद है, वहां मौजूद थे। मैं यह कह सकता हूं कि इतना दर्दनाक दृश्य था कि कई-कई विधायकों की आंखों से आंसू छलक रहे थे। वहां कुछ लोग अपनी वेदना, व्यथा को सुना रहे थे, कि इस झारखंड के बनने के बाद कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब झारखंड का निर्माण हुआ, जिस समय झारखंड राज्य बना, उस समय हिन्दुस्तान की सर्वोच्च पंचायत में एनडीए की सरकार थी। इसी संसद भवन में एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार ने उस पिछड़े हुए राज्य की काफी मदद की। उनकी मदद से पूरे देश में यह चर्चा होने लगी और मैं तो सट्टे हुए बिहार, झारखंड का सहोदर भाई रहा हूं। मुझे मालूम है कि ऐसी चमक सड़कों पर आई, शासन-प्रशासन में इतना परिवर्तन हुआ, लोगों को लगा कि वास्तव में झारखंड बनाने का जो उद्देश्य था, कि यहां के लोगों की गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी एवं बेरोजगारी मिटेगी। निश्चित तौर पर वहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वह देखने को मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2004 तक तो विकास की गाड़ी काफी तेजी से चली। जब हम लोग विधायक बन करके बिहार की सड़कों से गुजर करके सामने झारखंड के दरवाजें पर पहुंचते थे, जहां एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि झारखंड आपका स्वागत करता है। उन सड़कों पर चलने में नींद आ जाती थी। जब कहीं दूसरे राज्यों से झारखंड होकर निकलते थे, झारखंड की सीमा जहां प्रारम्भ होती थी, अंत तक आरामदायक लगता था। लेकिन जैसे ही दूसरे राज्यों में प्रवेश करते थे, नींद टूट जाती थी, बिहार में हिचकोले मारने लगती थी। लेकिन 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, पैसे काट लिए गए। गरीबी, बेबसी और लाचारी की जो सीमाएं थीं, उन सीमाओं में कोई कटौती एवं कमी नहीं आई। वहां के करोड़ों नौजवान, जिनके हाथों में ताकत है, अपनी

बूढ़ी मां को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर जवान पत्नी छोड़कर, छोटे-छोटे अबोध बच्चों को छोड़कर वे वहां से पलायन कर गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री भूदेव चौधरी : मैं उनका दर्द सुना रहा हूं, मैं अपनी व्यथा सुना रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति आपको मालूम है, 2005 में यू.पी.ए. की सरकार थी, फिर 2008 में यू.पी.ए. की सरकार थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर 2010 में और फिर 2013 में, 12 साल के क्रम में लगभग 8 बार मुख्यमंत्री बदले गये, 8 बार वहां के राज्यपाल बदले गये,

'जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।'

झारखण्ड ने जंगे आजादी में अपनी अहम भूमिका अदा की, झारखण्ड के बिरसा मुण्डा को कौन नहीं जानता, जो देश का एक ऐतिहासिक पुरुष रहा है, कौन नहीं जानता तिलका मांझी को, जिन्होंने अपने तीर कमान से अंग्रेजों के सिपाहियों को खदेड़ दिया, कौन नहीं जानता सिद्धू खांडू को, जिन्होंने लड़ते-लड़ते अपनी जिंदगी गंवा दी, अपनी जवानी गंवा दी, लेकिन प्रयास जारी रहा और झारखण्ड बन गया, लेकिन आज भी मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि वहां की गरीबी, बेबसी और लाचारी में कोई कमी नहीं आई है।

आज भी वहां के 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पैदा होते ही वे बीमारी के गर्त में चले जाते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, कितनी ही मां-बहनों का तो गर्भपात हो जाता है, वहां आज भी 70-80 प्रतिशत महिलाओं के शरीर में खून नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं तो कम उम्र के पैदा होते हैं। जंगल और जमीन, इसके अलावा तो झारखण्ड में कुछ है नहीं, लेकिन मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद देश को बनाने में आधी ताकत झारखण्ड और बिहार की लगी है। इस देश में सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा, कोयले की खदान, लोहे का पहाड़, अभ्रक की भरमार है। झारखण्ड और बिहार की धरती से दूसरे राज्य विकसित हो गये हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आजादी के बाद देश में विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ, लेकिन जिस भारतीय जंगे आजादी में वहां के लोगों ने अपनी जवानी दे दी, कुर्बानी दे दी, उस बिहार और झारखण्ड की उपेक्षा होती रही, इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए यह आग्रह करता हूं, वहां की जनता की जिज्ञासा, इच्छा और अपेक्षा है, मैं अपने स्तर से प्रतिनिधि चुनाव करूं। आज बहुत दुख और भारी मन के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस बजट की चर्चा राज्य की विधान सभा में होनी चाहिए, वह चर्चा यहां हो रही है, यह मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आज यह विनती करना चाहता हूं,

आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र जिंदा तब रहेगा, जब जनता के माध्यम से चुन कर सरकार बनेगी, इसलिए मेरी अपील है और मेरी गुज़ारिश है कि वहां राष्ट्रपति शासन को हटायें, राष्ट्रपति शासन को हटा करके वहां लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करायें। वहां विधान सभा फिर से शुरू हो और लोगों की इच्छा और आकांक्षा पूरी हो सके, वरना मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूंः:

'छेड़ने से मूक भी वाचाल हो जाता है, टूटने पर शीशा भी काल हो जाता है,
इस तरह गरीब राज्य को मत सताओ, वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।'

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम): उपाध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और मेरा जो क्षेत्र है, वह झाड़ग्राम पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी है। उसके साथ झारखण्ड प्रदेश है, वह पड़ौसी प्रदेश है, मेरे क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज झारखण्ड बजट के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके पहले तो जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ है। उसकी जब चर्चा हो रही थी तो उसमें हम भाग नहीं ले सके। हम तो राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए मैं भी राष्ट्रपति शासन का वहां विरोध करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव का प्रोसैस शुरू किया जाये, ताकि चुनी हुई सरकार झारखण्ड राज्य को संभाल सके, वहां राज कर सके और बजट पर भी वहां चर्चा हो सके।

लेकिन मेरा कहना है कि झारखण्ड स्टेट जैसा लग रहा है कि वहां पैराडॉक्सीकल सिचुएशन है। एक तरफ खनिज सम्पदा जो है, आयरन ओर है, कोयला है, और भी मिनरल्स ज्यादातर वहां पर हैं और दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमेंट आप देखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादातर वहां है और भुखमरी भी है और बेरोजगारी भी है। ऐसी हालत है और उस स्टेट में ज्यादातर आदिवासी लोग, करीब 70 लाख से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। वे वहां करीब 25 परसेंट हैं और आदिवासी लोगों के लिए पीने का पानी भी नहीं है, जाने का रास्ता भी नहीं है, रहने को मकान भी नहीं है तो वे लोग कहां जाएंगे। इसीलिए तो नक्सलवाद पैदा हो जाता है, फैल जाता है और इसी को हमें भुगतना पड़ रहा है कि पिछले दो-तीन वर्षों में देखा है कि नक्सलवाद बंगाल में भी फैला हुआ है, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मेरा जो क्षेत्र है, बांकुरा है, पुरुलिया है, करीब 500 लोगों की नक्सलियों ने, माओवादियों ने वहां हत्या कर दी है और उनमें ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग हैं। झारखण्ड स्टेट में भी करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां झारखण्ड राज्य में माओवादी फैल गये हैं। इधर हम देखते हैं कि 65 हजार जो लोग हैं, वहां से उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि, जमीन से उन लोगों को हटा दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय यहां हैं, आप जानते होंगे कि माइनिंग प्रोजैक्ट के लिए जो सारन्दा प्रोजैक्ट है, उसमें कितना फोरैस्ट लैंड डाइवर्ट हो गयी है, 88.650 हैक्टेयर लैंड डाइवर्ट हो गई है। जिन्दल स्टील एण्ड पावर प्रोजैक्ट के लिए 500 हैक्टेयर लैंड और सेल के लिए 210, कुल मिलाकर के 799 हैक्टेयर फोरैस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पुलीन बिहारी बासके : उन आदिवासी लोगों को हटा दिया गया है, बिना कोई मुआवजा दिये और वहां की जो सिचुएशन है, जो हमारे यहां बहुत सारी नदियां हैं, छोटा नागपुर से आती हैं, चण्डेल डैम है और

बहुत सारे डैम है, बारिश के समय बाढ़ आती है, इससे हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि, सूखे इलाके को फायदा मिलेगा, इसलिए यह भी देखना पड़ेगा। जो फोरैस्ट एक्ट का कानून है, वह भी प्राथमिकता से लागू हो, यह भी देखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पुलीन बिहारी बासके : बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं, लेकिन मैं यह मांग करता हूं कि जो यह टीका-टिप्पणी हो रही है, चाहे एन.डी.ए. के भी जो लोग हैं और इधर के भी लोग हैं, वहां जो घोटाला है, सबसे ज्यादा करप्शन वहां हो रहा है। मनरेगा के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में भी बहुत बात हुयी है। यहां करप्शन बंद किया जाए। आज जिस तरह से यहां बहस हो रही है, हम कहना चाहते हैं कि झारखंड नया-नया स्टेट बना है, वहां करीब आठ मुख्यमंत्री हुए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पुलीन बिहारी बासके: वहां करप्शन को खत्म किया जाए। जहां तक झारखंड के विकास का सवाल है इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं इसके लिए मांग करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here today to speak on the State Budget of Jharkhand. Shri Nishikant Dubey ji has elaborately dealt with the issues relating to Jharkhand. The day the Bill was moved to create Jharkhand State on 14th November, 2000, I was a witness to that in this House. At that time, from our Party, a senior Member had commented that Odisha was created out of Bihar-Odisha province on 1st of April, 1937. At that time, we were very happy. Subsequently, it led to the formation of the province of Odisha in 1948 with the amalgamation of all princely States. Yet, two princely States went back to Bihar. At that time, one of our senior Members on 14th November, 2000 had said that it was in 14th November, 1948 that the first princely State was annexed to Indian Union. That was called Nilgiri. Again on 14th November, providence has played a role that those two princely States which were taken forcibly to Bihar in 1948 has again been bifurcated from Bihar. So, while hearing Shri Bhudeo Choudhary today about what had occurred on that day, I still recollect that speech of Shri Kanungo who had narrated that incident.

I would delve into only two issues here. One is the formation of small States. Is it beneficial for our country or not? The Bhartiya Janata Party is of the opinion that more the smaller States are created, it is better for the nation. I am of the opinion that in some aspects, creation of smaller States has brought in development of our nation. But not in political sphere, it has not created that much of stability in those regions. The first State that was bifurcated was Punjab. Later on, Assam was divided into a number of States. That was also in the sixties when Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister. Subsequently, during Shri Atal Behari Vajpayee's time, three new States were formed. That shows us that if Uttarkhand can prosper, if Himachal Pradesh can prosper, why is Jharkhand in so much of political turmoil? The issue here is that it is in political turmoil because there is a fractured mandate always that is being reflected in different elections. Despite that, the two major national parties who are entrenched in Jharkhand, still

it is getting fractured mandate. Why is it so? Why is it happening? This is an issue which I think, all political parties should delve into and try to find out a solution.

We know that unless you have a stable political leadership in Jharkhand, if established leadership is proved in Jharkhand, then only we can get better results, better administrative set up. Whatever has been discussed till now, it will be wise to have that investment for development of Jharkhand. That is not happening. And our Party, the Biju Janata Dal has always been opposed to imposition of the President's Rule in any part of the country.

15.00 hrs.

Odisha has been a victim of that. Odisha had been a victim for three decades, 30 years, of fractured mandate. Subsequently, since 1980 Odisha progressed to get a stable mandate and for the last 30 years, we have a stable Government, be it of Congress or Biju Janata Dal or Janata Dal.

I think progress will be made but all the respective political parties have to live up to that situation and create a public opinion that for stability of Jharkhand, for progress of Jharkhand, we need a better mandate so that stable Government can be formed.

The Minister for Finance has assured us in this House that the intention of the UPA Government is not to continue it till the end of six months. Elections may take place in between but my only request to both the Bhartiya Janata Party and to the Indian National Congress is to create a political situation where you do not get a fractured mandate so that stable government can be formed.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामेश्वर बैठा, कृपया संक्षेप में मुख्य-मुख्य बिन्दु पर बोलिए क्योंकि समय थोड़ा कम है।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): महोदय, मैं झारखंड का हूं और यह झारखंड का बजट है तो संक्षेप में क्यों बोलवा रहे हैं। इसके लिए कम से कम दस मिनट का समय दिया जाए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समय कम है। आप शुरु कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय झारखंड का नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे झारखंड के बजट पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं पहले वित्त मत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजटीय भाषण में स्वीकार किया है कि झारखंड राज्य में जंगल है। यह खनिज-संपदा से भरा हुआ है। फिर भी, झारखंड आज गरीब है। इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे झारखंड को देखा और समझा है। मैं जयराम रमेश जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने मंत्री काल में अनेकों बार झारखंड का दौरा किया है और बड़े से बड़े हिस्से में घूम कर हमारे झारखंड के लोगों को देखा है। उसका एक प्रतिफल है कि उन्होंने हमारे झारखंड पलामू संसदीय क्षेत्र भंडरिया में जाकर साढ़े चार हजार इंदिरा आवास का आवंटन किया था। मैं कहना चाहता हूं कि बजट भाषण में जो पेश किया गया है वह झारखंड के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी मैंने निशिकांत दुबे जी का भाषण सुना, पाल जी का भाषण सुना, अभी कई और लोग भाषण देंगे। हम समझते हैं कि जब से झारखंड राज्य बना है तब से झारखंड राज्य आज भी वहीं पर है, जहां कल था। इसका कारण क्या है? हम समझते हैं कि इसका दो कारण है। झारखंड को स्वतंत्र अधिकार अधिकार का, स्वतंत्र निर्णय करने का कभी मौका नहीं दिया गया। अभी 18-18 महीने का समझौता सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोरचा, बीजेपी से समर्थन लिया तो क्या मात्र 18 महीने का है, नही। झारखंड की मूल समस्या, झारखंड में जो बीजेपी और जेएमएम दोनों के गठबंधन से जो सरकार चल रही थी उसमें हमारी कुछ शर्त थीं। निशिकांत दुबे जी को इस बात को बोल देना चाहिए कि वे शर्तें क्या थीं? वे आठ प्वाइंट्स थे। मैं झारखंड का विकास चाह रहा था। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री कामेश्वर बैठा : मैं दो बातें बोलना चाह रहा हूं। आज तक झारखंड का विकास नहीं हुआ है।

हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपने जो बजट पेश किया है चाहे वह सिंचाई के सवाल पर, रोड के सवाल पर, स्वास्थ के सवाल पर, मैं अपने पलामू संसदीय क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान

आकृष्ट कराना चाहूंगा। आज हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के हालात क्या हैं, वहां की दीन-दशा कैसी है। हम समझते हैं कि यही दीन-दशा झारखंड के बड़े हिस्से में है। अगर आपने कुछ पैसा दिया भी है तो मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा। मैं जेएमएम का सांसद जरूर हूं, लेकिन बजट में जितना पैसा गया, उस समय जो मंत्री रहे, चाहे * आदि सब अपने-अपने क्षेत्र में पैसे ले गए, पूरे झारखंड में पैसे वितरित नहीं किए गए। अगर आज देखेंगे तो रोड ... * के क्षेत्र में बनी है, ... * के क्षेत्र में बनी है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, कृपया उनका नाम नहीं लिया जाए।

...(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। हमें झारखंड के बारे में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। मैं पलामू का सांसद हूं। मुझे कम से कम पलामू संसदीय क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताने दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: हमारा संसदीय क्षेत्र जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। पलामू संसदीय क्षेत्र में नक्सलवाद है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी, श्री जयराम को कहना चाहता हूं कि झारखंड खासकर जो अति पिछड़ा क्षेत्र था, अति उग्रवाद क्षेत्र था, वहां एक आईआईटीएफ योजना चलाई गई थी। वह योजना बंद हो गई।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा : कैसे समाप्त कर दें। हमें बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को अपनी बात लिखकर दे दीजिए और समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: अपनी बात समाप्त करके मैं बैठूंगा। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित किया गया है। मैं झारखंड का सांसद हूं। मुझे वहां के बजट के बारे में बोलना है और आप कह रहे हैं कि समाप्त कीजिए।...(व्यवधान) हमें बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम मत लीजिए। श्री नामधारी जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: आपने मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना के लिए ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए और समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 का झारखंड बजट प्रस्तुत किया है। मैं इनके बजट भाषण को पढ़ रहा था। मैं कुछ बिंदुओं पर सहमत हूं और कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं हूं।

> "It is with deep regret that I am constrained to say that the promises made twelve years ago remained unfulfilled."

I agree. आपने यह ठीक कहा कि बारह सालों के बाद भी वहां के लोगों की जन-आकांक्षाएं पूरी नहीं हुईं।

> "Hon. Members are aware of the recurrent political instability, governance deficit and collapse of institutions that plagued the State in the previous two stints of President's rule. We tried, in whatever little time we got, to bring some order in a chaotic situation. "

I differ. Very humbly I want to say that I differ with this. … (*Interruptions*) I will complete it. He has further stated:

> "And put the State back on the path of development, we have achieved only limited success."

Why have you achieved only limited success? It is because there were some flaws in the President's rule also. I do not want to name the Governors who indulged in foul play.

> एक पतंगे की क्या इतनी हिम्मत कि खुद-ब-खुद आग में कूद जाए
> हाथ है कुछ क्षमा का भी इसमें, खुद से परवाना जलता नहीं।

राष्ट्रपति शासन केवल एक बार नहीं हुआ, चार बार हुआ। राष्ट्रपति शासन में कैसे-कैसे काम किए गए, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। कम से कम उसकी पुनरावृति न हो। मुझे शंका है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन आपने हाउस को आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव करवाना चाहते हैं। आपके इस कथन पर मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हमने वे सीन देखे हैं। वर्ष 2009 में चुनाव के समय वहां पर राष्ट्रपति शासन था और राष्ट्रपति शासन में ऐसा सिद्ध किया गया कि चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना है, कर दो। वहां फ्री अनाज बांटा गया। यशवंत सिन्हा जी इसके गवाह होंगे। हजारीबाग और हमारे क्षेत्र चतरा में लाठीचार्ज हुए। …(व्यवधान) राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का शासन होता है। अगर कोई समझे कि यह एक पार्टी का शासन है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति, जो संवैधानिक मुखिया होता है, उसका भी आप अपमान कर रहे हैं। वहां फ्री अनाज बांटकर लोगों को आपस में लड़वाया गया क्योंकि

बीपीएल की सूची डिफेक्टिव थी। जो गरीब थे, उनको अनाज नहीं मिला और जो धनी थे, वे अनाज लेकर चले गये। जगह -जगह पर लाठीचार्ज हुए। सैंकड़ों-हजारों लोग जेलों में चले गये। यह भी राष्ट्रपति शासन में हुआ। मैं जयराम रमेश जी की बहुत कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं। ये झारखंड का खास ध्यान रखते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, यह मैं आपके कानों में डालना चाहता हूं।

आपने साढ़े चार हजार इंदिरा आवास दिये, यह बड़ी अच्छी बात थी। भंडरिया एक ऐसा प्रखंड है, जहां का मैं छः बार विधायक रहा हूं। वह गढ़वा जिले में पड़ता है, लेकिन डाल्टेनगंज का पार्ट है। साढ़े चार हजार, अभी कामेश्वर बैठा जी ने भी कहा, लेकिन साढ़े चार हजार आवास बांटते समय वहां क्या ड्रामा हुआ? वहां के सांसद को सूचना नहीं दी गयी और जो निलंबित विधान सभा है, उसके विधायक के हाथों से यह कहकर दिया गया कि मैं पैसा लाया हूं, मैं इंदिरा आवास लाया हूं। जयराम रमेश जी, यह कौन सा सीन क्रिएट कर रहे हैं? ...(व्यवधान) यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं उसे आपके कान में डाल दूं। आपकी मंशा शुद्ध हो सकती है। आप झारखंड के लिए यज्ञ कर रहे होंगे, लेकिन इस यज्ञ से लोगों के हाथ जल रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं एकदम संक्षेप मे बोलूंगा। मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा है। उसे पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि

"….to put the State back on the path of development.
We achieved only limited success."

Why was there a limited success? I am trying to describe it. इसलिए अगर आप जल्दी चुनाव करवा दें, तो अच्छा है, क्योंकि दो महीने का टाइम कम नहीं होता। वहां कोई पार्टी आकर क्लेम नहीं कर रही है कि हमें सरकार बनाने दीजिए। लेकिन जब कोई पार्टी क्लेम नहीं कर रही है, तो क्या आप इंतजार करते रहेंगे कि आओ। इसका मतलब यह लगेगा कि आप इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से वहां पर शासन करना चाहते हैं, क्योंकि 12 सालों में कांग्रेस को वहां शासन करने का मौका नहीं मिला। इसलिए राष्ट्रपति शासन को आप कांग्रेस का शासन बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह से निलंबित विधान सभा के विधायक एक-एक व्यक्ति के पास बैठकर चार-चार हजार इंदिरा आवास बांटेंगे ...(व्यवधान) मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ। डीसी और वहां के जो अफसर थे, वे वहां गये। उन्होंने केवल काम शुरू किया, एक-दो आवास बांटे ...(व्यवधान) फिर उसे निलंबित विधायक पर छोड़कर चले गये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मेरा कहना है कि अगर सिटिंग एमपी हैं, तो क्या उनका हक नहीं है कि वह उस कार्यक्रम में जायें। ...(व्यवधान) Why are they not invited? … (*Interruptions*)

श्री यशवंत सिन्हा: आप यह बताइये कि हम जो सांसद हैं, उन सबको एक बार भी राज्यपाल महोदय ने निमंत्रण दिया कि आइये, हम झारखंड के बारे में आपसे विचार-विमर्श करना चाहते हैं। क्यों नहीं वे झारखंड के सारे सांसदों को बुलाते? जो मंत्री हैं, वे उन्हें क्यों नहीं बुलाते? आप उन्हें बुलाइये। ...(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश: मैं रोज उनसे मिलता रहता हूं। झारखंड के सांसदों से रोज मिलता हूं। ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: रोज मिलते हैं, इंडीविजुअली मिलते हैं। आप सबको एक साथ बुलाइये। एक बार आपने बुलाया था, लेकिन उसके बाद नहीं बुलाया। ...(व्यवधान)

श्री इन्दर सिंह नामधारी: उपाध्यक्ष महोदय, दिल में ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो मैं इनके चैम्बर में गया था। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसे आज पास भी करना है इसलिए आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि झारखंड की कैसे उपेक्षा होती है? मैं इनके चैम्बर में गया और कहा कि पिछले दो दशकों में हमने जितने नजदीक से उग्रवाद को देखा है, उतना शायद कोई अफसर आपको नहीं बता सकेगा, कोई डीजीपी नहीं बता सकेगा। जो मैं आपको बताता हूं। एक रोड है, मनातू में, जो पलामू जिला में पड़ता है और प्रताप पुर, जो चतरा जिला में पड़ता है, यदि इसे जोड़ दें, तो चार जिलों में 50 प्रतिशत उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मुझे लिखित रूप में आश्वासन दिया कि I am including it in the RRP – Phase II. लेकिन इनके लिखित आश्वासन के बाद भी आज तक वह सड़क पास नहीं हुई। यदि वह सड़क बन जाती, मैंने चिदम्बरम साहब से यह भी आग्रह किया था कि आप उस सड़क को बीआरओ से बनवा दें। उन्होंने कहा कि How? I will give money to the State. इस पर मैंने कहा कि स्टेट को देने के बाद भी वह सड़क बन नहीं पाएगी। आज संयोग से चिदम्बरम साहब और जयराम जी दोनों यहां बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बोल दिया, उन्होंने लिख लिया है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: एक तो मैं इंडिपेंडेंट मेम्बर हूँ, वैसे ही कम बोलता हूँ। मैं समय भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप सबसे अंतिम में दो मिनट का समय देंगे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं चिदम्बरम साहब को कि राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन रहने दीजिए। इस तरह से यदि नेकेड काम किये गये, तो मुझे शक है कि चिदम्बरम साहब ने जो कहा कि we achieved only a limited success. इससे भी कम लिमिटेड सक्सेस आपको राष्ट्रपति शासन में मिलेगी, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं चिदम्बरम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे झारखण्ड में जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। जब निशिकांत जी बोल रहे थे, तो मुझे हंसने वाली बात लग रही थी क्योंकि झारखण्ड में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी की सरकार रही है। वहां जितनी भी विफलताएं हुई हैं, उसमें वे लोग किसी भी तरह से उस सरकार में शामिल थे। पिछले साल 15 नवम्बर की बात है, एक विज्ञापन में निकला था, जिसमें वर्तमान झारखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री का फोटो छपा था। यदि उस विज्ञापन को देखें, तो उसमें लिखा है कि "विकास के पथ पर अग्रसर झारखण्ड, जमीन पर उठी हकीकत।" इससे बड़ा ... *

कहीं नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस असंसदीय शब्द को निकाल दिया जाए।

श्री अजय कुमार : इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती है। झारखण्ड की जो स्थिति है, वहां पर 80 प्रतिशत बच्चे और महिलाएं एनिमिक हैं। यदि आप देखें, तो 65 लाख लोग झारखण्ड से विस्थापित हुए। जहां तक हमारे दोस्तों का कहना है कि जितने ज्यादा एमओयू साइन हुए थे, सबसे ज्यादा एमओयू ...*की सरकार में साइन हुए। जिनमें गरीब आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की उन्होंने पूरी कार्रवाई की। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जरूरी याद दिलाना चाहूँगा कि 57 कोयला ब्लॉकों में से 27 कोयला ब्लॉकों का आवंटन ...* ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को आवंटित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री अजय कुमार: एक सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों ने पेंशन के बारे में की थी। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध होगा कि पेंशन का जो भार झारखण्ड पर पड़ा है, उसे पापुलेशन के आधार पर किया जाए। क्योंकि स्टेट का जब रिआर्गनाइजेशन हुआ था, तो स्टेट के पापुलेशन को आधार मानकर किया गया था और सिर्फ झारखण्ड में सरकारी पदाधिकारियों की संख्या लेकर किया गया था। आपसे अनुरोध है कि उसमें संशोधन किया जाए।

---

*Not recorded

15.19 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

झारखण्ड की स्थिति के बारे में जितना बोलूंगा, उतना ही कम होगा। आपसे अनुरोध होगा, वित्त मंत्री जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जयराम रमेश जी तो चले गए, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राईस को आदिवासी लोगों के लिए ध्यान दिया जाए। वित्त मंत्री महोदय ने केवल महिलाओं के लिए एक स्पेशल बैंक के गठन की बात कही थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आदिवासी लोगों की प्रोग्रेस के लिए एक बैंक का गठन करने की आवश्यकता बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसे की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। झारखण्ड में न कोई एम्स है, न कोई आईआईटी है।

हम लोग बार-बार कहते हैं कि हम पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन यह अफसोसजनक बात है कि हमारे पास सिर्फ 20 वोकेशनल हायर सेकण्डरी इंस्टीट्यूट्स हैं जबकि आंध्र प्रदेश में 560 हैं, केरल में 500 हैं। इससे स्पष्ट होता है कि झारखण्ड को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां तक सर्वशिक्षा अभियान की बात है, कुछ पूर्वी गरीब राज्यों के लिए समस्या है। आप सर्वशिक्षा अभियान में 50-50 प्रतिशत समर्थन देते हैं। आप देखते हैं कि झारखण्ड में किसी भी स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। मैं वित्तमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए राज्य को भारत सरकार 75 प्रतिशत योगदान दे और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे। अभी तक सर्वशिक्षा अभियान में कभी झारखण्ड सरकार ने 50 प्रतिशत राशि देने का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि झारखण्ड एक ऐसा राज्य है जिसके लिए स्पेशल स्टेटस अनिवार्य है। पूरे देश में यही ऐसा प्रदेश है जहां 20 प्रतिशत लोग गांवों में कच्चे मकानों में रहते हैं और 70 प्रतिशत लोग शहर में कच्चे मकान में रहते हैं। अन्य किसी प्रदेश में इतनी खराब स्थिति नहीं है। अगर किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता है, तो वह झारखण्ड है। फाइनली, 75 लाख लोगों का विस्थापन होना आजाद भारत में सबसे ज्यादा दर्दनाक कहानी है। इसलिए मैं वित्तमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कहीं न कहीं से, कम से कम 15000-20000 करोड़ रूपये विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए देने के बारे में सरकार सोचे, नहीं तो यह अनर्थ झारखण्ड की जनता के साथ चलता ही जाएगा।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I am grateful to the 9 hon. Members, beginning with Shri Nishikant Dubey and ending with Shri Ajay Kumar, for participating in this debate.

As I said in my speech - which I did not read, but I laid on the Table of the House - Jharkhand was a State that held out great promise. It is a very rich State, but it has, perhaps, the largest proportion of poor people and, perhaps, the worst kinds of governance ever seen in India. There is no shame in admitting that. There were two spells of President's Rule. As I said, we tried our best. But I am not claiming that we had great success. In fact, I visited Ranchi and some parts of Jharkhand several times during that period. But I found that all the institutions had virtually collapsed. One had to build from the grassroots. That was not possible in President's Rule. It can only be built by a democratically elected Government that is devoted to the welfare of the people with the full cooperation of the MLAs and the MPs.

Today we have presented a Budget. In 2009-10 also, when the President's Rule was there, we presented a Budget for the full year. But I will be the happiest person if an elected Legislature, after the Government is formed, amends this Budget. That is the right thing to do. But I am doing the best under the circumstances. I have had discussions with the senior officers as well as the Advisor. I have had talks with the other Advisor who deals with police and security matters. Both of them are fine officers. They will do their best to tone up the administration until elections are held.

I was rather surprised by the extraordinary effort Shri Nishikant Dubey made to defend the Governments and to defend his party. I suppose it is his *dharma* to defend his party. But I think all the King's horses and all the King's men cannot put humpty-dumpty together again.

Madam, I found to my great dismay that Jharkhand did not even have the practice of doing the Revised Estimates. The Budget Estimates will be the Revised Estimates. That was the kind of accounting culture that had come in Jharkhand.

Anyway, I have tried to correct them in the limited time available to me with the help of the Advisor.

I do not wish to make a long speech. There was a question about the AIBP. For example, under the Swarnarekha Multi Purpose Project, the funds released in 2011-12 were Rs. 335 crore. In 2012-13, we have not received any request from the Government of Jharkhand for release of funds. Whose fault is this?

SHRI NISHIKANT DUBEY: No.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I am telling them. They should not say no to everything that we say from this side. In 2012-13, we have received no request for release of funds.

Nevertheless, the Advisor has been told, money has been allocated. Today, we have released Rs. 309 crore as Central Assistance by the Budget Division. The Jharkhand Budget and Plan have never been fulfilled because they cannot raise their own resources nor can they utilize the resources that are devolved upon them by the Central Government. I do not wish to go into the numbers. All I can say is that I sincerely hope this spell of Governor's Rule is a short Rule.

My colleague, Shri Jairam Ramesh, has just had a word with Shri Yashwant Sinha. All the MPs from Jharkhand are invited to a meeting in Ranchi on the afternoon of 23rd March 2013 to advise the Government of India of how to proceed over the next few weeks or months until the election is held. The Governor will be invited, the Advisor will be invited and the meeting can take place as long as it wishes to, maybe two hours, three hours or four hours. I would request them to give their advice and we will try to run the Government in accordance with the advice of the Members of Parliament elected from Jharkhand.

With these words, Madam, I commend the Budget and wish that it is passed.

MADAM CHAIRMAN : I shall now put the Demands for Grants (Jharkhand) for 2013-2014 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account, shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 12, 15 to 27, 29 to 33 and 35 to 60."

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2012-2013 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account, shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 10, 16, 18 to 20, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 40, 41, 43 to 45, 48 to 51, 53, 54, 56 and 58."

The motion was adopted.

15.30 hrs

JHARKHAND APPROPRIATION BILL, 2013*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2013-2014.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2013-2014."

The motion was adopted.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I introduce** the Bill.

MADAM CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be taken into consideration.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I beg to move that the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2013-2014, be taken into consideration.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2013-2014, be taken into consideration."

The motion was adopted.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 15.3.2013

** Introduced with the recommendation of the President

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

______

<u>15.32 hrs.</u>

JHARKHAND APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2013*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2012-2013.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2012-2013."

The motion was adopted.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I introduce** the Bill.

MADAM CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be taken into consideration.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I beg to move:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2012-2013 be taken into consideration."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2012-2013 be taken into consideration."

The motion was adopted.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 15.3.2013

** Introduced with the recommendation of the President

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

___

15.34 hrs.

MOTION RE: THIRTY-SECOND REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

MADAM CHAIRMAN: Now, Item No. 15, Private Member's Business. Prof. Saugata Roy.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg to move:

> "That this House do agree with the Thirty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 13 March, 2013."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Thirty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 13 March, 2013."

The motion was adopted.

15.35 hrs.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) Formulation of an Action Plan to rehabilitate persons displaced from Pakistan – Contd.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदया, लगभग तीन महीने [illegible] 14 दिसम्बर को इस संकल्प पर चर्चा हो रही थी। मैं एक बार पुनः इस संकल्प को दोहराना चाहता हूं - पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे।

महोदया, इस संकल्प पर बोलते समय मैंने सदन के ध्यान में इस बात को लाने का प्रयास किया था कि पाकिस्तान में रह रहे हिन्दुओं के संबंध में पाकिस्तान सरकार जो कहती है और पाकिस्तान की सरकार उनके साथ जो व्यवहार करती है, उसमें बड़ा भारी फर्क है। मैंने यह बात बताने की कोशिश की थी कि यदि हम कहे पर विश्वास करेंगे और जो वहां हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम वहां के

हिन्दुओं के प्रति न्याय नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इसके अनेक उदाहरण हैं, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जो कुछ मानवाधिकार संगठन, जो पाकिस्तान के अंदर कार्य करते हैं, हालांकि उनकी आवाज बड़ी दबी हुई रहती है, उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जो उल्लेख किए हैं, उनमें भी इस बात की पर्याप्त चर्चा है कि पाकिस्तान के अंदर हिन्दुओं की स्थिति बहुत खराब है। उनको किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है।

महोदया, मुम्बई में सेन्टर फोर ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ एण्ड अवेयरनेस नामक संगठन काम करता है। उसने इसका व्यापक अध्ययन किया है। उसका निष्कर्ष यह है कि सामान्यत सम्पूर्ण पाकिस्तान के आम आदमी के अंदर इस प्रकार की भावना बैठायी गयी है, विभिन्न माध्यमों से, शिक्षा के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, संविधान में संशोधन के माध्यम से, ज्यूडिशियरी के माध्यम से, जो वहां का परसैप्शन है, वह यह है कि हिन्दुस्तान हमारा नंबर एक शत्रु देश है। हिन्दुओं का एक मात्र घर यदि कोई बचता है, तो वह हिन्दुस्तान बचता है, इसलिए हिन्दुओं के प्रति शत्रु भाव को लेकर वह व्यवहार करते हैं। मैं समझता हूं कि आज भी हमने जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है, वह इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान कुछ भी कहता है, वहां के नेता कुछ भी कहते हैं, कितनी भी सदाश्यता उनका स्वागत करने में हम दिखाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु उसके तौर-तरीके में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं, वह इसकी पुष्टि करती हैं।

महोदया, यदि मैं संक्षेप में वर्णन करूं तो हिंदुओं के खिलाफ जो वातावरण वहां है, उसके परिणामस्वरूप वहां महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। रिंकल कुमारी, आशा कुमारी के प्रकरण विश्व विख्यात है, इसे सभी लोग जानते हैं। मैं इंडिया टुडे का एक लेख आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। अप्रैल, 2011 को एक व्यक्ति श्री मेहरचंद यहां आए थे। वे अपने साथ लगभग 135 डिब्बे ले कर आए थे, जिनमें उन हिंदू लोगों की राख थी, जो वहां मरे थे, ताकि उनकी राख को यहां गंगा जी में प्रवाहित कर सकें। उन्होंने एक बात कही कि मेरी पत्नी वर्ष 2009 में केंसर से मर गई और अपने पीछे दो बेटियां छोड़ गई। पत्नी की मृत्यु के बाद एक सुबह मैंने पाया कि मेरी छोटी बेटी जो उस समय 16 साल की थी, वह गायब है। पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि वह अपने से उम्र में काफी बड़े गुंडे के साथ भाग गई है। वह रातों-रात इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हो गई। कुछ बुजुर्गों के हस्तक्षेप से मुझे उससे मिलने की इजाजत दी गई। वह रोते हुए मेरी छाती से चिपक गई। मुझे बिलकुल विश्वास नहीं था कि वह भाग गई है। वह गुंडा मेरी बेटी पर नज़र रख रहा था। मैंने बड़ी बेटी की शादी समय रहते कर दी थी और छोटी बेटी अभी बच्ची थी। काश मुझमें साहस होता और मैं अपनी बेटी के लिए लड़ पाता। स्थानीय पुलिस ने इसमें मेरी कोई सहायता नहीं की।

सभापति महोदया, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको ठीक से पढ़ पाना भी संभव नहीं हैं और जिनको सुनकर भी दिल दहलता है। इसी प्रकार से वहां हिन्दुओं के रीति-रिवाज हैं यानी यदि उनका कोई रिश्तेदार या कोई उनका परिवार में मरता है तो वे शवदाह नहीं कर सकते। किसी त्यौहार पर कोई शोभायात्रा नहीं निकाल सकते। पूजन नहीं कर सकते। यानी यह स्थिति वहां पर हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं उनको कोट करके अक्षरश: नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जो लोग वहां से भागकर आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि हम छोटा-मोटा काम करते थे। जो उनके मुस्लिम ग्राहक थे, उन्होंने यह सोचकर कि यह तो हिन्दू है, इसलिए इसका रुपया वापस देने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने उसका पैसा देना बंद कर दिया और उनकी पूंजी समाप्त हो गई और वे लुट-पिटकर भारत आ गये। यानी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से सब प्रकार से हिन्दुओं का उत्पीड़न वहां पर हो रहा है। दुनिया के अंदर मानवाधिकार संगठन हैं। हम स्वयं यानी भारत मानवाधिकारों के लिए बहुत लड़ता है। यदि किसी को कुछ संकट होता है तो हमारे प्रधान मंत्री जी को कई बार रात को नींद भी नहीं आती है। अच्छी बात है। इतना संवेदनशील होना चाहिए परंतु यह हैरत है कि हिन्दुओं की इस दशा के प्रति सरकार संवेदनशील क्यों नहीं होती? वहां जो हिन्दू हैं, मानवाधिकार यानी उनको जीवन का अधिकार नहीं है, विचारों की आज़ादी नहीं है, सम्पत्ति का अधिकार नहीं है और यहां तक कि न्याय प्राप्त करने की भी उनको छूट नहीं है, जैसे मैंने अभी एक प्रकरण में दो लड़कियों का जिक्र किया था। जो उनके प्रकरण से प्रकट होता है।

सभापति महोदया, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाईटेड नेशन्स ने रिफ्यूजी की एक परिभाषा दी है। मैं उस परिभाषा को पढ़ना चाहता हूं। इस परिभाषा में कहा गया है:

> "Refugees are people who are forced to flee from their countries because of threats to their life linked to their race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion."

यह यूनाईटेड नेशन्स के द्वारा दी गई शरणार्थी की परिभाषा है। मैं नहीं समझ पाता कि यह परिभाषा पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं पर लागू होती है या नहीं होती है लेकिन वे सरेआम उनको शरणार्थी मानने को तैयार नहीं हैं। यह सरकार उनके किसी भी सुख-दुख को समझने को तैयार नहीं है जबकि मैं इससे भी आगे जाकर एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिन्दू ये वो लोग हैं जो देश के विभाजन के समय हमारे नेतृत्व पर भरोसा करके वहां पर रह गये थे। उनका कोई

अपराध नहीं है। बाद में जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ और जो सारी बातें हुईं, उनके ऊपर भरोसा करके वो वहां पर रहे और यदि वे अपनी मूलभूमि के अंदर आना चाहते हैं तो शरणार्थी के नाते भी जो अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा है और मानवीय कर्तव्य के नाते भी तथा हमारे नेताओं के द्वारा दिये हुए वादे के अनुसार भी उनको सम्मान पूर्वक इस देश के अंदर जगह दी जानी चाहिए। ऐसा मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है।

मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि आखिर हम पाकिस्तान के व्यवहार को क्यों नहीं देखते? उसके कथन पर क्यों भरोसा करते हैं? मुझे लगता है कि कहीं हमारी सोच में वोट-बैंक की राजनीति घुसी हुई है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल हिन्दुस्तानी क्यों नहीं समझते? भारतीय क्यों नहीं समझते?

अभी अफज़ल गुरु का मसला हुआ। पहले हम उनको फांसी नहीं दे रहे थे। फिर हमने फांसी दे दी। वोट-बैंक के हिसाब से हमने अफज़ल गुरु को मुस्लिम माना। हम उसको केवल यह मानते कि उसने हमारे देश के प्रति अपराध किया है और नियम के अनुसार, कानून के अनुसार उसको उसके अपराध के लिए जो सजा होनी चाहिए, वह उसको मिलनी चाहिए। हम क्योंकि हिन्दुस्तान के नागरिक को हिन्दू या मुसलमान मानते हैं, हम क्योंकि वोट पर निगाह रखकर अपने फैसले रखते हैं और क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की चिंता करके हम वोट-बैंक में कोई वृद्धि नहीं कर सकते, संभवत: केवल इस कारण से पाकिस्तान का हिन्दू उपेक्षित है और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब तक सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी और जब तक हम अपनी मौलिक सोच को नहीं बदलेंगे कि एक तुष्टिकरण के लिए, एक वोट-बैंक की राजनीति के लिए ही हम किसी खास वर्ग की चिंता न करें, बल्कि यह सोचकर कि किसी खास वर्ग को भी हमारी तरह तकलीफ होती है, ऐसा सोचें। यह कैसे मान लिया गया कि यदि अफज़ल गुरु को फांसी दी गई तो सारा मुसलमान तबका नाराज हो जाएगा? यह बात सच नहीं है। कुछ लोग होंगे। ऐसे लोग सब जगह होते हैं। जब राजनीति या राजनीतिक निर्णय इस तरह के दबाव में होते हैं तो वोट बैंक की राजनीति के परिणामस्वरूप उन लोगों की चिंता भी नहीं कर पाते जिनकी चिंता करना हमारा कर्तव्य है।

महोदया, यही कारण है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच ही क्यों न हो, हमने इस विषय को नहीं उठाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, वूमेन राइट्स संगठन में कभी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दशा का संज्ञान ही नहीं लिया है क्योंकि हमने कभी मामला उठाया ही नहीं है। जबकि उनके लिए इन सब समस्याओं का बहुत ही फिटस्ट केस है, जिसका अध्ययन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की है। सार्क में पाकिस्तान भी है, हमने कभी इस मुद्दे को वहां नहीं उठाया। जैसा कि मैंने प्रारंभ में

कहा कि मानवाधिकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे नेतृत्व का भरोसा करके यदि वे आना चाहते हैं, उनकी चिंता करें। वहां के गृह मंत्री ने कह दिया कि वीज़ा गलत जारी किया गया। इस तरह की स्थिति में न वीज़ा दिया जाएगा और न सुख चैन से रहने दिया जाएगा तो उनकी चिंता कौन करेगा? हम इस बात को उठाएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन विषयों को उठाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसका संज्ञान लेंगे तभी इस समस्या का हल होगा।

महोदया, मैं कुल मिलाकर सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझे। पाकिस्तान में हिंदुओं को शरणार्थी के नाते जो वहां से भागकर आए हैं, उन्हें उचित रूप से नागरिकता प्रदान करें। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यदि वे सुरक्षित नहीं हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित जीवन दिया जाए।

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय सभापति महोदया, मैं अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं बल्कि इसलिए कि उन्होंने संसद में अपने क्षेत्र की समस्या को बहुत धीरजपूर्वक रेज़ किया है। यह हमारे लिए सीखने की बात है कि कैसे अपने क्षेत्र की समस्या के विषय को उठाया जाता है। मुझ से पहले माननीय सदस्य बीजेपी के बोले हैं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने बहुत से डिवाइसिव इश्यू उठाए हैं। अफजल गुरु, इसके साथ क्या ताल्लुक है? उन्होंने फिर वोट बैंक की बात की। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करने से समस्या हल नहीं होती है। मेरे ख्याल से यह समस्या मानवीय समस्या है।

महोदया, आप जानते ही हैं कि देश का बंटवारा हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ और पंजाब का बंटवारा हुआ। पंजाब में जनसंख्या का एक्सचेंज हुआ जबकि बंगाल में नहीं हुआ और बहुत से हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में रह गए। अभी भी बांग्ला देश में 90 लाख के करीब हिंदू हैं। कुछ ऐसे हिस्से थे जो पूरे पाकिस्तान में चले गए। ऐसा ही एक हिस्सा सिंध है, आडवानी जी जहां से आते हैं, कराची से और एक एरिया बहावलपुर एरिया है। सिंध का बंटवारा नहीं हुआ था इसलिए पूरा सिंध चला गया और यहां के लोग दिल्ली, मुम्बई में आए और अब ज्यादातर सिंधी लोग कपड़े का व्यापार करते हैं। मेघवाल जी ने जिस सवाल पर सबका ध्यान आकर्षित किया वह बहुत ही गरीब लोगों के बारे में है। भील और मेघावाल एससी लोग हैं। ये लोग लेजिटिमेट वीज़ा लेकर हिन्दुस्तान आए थे। ये पाकिस्तान नागरिक जरूर थे लेकिन यहां आकर वापस नहीं जाना चाहते थे। यह बात सही है कि पाकिस्तान में बहुत फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू बचे थे उन पर बहुत जुल्म हुए। इंडिया टुडे में 'हिन्दूज इन पाकिस्तान' बहुत बड़ा आर्टिकल निकला कि कैसे अत्याचार होता है। ये लोग वापस नहीं जाना चाहते थे, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। करीब 17,000 लोग खास तौर से जोधपुर में ट्रांजिट कैंप में रहते हैं।

मेघवाल जी के प्रस्ताव के मूल सवाल के अनुसार वह चाहते हैं कि इसे नॉर्मलाइज किया जाए। हमारे प्रांत में जो प्रॉब्लम थी, उसमें हम लाखों लोग इधर आये और वहां हमने कट ऑफ डेट 1971 रखी थी। बंगलादेश के जन्म तक हम कहते हैं कि 1971 कट ऑफ डेट है, लेकिन लोगों का आना-जाना बंद करना मुश्किल है, हमारा पोरस बार्डर है, इसलिए हम लोगों को आने से रोक नहीं सकते। लेकिन अभी भी हम बंगाल या आसाम में कानून के जरिये ठोस रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन जो बचे हुए 17 हजार लोग हैं, उनमें मैंने सुना है कि भील और मेघवाल में से कुछ लोग जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। ये सब हिन्दू हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं और नागरिक अधिकार की प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूं कि जब श्री मुल्लापल्ली

रामचंद्रन जी जवाब देंगे, वह एक मानवीय दृष्टिकोण वाले आदमी हैं और वे सोच-विचार कर इन लोगों की समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे।

यहां यूनाइटेड नेशंस कंवैन्शन वगैरह के बारे में बताया गया, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि रिफ्यूजीज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बांगलादेश में रोहिंग्या लोग भागकर आये हैं, वे मुसलमान हैं, जो म्यांमार में रहते हैं, वही लोग आते हैं। रिलीजियस परसीक्यूशन के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना एक पुरानी परम्परा है और यूनाइटेड नेशंस हाईकमिश्नर फॉर रिफ्यूजी हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि कितने ऐसे रिफ्यूजीज रिलीजियस परसीक्यूशन के लिए आये हैं। मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। श्री अर्जुनराम मेघवाल जी बीकानेर से सांसद है और ये लोग जोधपुर में अधिक संख्या में रह रहे हैं, क्योंकि जोधपुर एक बड़ा शहर है। आप जैसलमेर जाइये, वह भी बार्डर है, वहां भी जोधपुर से जाना पड़ता है। यदि बीकानेर जाओ तो भी जोधपुर से जाना पड़ता है। जोधपुर के आसपास ये लोग बसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ह्यूमेनिटेरियन दृष्टिकोण से इस समस्या का निदान किया जाए और मुठ्ठी भर लोगों को हिंदुस्तान में नागरिक अधिकार दिया जाए।

इन बातों के साथ मैं मेघवाल जी के प्रस्ताव का राजनीतिक दृष्टिकोण या वोट बैंक के कारण से नहीं, बल्कि ह्यूमेनिटेरियन दृष्टिकोण से समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदया, श्री अर्जुन मेघवाल जी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में ऐसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा आग्रह करती है कि उन्हें नागरिकता प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान अन्य सुविधाएं मुहैया कराये जाने के लिए सरकार योजना तैयार करे। ऐसा जो प्रस्ताव मेघवाल जी लेकर आये हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं और समर्थन देता हूं।

आजादी के समय हमारा देश एक अखंड हिंदुस्तान था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश का पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान और भारत तीन भागों में बंटवारा हो गया। तब ऐसा माना जाता था कि जो जहां चाहता है, वह वहां रह सकता है। तब बहुत से लोग पश्चिम पाकिस्तान से भारत आये, बहुत से लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये, लेकिन उस वक्त हजारों की संख्या में कत्ल हुए। जिनके कारण हमारी आजादी का जश्न दुखद बन गया। आजादी के समय पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू थे, लेकिन आज सिर्फ 18 लाख बचे हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ है, इसमें पहले 27 प्रतिशत हिन्दू थे, लेकिन अब सिर्फ दो प्रतिशत ही बचे हैं। पाकिस्तान से हिंदुओं का बढ़ता पलायन एक गम्भीर चिंता का विषय है। हमारे हिन्दू वहां से क्यों पलायन कर रहे हैं? वे अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं। वे अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे हैं, बल्कि मज़बूरी में हिंदुस्तान आ रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है। लड़कियों को किडनैप कर के ले जाते हैं और मुस्लिम युवकों के साथ उनकी शादी करवा देते हैं। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके कारोबार को बंद कर देते हैं। इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसकी वजह से वहां बसे हिंदू लोग भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको आने के लिए वीज़ा नहीं देती है। इसलिए वह तीर्थ यात्रा के नाम पर कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए, तब वे अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर हमारे देश में आते हैं। आने के बाद वे अपना दुख हमारे सामने व्यक्त करते हैं कि वहां पर हमारी कोई सलामती नहीं है। …(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : The time allotted for the discussion on this Resolution is over. If the House agrees, the time may be extended by one hour, including for the Minister's reply.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Madam.

MADAM CHAIRMAN: The time for the discussion on the Resolution is extended by one hour.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: हिंदूओं को वहां सुरक्षा नहीं मिल रही है। उनको लूटा जाता है। उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया जाता है। इन सब मुसीबतों की वजह से जब हिंदू हिंदुस्तान में आ जाते हैं, तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए। जो हिंदू पाकिस्तान से आते हैं, वे ज्यादातर राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के आस-पास आ कर बसते हैं। पहले वे हमारे देशवासी थे, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। हमारी मांग है कि उनको नागरिकों का अधिकार मिलना चाहिए और इस भूमि पर उनको रहने की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे सही ढंग से रह सकें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदया, मैं मेघवाल जी के रेज़लूशन के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश में सद्भावना और सौहार्द का वातावरण रहा है। हमारे देश ने दुनिया को आश्रय दिया है। हमारे ऋषियों की यह प्राथाना रही है कि -

"सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत।"

यहां सब की मंगल कामना की गई है। त्रेता युग में जब जनकपुरी में भीषण अकाल पड़ा, तब वहां की जनता अयोध्या में आ कर बसी। अयोध्यावासियों ने उनको आश्रय दिया। भारत ने तिब्बतियों को अश्रय दिया। जिस समय लंका अशांत था, लंका के निवासियों को, तमिल भाइयों को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भारत के अंदर आश्रय दिया। नेपाल में भी जब कठिन दौर चला तब नेपालियों को भी भारत ने आश्रय दिया। पाकिस्तान में वर्ष 2008 में 160, 2009 में 104, 2010 में 373, 2011 में 478 और अप्रैल, 2012 में 370 हिंदुओं को मार डाला गया। हाल ही में 9 जनवरी 2013 को पाकिस्तानी रेंजर दो भारतीय सैनियों के सिर काट कर अपने साथ ले गए। इस प्रकार का एक घिनौना वातावरण बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हमारे हिंदू भाइयों को निश्चित रूप से भारत में शरण मिलनी चाहिए।

हिंदू शब्द का उद्गम सिंधू शब्द से हुआ है। सिंधू घाटी के अंदर रहने वाले लोग, क्योंकि फ़ारसी के अंदर 'स' को 'ह' बोला जाता है, इसलिए सिंधू का न कह कर के उनको हिंदू कहा गया। हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है, उसका भी उत्खलन होना चाहिए। जिससे हम सब को यह पता चले कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। जिस समय हड़प्पा की सभ्यता पनप रही थी, उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से कपड़े बन कर मित्र के फ़ैरों के लिए जाया करते थे।

16.00 hrs.

इसी प्रकार से जब हमारी सभ्यता चरम सीमा पर थी, तब मेसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही थी। इतनी प्राचीन सभ्यता के वासी हम लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भारत में निश्चित रूप से शरण मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यचाद ज्ञापित करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: The next speaker is Shri Ashok Tanwar. You would be allowed to speak only for two minutes.

श्री अशोक तँवर (सिरसा): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको हमारे साथी अर्जुन राम मेघवाल जी के बिल के साथ सम्बद्ध करता हूं और साथ ही साथ उसके ऊपर ज्यादा चर्चा न करते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं। मेरी कांस्टीच्युएंसी जो सिरसा संसदीय क्षेत्र है, जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान से विभाजन हुआ और करीब-करीब जो 30 से 35 प्रतिशत आबादी जो वहां से माइग्रेट होकर आयी, उनके तो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की है। इसके साथ-साथ हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, जैसे सिरसा जिले में एक अलनाबाद तहसील है, जहां करीब 66 परिवार वर्ष 1992 में आये। आज भी उनकी नागरिकता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले उनका वैलिड वीजा होगा, फिर उसके बाद केन्द्र में मामला आएगा, मैं आपके माध्यम से सदन से यही आग्रह करना चाहता हूं...(व्यवधान) इसीलिए अर्जुन जी, मैंने अपने आपको आपके साथ सम्बद्ध किया है, ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि इनको हम अधिकार दे सकें और आने वाले समय में इनको हिंदुस्तान की नागरिकता के माध्यम से ज्यादा सुविधायें प्रदान कर सकें।

MADAM CHAIRMAN: Thank you.

Now, the hon. Minister to reply to the discussion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Madam, I am deeply grateful to the hon. Members of this august House who have actively participated on the Resolution moved by Shri Arjun Meghwal for the formulation of an action plan to rehabilitate persons displaced from Pakistan.

Altogether, 14 hon. Members have taken part in the discussion, and I thank each one of them. I place on record my deep appreciation for their valuable suggestions and observations. I have carefully listened to the speeches made by each Member, and I have taken note of all the important points raised by the Members. I once again thank them for their valuable suggestions and observations.

I fully share the sentiments expressed by the hon. Members of this august House. Now, I may try to reply to almost all the important points raised by the hon. Members. I wish to take up the key issues one by one.

A very important issue has been raised by Shri Meghwal relating to the rehabilitation of displaced Hindu families presently coming from Pakistan. It is worthwhile to mention that in order to solve the massive problem of mass influx of displaced persons from the erstwhile West Pakistan -- as a result of partition in 1947 and to rehabilitate them -- the Government of India, during 1950's, had taken a series of measures by enacting a series of Acts. As the major works of claims, compensation and also rehabilitation, more or less, had been completed by 1970, the Central Government repealed all these Acts in 2005. At present, we do not have any Act in this connection because this august House has repealed all these Acts.

I would like to state that the Central Government has been very sensitive to the issues faced by the Pakistan nationals who migrated to India at various point of time. For instance, it has been decided that the cases of the Pakistan nationals who entered India prior to 31.12.2004 would be processed on a case to case basis, and if an applicant files an Affidavit before the authority prescribed under Rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, that is, the Collector, District Magistrate and Deputy-

Commissioner, it may be accepted in lieu of the Renunciation Certificate. The State Governments and UTs concerned have been duly requested to deal with these matters as per instructions given by the Ministry of Home Affairs. In fact, the Ministry has also stipulated a Standard Operating Procedure for dealing with foreign nationals who claim to be refugees. The gist of the procedure is as follows:

(i) The version of the foreign national making such claim will be carefully examined by the concerned FRRO/FRO. The FRRO/FRO will recommend the matter to the Ministry of Home Affairs (MHA) for grant of Long-Term Visa within thirty-days from the date of claim by the foreigner provided it is found that *prima facie* the claim is justified on the grounds of a well-founded fear of persecution on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or a political opinion.

(ii) MHA will consider all the inputs including the report of FRRO/FRO as well as inputs of the Ministry of External Affairs (MEA) and arrive at a decision on Long-Term Visa with validity up to one year from the date of issue. Details of cases in which Long-Term Visa is ordered will be shared by the MHA with MEA.

(iii) The Long-Term Visa for such foreigners will be renewed every year for a maximum of five years at the level of the FRRO/FRO concerned based on assessment of the conduct of the foreigner and security implications. In case of any adverse report is arrived at, the MHA will be immediately taking appropriate action in this connection.

(iv) During such period of stay in India, the foreigner national will be allowed to take up any employment in the private sector or undertake studies in any academic institution in our country.

(v) No such foreigner will be deported without the permission or specific clearance of the MHA.

(vi) No person who is an economic immigrant will be entitled to the benefits of these guidelines.

Another important issue has been raised by Shri Meghwal and other Members relating to rehabilitation of West Pakistan refugees of 1947 who have settled down in Jammu & Kashmir (J&K). The hon. MPs -- during the course of the debate -- have highlighted various grievances and demands of West Pakistan refugees of 1947 who have settled in the State of Jammu & Kashmir.

In the wake of Pakistan aggression in Jammu and Kashmir in 1947, about 4,745 families have migrated from the then West Pakistan and were settled in Jammu, Kathua and Rajouri Districts of Jammu Division. After their migration, some of these families occupied Government land and evacuee property land. The State Government, in fact, allowed them to retain up to 8 acres per family of irrigated land or 12 acres of un-irrigated land subject to certain conditions.

The West Pakistan refugees settled in Jammu & Kashmir are not permanent residents of the State in terms of Jammu & Kashmir Constitution. Consequently, they do not enjoy the benefits that other residents of the States are entitled to. These West Pakistan refugees of 1947 are very much the citizens of India as they have the right to cast their vote in Parliament elections.

The Government of India has requested the State Government from time to time to confer the benefits of State subject on West Pakistan refugees and to consider the issue of Permanent Resident Certificate to these refugees. The matter is under the domain of the J& K administration, and as all of you are aware that we cannot directly intervene in the matter of J&K because J&K enjoys special status in view of Article 370 of our Constitution.

In order to mitigate the problems of West Pakistan refugees, the hon. Prime Minister announced a package for J&K in 2008. The package provides for concession to children and grandchildren of West Pakistan refugees settled in J&K in matters of admission in technical and educational institutions approved by the All India Council of Technical Education (AICTE). The All India Council of

Technical Education (AICTE) has issued guidelines for creating necessary provisions in this connection. The State Government of J&K has also been advised to cover the West Pakistan refugees under various Centrally-sponsored schemes that are being implemented in the State of J&K.

This Ministry has advised the Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises to impress upon the member lending institutions such as public sector banks located in the State of Jammu and Kashmir to extend credit facility to West Pakistan refugees under the Credit Guarantee Scheme.

Another important question has been raised by hon. Members relating to permission to Pakistani nationals residing in border areas to visit the West of National Highway-15 in Rajasthan. I think, Madam, you have also raised this issue the other day. The Government has examined the request for grant of permission to Pakistani nationals residing in the border areas to visit the West of National Highway-15 in Rajasthan. As you know, Madam, it falls in the protected area. On security considerations, it has not been possible to grant such blanket permission to the Pak nationals to visit that area. However, such requests of Pakistani nationals received through the State Government of Rajasthan are examined on a case to case basis in consultation with security agencies for grant of requisite permission.

Madam, another important issue has been raised, that is, delegation of power to the District Collectors in the States of Gujarat and Rajasthan for grant of Indian Citizenship to Pakistan nationals. This is a very important issue which has been raised by some Members. The powers to grant Indian Citizenship to nationals of Pakistan belonging to minority Hindu community were delegated to the Collectors of Kutch, Patan, Banaskantha, Ahmedabad of Gujarat and Barmer and Jaisalmer of Rajasthan in 2004 for one year to grant citizenship to Pak nationals of minority community staying in the border districts of Rajasthan and Gujarat as a special case. This delegation was extended up to 2007 on year to year basis. Such

powers were not delegated to any other State. Sufficient time was given to these two States to decide such pending cases.

Madam, I may mention that some of the cases were received by the Ministry of Home Affairs where Indian Citizenship was granted to Pak nationals without renunciation of Pak nationality which may result in dual nationality. This is against our Constitution. Such lapses have security implications also. You are fully aware of that.

The provisions of applying for Indian Citizenship continue to be available as per provisions of Citizenship Act of 1955. Normally, the Central Government takes about four months in processing cases and issuing acceptance letter in consultation with security agencies. In order to make the procedure simpler, faster and transparent, the Home Ministry has decided to introduce what is called online submission of application for grant of citizenship with effect from 1.12.2001.

Another important issue has been raised about the fee structure. A reasonable fee of Rs. 5,500 was prescribed for citizenship under Section 5 (1) (a) of Citizenship Act, 1955 in 2005. This is a one-time payment for acquiring Indian Citizenship. We consider it to be quite reasonable.

Another very important issue, that is, permission to go to other cities in India for livelihood, work permit, marriage, death or any other important work was raised by the hon. Members. I am extremely happy to inform the House that Pakistan nationals staying in India on long-term visa are permitted to engage in employment of purely private in nature. Similarly, children of such Pak nationals are also permitted to take admissions in schools, colleges and universities subject to usual conditions prescribed for foreign nationals in this regard. On security considerations, it may not be possible to grant blanket permission to visit other cities. However, Pakistani nationals on long-term visa can get requisite permission for visiting other places through the State Government concerned.

Madam, a very important issue has been raised by almost all the hon. Members, that is, the condition of the Hindu minorities who are living in Pakistan.

As such, I cannot give any assurance on that. The issue has been taken up by the Government of India from time to time with Pakistan Administration. Through diplomatic channel alone, we can take up that issue. Right now, I can tell you that much.

Madam, coming to the question of deportation of Pakistani nationals belonging to Minority communities in Pakistan, again I would like to say that this issue will be taken up at the level of Pakistan Government through diplomatic channel by the Government of India.

I am happy to reassure that till the proposal for grant of a long term visa is under consideration, Pakistani nationals will not be deported to Pakistan.

I would like to reiterate that the Government of India is very sensitive to the issue related to the welfare of all foreign nationals in India including Hindu Pak nationals who deserve support and attention subject to the laws of the land and policies of the Indian Government.

I once again thank hon. Arjun Meghwalji, Madanlal Sharmaji, your honour Shrimati Sumitra Mahajan, T.K.S. Elangovan Ji, Shri B. Mahtab, Dr. Baliram, Dr. Mirza Mehboob Beg, Shri Choudhary Lal Singh, Shri Kabindra Purkayastha, Shri S.D. Shariq, Rajendra Agrawal Ji, Prof. Saugata Roy, Shri Mahendrasinh Chauhan, Shri Satpal Maharaj and Shri Ashok Tanwar for their contribution. Everybody has contributed a great deal to this live discussion. I thank everyone for their contributions and for their suggestion/observations.

In view of these facts stated by me, I earnestly request the hon. Member MeghwalJi to withdraw his resolution.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): पाकिस्तान में जो हिन्दू परेशान हो रहे हैं, उनको भी भूख लगी है, उनकी भी चिन्ता करें और उसके बाद घर जाने की सोचें। ये सब हमारे साथी हैं, ये इस चर्चा में यहां बैठे हैं, इसलिए मैं इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, मैं अभी मंत्री जी का जवाब बहुत सावधानी से सुन रहा था। ये काफी मेहनत करके आए हैं, आम जैसे कोई मंत्री रिप्लाई देता है, उस तरह से इनका रिप्लाई नहीं था। आपने काफी मेहनत करके रिप्लाई दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरे चार-पांच प्वाइंट ऐसे थे, जिनको आपने बहुत ढंग से एड्रेस नहीं किया। मेरे सिर्फ पांच प्वाइंट्स हैं। मेरे जो राजस्थान के साथी बैठे हैं, इन्हें सब पता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर इस समस्या से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सौगत राय जी चले गए, जौधपुर मे ही ट्रांज़िट स्टेशन है। राजस्थान की सरकार ने भी कुछ रिकोमेंडेशन की है। मेरा यह कहना था कि पहले यह पता लगाइए कि कितने पाकिस्तानी नागरिक राजस्थान में रह रहे हैं, क्या उसका कोई सर्वे कराएंगे? इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान के अलावा वे गुजरात में कितने रह रहे हैं? सभापति जी आप स्वयं जहां से आते हैं, इन्दौर में कितने रह रहे हैं? भारत के अन्य भागों में वे कितने रह रहे हैं और वे क्यों रह रहे हैं, वे क्यों नहीं वापस जाना चाहते हैं? इसका सर्वे करा के एक लिस्ट बनाते, उसका इसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरा मेरा इश्यू बड़ा महत्वपूर्ण और मार्मिक था। उसका सारांश यह था कि नेशनल कमिशन फोर जस्टिस एंड पीस की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं की न जिन्दगी सुरक्षित है, न इज्जत। आप इसमें चिन्ता नहीं करेंगे। खाली यह कह देने से, they are Pakistani nationals. It is not sufficient Minister Sir. ये वे लोग हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। जब देश के टुकड़े हुए, तब वे वहां रह गए। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, कई लोगों से मैं मिला हूं। मेघवाल, भील, चारण, राजपूत और सिंधी समाज के भी वे लोग हैं। मैं उनसे मिला हूं, वे कहते हैं कि हमारा क्या कसूर था। मेघवाल और भील तो यह कहते हैं कि हम मजदूरी करने के लिए बहावलपुर गये हुए थे और जब डिवीज़न हुआ, हम डिवाइड हुए तो हमें कहा गया कि आप यहां रहो, कोई प्रोब्लम नहीं है। अभी राजेन्द्र अग्रवाल जी सही कह रहे थे, नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, बोले कि आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आप यहां पाकिस्तान में आराम से जिंदगी बसर कर सकते हैं। आज उनकी हालत क्या है, आज हालत यह है कि वे किसी के यहां काम करते हैं तो उनको कहते हैं कि आप को मजदूरी नहीं दी जाएगी तो वे कहते हैं कि क्या दोगे, वे कहते हैं कि खाली खाना खाओ और गुजर-बसर करो। क्या आदमी खाली खाना खाने के लिए वहां रहेगा? उसकी क्या गलती थी? मैंने रेवेन्यू

रिकॉर्ड देखा है, एज़ ए डी एम भी देखा है और उसमें अगर आप तीन पीढ़ियां पहले जाओगे तो वे लोग यहीं के रहने वाले थे, हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, यहां के रहने वाले लोग थे। वे मजदूरी करने के लिए वहां बहावलपुर चले गये और उस समय जब इनको कहा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां रहिये तो वे वहां रह गये। उनकी क्या गलती है? आज वे तकलीफ में हैं।

ये लोग कोई भगोड़े नहीं हैं, वे कोई भाग कर नहीं आ रहे हैं। ये वे लोग हैं, जो पासपोर्ट से आ रहे हैं, वीज़ा से आ रहे हैं, कोई रामदेव जी के दर्शन करने आ रहा है, कोई हिंगलाज़ माता के दर्शन करने आ रहे हैं, ये वे लोग हैं। अभी कुम्भ में मेला हुआ तो वे कुम्भ में स्नान करने के लिए आये, ये वे लोग हैं। वे जोधपुर, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, वह उनका गृह जिला है। वहां वे ट्रांजिट कर रहे हैं और वहां ट्रांजिट कर रहे हैं तो जो जोधपुर की जनता है, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह इतने लोगों का प्रबन्ध कर रही है। वहां टेंट लगा हुआ है, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके रहने की, नहाने की, धोने की व्यवस्था की जा रही है। अभी मेरे ठीक सामने अशोक तंवर साहब बैठे हैं, एलनाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर और एस.पी. साहब ने उनको धमकाया, वे कई सालों से वहां एलनाबाद में रह रहे थे तो वहां पर एक लोक सीमांत संगठन के हिन्दू सिंह सोढ़ा हैं, उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहां जोधपुर आ जाइये। एलनाबाद से भी 100-125 लोग जोधपुर में बैठे हैं, वहां शरण लिए हुए हैं। जब कोई प्राइवेट आदमी शरण दे रहा है, वहां प्राइवेटली जोधपुर के लोग उनको शरण देने के लिए मैनेज कर रहे हैं तो भारत सरकार उन लोगों को शरण क्यों नहीं दे सकती, मेरा यह यक्ष प्रश्न, सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से है। Why can you not do it when the private people are doing it?

मंत्री जी, यह कोई साधारण इश्यू नहीं है, यह बहुत गम्भीर विषय है। मेरा यह कहना है कि आप पांच बिन्दुओं के बारे में तो कम से कम मुझे आश्वासन तो देते, आपने मेरे से अपील कर दी कि आप इसको विथड्रा करिये। कभी-कभी सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब कोई गम्भीर विषय एक प्राइवेट रैजोल्यूशन के नाते कोई एक मैम्बर लाता है तो सरकार को गम्भीरता से उस पर विचार करना चाहिए। आपने अपने जवाब में कहा, हम यह क्या मांग रहे हैं, हम चार-पांच चीजें मांग रहे हैं कि इनको शरणार्थी का दर्जा दे दिया जाये। आप उनको रिफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं दे सकते, I cannot understand it! वे लोग अनडिवाइडिड फैमिली के ही लोग हैं और वे डिवाइड होने के बाद वहां चले गये या वहां रह गए। उनके पुरखे देखोगे तो उनके पुरखों की यहां जमीनें हैं। गोपाल सिंह जी शेखावत मेरे साथी हैं, यहां बैठे हैं, इनके कई रिलेटिव मुझे ओसियां में मिले थे, उन्होंने कहा कि ये चारण समाज के लोग वहां चले गये,

उनके दादा यहां रहते थे। आप अगर रेवेन्यू रिकार्ड देखोगे तो इनके दादा और उनके दादा मेल खाते हैं। फिर आप उनको रिफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं दे सकते? मेरा आपसे कहना है कि उनको शरणार्थी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरा मेरा यह पाइंट था कि सिटीज़नशिप क्यों नहीं दे सकते, वे वहां नहीं जाना चाहते। मंत्री जी, आपको पता है, मैंने प्रयास किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गये, मैं यहां इस मंच से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां गये और कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां गये। उन्होंने सब ने समझाया, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि, हमारी बहन-बेटी वहां सुरक्षित नहीं हैं। हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। अगर वे नहीं जाएंगे ,तो क्या जीने का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा? क्या हम जबरदस्ती उन्हें वहां भेजेंगे कि आप मरने के लिए पाकिस्तान जाइए?

महोदय, यह बात ठीक नहीं है। जब मैं उनसे जाकर मिला तो बहुत मार्मिक पीड़ा होती है, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। ये जो एलनाबाद से आये हैं, उनके तो साथ में बच्चे हैं, उनको एलनाबाद से खदेड़ दिया गया, अगर जोधपुर वाले सुरक्षा करने वाले नहीं हों, शरणार्थी शिविर चलाने वाले नहीं हों तो वे कहां जायेंगे? मेरी दूसरी बात यह थी कि आप उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दे सकते और यह अधिकार आप डीएम को क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा कि वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक हमने डीएम को अधिकार दिया था, तो आपने इसकी प्रक्रिया को इतना जटिल क्यों रखा? अब तक कुछ नागरिकताएं मिलीं हैं, तो कुछ और भी ले लेते। अब ये जो लोग आये हैं, ज्यादातर रिंकल केस के बाद आये हैं। यह जो रिंकल केस हुआ, उससे आए हैं, ये हमने नहीं बुलाये हैं। आप यह समझ रहे होंगे कि हम उन्हें बुला रहे होंगे, नहीं। रिंकल केस के बाद एक वातावरण बना, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट संगठन सक्रिय हुए और पाकिस्तान में माइनेरिटीज, जो हिन्दू वहां रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ हिन्दू परेशान है, वहां पारसी भी परेशान है, वहां ईसाई भी परेशान है। मंत्री जी, वहां ईसाई भी परेशान है। ...(व्यवधान) जितने भी पाकिस्तान में माइनेरिटीज हैं, वे सब परेशान हैं।...(व्यवधान) सतपाल महाराज जी आप सही कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही बोला है कि वहां क्रिश्चन भी परेशान हैं।...(व्यवधान) जोशी जी, मुस्लिम कम परेशान हैं। ...(व्यवधान) यादव साहब, आप तो राजस्थान के प्रभारी हो, आप एक बार जोधपुर जाकर तो देखो कि उनकी हालत क्या है? ज्योति जी, शायद आप तो जोधपुर गये होंगे...(व्यवधान) नहीं, नहीं, बाकी लोग इतने परेशान नहीं हैं, ये वाकई में बहुत परेशान है और इनकी परेशानी हमें मानवीय आधार पर हल करनी चाहिए। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि इसकी पॉवर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दे

सकते? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग कहते हैं कि नो, नो, नो वी कैन नॉट डेलिगेट इट, क्यों भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले नागरिकता देते थे। जो एमएचए ने रूल्स और रेग्युलेशन बनाये हैं, ये उसी के तहत तो देंगे। एमएचए रूल बनाता है तो बन्दूक का लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है, वह बन्दूक लेकर किसी को मार भी सकता है, फिर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आप रिलाई करते हो। नागरिकता देने की पॉवर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं दे सकते, नागरिकता देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पॉवर क्यों नहीं दे सकते? मेरा यह कहना है। आप कह रहे हैं कि हमने वर्ष 2004 में दिया, वर्ष 2007 में दिया, अब नहीं देंगे, इसका आपने कोई आश्वासन नहीं दिया।

आपने फीस बढ़ायी। आपने फीस किसके लिए बढ़ायी? ये पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं। ये जबरदस्ती यहां आ गये या कोई आतंकवादी हैं, कोई अनरेस्ट फैला रहे हैं या कोई अव्यवस्था फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है।...(व्यवधान) वे बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते हैं। ये अधिकतर वीकर सैक्शन ऑफ दी सोसायटी के लोग हैं। अब जो वहां पाकिस्तान में रह गये हैं, ये वह लोग हैं। आपने बहुत फीस बढ़ा दी है। यह सुझाव, सलाह आपको किसने दी? आप कम से कम फीस तो वापस ले लो, जो पुरानी फीस है, उसमें बात कर लो। आज अगर एक फैमिली में पांच लोग हैं, तो उनको लाख, सवा लाख रूपये फीस देनी पड़ती है, उनके पास फीस नहीं है। मैं उनसे मिला था कि आपको इस फीस में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि हम तो वैसे ही बेघर है, हमारे पास कोई घर नहीं है। हम अगर नागरिकता भी लेने जायें तो डेढ़ लाख रूपये कहां से लायेंगे तो हम फार्म भी नहीं भर सकते। मंत्री जी, आप थोड़ा मानवीय आधार पर सोचिये। मंत्री जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं एक बार आपसे मिला हूं, आपमें मानवीय आधार पर सैंसिबल सोच है तो फिर आप इस मामले में क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको किसी ने ऐसा कह दिया है कि ऐसा मत सोचो तो आप ज्यादा उन पर डिपेंड मत रहो, आप अपने विवेक के आधार पर निर्णय करो। अभी इन्होंने क्या किया, जब यह बिन्दु हमने यहां उठाया, इसके बाद इस्लामाबाद में एक एक्शन हुआ। क्या हुआ, भारतीय दूतावास, यह तो आपका ही है, विदेश मंत्रालय के लोग यहां बैठे होंगे...(व्यवधान) यह सरकार का है, मेरा तो है ही, सबका है। मैंने गलती मान ली है, इनको नागरिकता दिला दो तो आप जो कहोगे, वह हम मानेंगे। ...(व्यवधान) यहां इज्यराज सिंह जी भी बैठे हैं, आप जो कहेंगे, हम उसे मानेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास वीजा नहीं दे रहा है। अब जो लोग आ रहे हैं, उन्हें वीजा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत जटिलताएं पैदा कर दी हैं। डिवाइडेड फैमिली में अगर कोई मेंबर मर जाता है तो भी उन्हें वीजा नहीं देते हैं। कुछ डिवाइडेड फैमिली हो गई , कोई यहां रह गया, कोई पाकिस्तान चला गया। अब कोई कहता है कि मेरे फादर की मृत्यु हो गयी, अपना वह जो भारतीय दूतावास का आदमी है, वह यह कहता है कि किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर लाओ कि आपके फादर की डेथ हो गयी है।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आप क्या आदेश जारी कराते हैं? वह आदमी कहां से लाएगा? गजटेड ऑफिसर से वेरिफाई कराने के लिए, आप इस तरह की जटिलताएं पैदा मत करिए। जब हम ने यह विषय उठाया तो आपने एक और जटिलता पैदा कर दी। लोग जोधपुर में ही परेशान नहीं हैं बल्कि ऐलनाबाद और इंदौर में भी लोग परेशान है। आपने गुजरात में लॉंग टर्म वीजा की बात कही, उनके रोजगार की बात कही। अभी-अभी जोधपुर में एक केस आया, बद्री जी यहां बैठे हैं वे जानते हैं। सनलाइट हॉस्पिटल में सिंध से स्टडी किए हुए कुछ डॉक्टर्स काम करते थे उनको निकाल दिया गया। उनको बोला गया कि आप लोग तो पाकिस्तानी हैं। वे आप के पास भी आए होंगे। ये हमारे सब साथी हमारे समर्थन के लिए बैठे हैं। ये हमारे अगेनस्ट में नहीं है। हमारे साथी हमारे समर्थन में वोट करेंगे। ...(व्यवधान) अभी मंत्री जी ने जे. एंड के. के एक विषय में कहा कि वहां के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जम्मू-कश्मीर में रहिए। हम आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो जम्मू-कश्मीर से पंजाब आ गए, वे इस देश का प्रधान मंत्री बन सकते हैं। मंत्री जी जो जम्मु-कश्मीर में रह गए उनकी क्या गलती है। आप उनको दो एकड़ लैंड दे रहे हैं। 65 साल में उनकी फैमिली बड़ी हो गई तो वे दो एकड़ लैंड में क्या करेंगे? आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उनको लोन भी नहीं मिलता है, वे नागरिक नहीं हैं। आप कौन सी स्कीम के तहत उनको लोन दे रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। वे नागरिक नहीं हैं। हमारा यह कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। उस समय के मुख्य मंत्री ने कहा कि आप लोग यहां रहिए, हम आप को सारी सुविधाएं देंगे। वे बेचारे वहां रह गए। लाल सिंह चौधरी जी यहां नहीं हैं वे कहते हैं कि वे एमपी के चुनाव में तो वोट दे सकता है, लेकिन वे एमएलए के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। वे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, वोट डाल नहीं सकते हैं, ऐसी काहे कि नागरिकता है? अगर धारा 370 आड़े आती है तो इसमें भी संशोधन करना चाहिए। ह्ल(व्यवधान) सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि वे निकाय के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। हमारे सभी साथी सदन में मेरे साथ हैं। सभापति महोदया, आप भी मेरे साथ हैं, मंत्री जी भी साथ हैं तो यह संकल्प क्यों नहीं पास हो रहा है? मेरा यह यक्ष प्रश्न आप के माध्यम से है।

सभापति महोदया: क्या आप यह विद्ड्रा कर रहे हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मंत्री जी कुछ आश्वासन देंगे, तभी विद्ड्रा करूंगा।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Meghwalji, all these points that you have raised right now, you had, in fact, raised them on the day when you had moved the Resolution also. I have covered almost all the points in my reply.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You have covered them but you have not given any assurance to me.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: What assurance can I give you?

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I want refugee status for them. Would you give them refugee status?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: At the moment, we cannot consider that issue at all.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: What is your action plan regarding citizenship?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: There is absolutely no problem about citizenship. I have made it absolutely clear.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Can you give this power to the District Magistrate of the concerned District?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: As of now, there is absolutely no problem regarding citizenship at all for the people who have come from Pakistan.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You have to give some assurance to me. सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि मैं मंत्री होता तो यह दे देता।ह्ल(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: If you have got any specific problem, you can let me know. I will look into that. I will correct it.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: It is not a specific problem but it is a general problem. My point is that you are not giving refugee status to the Pakistani minority which is coming here.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: We cannot give refugee status.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You are not providing citizenship. You are providing the citizenship but the process is very complicated.

MADAM CHAIRMAN : You only request him to withdraw.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Meghwalji, with all humility at my command, I would request you to withdraw the Resolution.

MADAM CHAIRMAN: Are you withdrawing the Resolution?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मंत्री जी आप कुछ तो आश्वासन दीजिए तो मैं यह विद्ड्रा कर लूंगा। ह्ल(व्यवधान)

सभापति महोदया : धन्यवाद।

…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं इसे विद्ड्रा कर सकता हूं लेकिन मेरी आत्मा यह एलाउ नहीं कर रही है इसलिए मैं अपनी आत्मा के अनुसार सदन में आचरण करूंगा। ह्ल(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

> "Taking into account the problems being faced by the persons migrated from Pakistan to India and settled in various parts of the country, this House urges upon the Government to take immediate steps to grant them citizenship and formulate a time bound action plan to extend them facilities as are available to other citizens of the country."

The motion was negatived.

<u>16.35 hrs</u>

(ii) Steps to control rise in prices of essential commodities

MADAM CHAIRMAN : The House will now take up item No. 17, namely, 'Steps to control the rise in prices of essential commodities'.

Shri Mahendra Kumar Roy.

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): I beg to move:

> "This House expresses its serious concern over consistent increase in the rate of inflation and consequent rise in the prices of essential commodities and urges upon the Government to take effective steps to control the rising prices of essential commodities and strengthen and universalize the Public Distribution System."

<u>16.36 hrs</u> (Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

*SHRI MAHENDRA KUMAR ROY: Thank you respected Chairperson Madam for allowing me to express my views in this august House today. 65 years have passed since India has attained independence but the country is still plagued by hunger, poverty and malnutrition. We know that ¼ of the hunger-stricken people of the world stay in India. Have we been able to reach our desired goal? Why even after so many years of independence, 70% of the population cannot spend even Rs. 20 per day? Why from 1999 to 2011, as per the reports of National Crime Records Bureau, 2,90,740 farmers have committed suicide? 70% of the population is deprived of food, medical treatment and shelter. Today the rate of inflation is 6.84% (upto February 2013). Where are we heading for? What kind of a country is this? Naturally, these questions haunt us. Today, the burning problem is price rise, particularly of essential commodities. Prices are shooting through the roof. The Government is indifferent. What is the reason behind this price rise? In the 90s, when the Government adopted the neoliberal economy, it paved the way for rise in price. So the economic policy is responsible for this kind of unchecked price escalation. The main characteristic of UPA Government is the price rise of all essential commodities. The common people are facing great difficulties due to this. The Government is not playing its role properly and is doing nothing to ease the situation. Universal public distribution system can be an effective tool in controlling prices. Through this system, foodgrains and 14 other essential commodities can be distributed among the countrymen. But the Central Government is doing nothing in this direction. In fact, it is trying to do away with PDS altogether.

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

Secondly, the forward or future trading which has been allowed in the commodity market should be immediately banned. But the Government is not ready for that. Instead, it is offering ridiculous justifications – it says that price is increasing because the MSP given to the farmers have increased; or because purchasing power of people has increased. This is a cruel joke on the plight of common man. These justifications are shameless instances of cheating the people. In the year 2011, the MSP of paddy was Rs.1080/- per quintal but in the open market the price was more than Rs.24/-. MSP of wheat was Rs.1120/- per quintal whereas it was more than Rs.20/- in the open market. When price of pulses in the open market was Rs.60/- to Rs.100/-, the MSP was only Rs.30/-. Hon. Prime Minister reasoned that since the income of people has increased due to economic growth, price has also increased. I think this is unacceptable. Who is gaining from economic development? The corporate or the big industrialists. Workers, labourers are still in the same quagmire. Due to the policies of the Government, factories are being shut down, lakhs of workers are losing their jobs. On one hand, there is growth and on the other the number of contract labourers is rising. Their wages are low and they don't get any other benefits. 94% of the labourers are from the unorganized sector. But the Government is not taking any steps to help them. Things have come to such a pass that if immediate action is not taken then by the end of the year 2013, there will be steep price rise at the international level. Already world organizations have warned us in this regard. But Government of India is still unfazed. Hon. President of India has touched upon the issue of price rise in his address to the joint session of Parliament as a passing remark –'Inflation is easing gradually but it is still a problem' – only this has been mentioned. The World Bank accepts the reality of high cost of foodgrains and they are issuing warnings. Food and Agriculture Organization says that though the rate of inflation in foodgrains has come down in the end of 2012, but that too was the highest in recent past. The stock of cereal is also not very reassuring. The nature of land has undergone transformation. State investment on agriculture has

come down and speculative trade has increased. This is the case both in India as well as many other developed countries. The nature of land is changing in the entire world. In USA, Russia, Ukraine etc., wheat production has dwindled due to drought. Therefore cost of food grains is rising. On the other hand in USA and Europe, in order to promote bio-fuel, the nature of land is undergoing change. The capitalists are purchasing lands in the African countries for bio-fuel. This will trigger sever food crisis in the world over. The land is being tampered with to produce bio-fuel from crops. This is a big problem indeed.

The Government is unable to check the speculative practices that are going on. Future trading only adds to the paucity of food grains in our country. This practice was a major reason behind the sky rocketing prices of foodgrains in the international market in the year 2008. Various reports show that a particular bank has made profit in speculative market in 2012 to the tune of 54 crore 80 lakh dollar in wheat, maize etc. Goldman Sachs had made profit of 40 crore dollar. Report says that more than 400 billion dollar has been earned through speculation which is actually 20 to 30 times more then actual production.

What is the picture in India? The Government always gives the excuse of high international prices in order to cover up its own failures. Actually, the reasons are purely internal. The Consumer Price Index of BRICS countries show that the rate of inflation in India has been 11.17% in an opaque manner. In China, this rate is lowest, 1.9%; in South Africa it is 5.75%; in Brazil it is 6.15%; in Russia it is 6.54%. According to the report of the Ministry of Commerce and Industry, the Wholesale Price Index of foodgrains in the years 2011-12 and 2012-13, has risen at the rate of 11.88%. Price of foodgrains has shot up by 18%, that of vegetables by 28.4%, pulses by 19%, sugar by 13% - this is the wholesale rate; it is much higher in the retail market. Deregulation of sugar will lead to more rise in cost of sugar. Deregulation of petrol and diesel will result in high inflation. Since

2009,when UPA-II came to power, petrol price has increased 19 times. Petrol price has been raised by 120% and diesel price by 67%.

25 essential commodities have been permitted to be taken into the ambit of future trading. They include wheat, sugar, cereals, edible oil, mustard seeds, some spices, potatoes and onions. Food items should be immediately removed from this list. A serious food crisis is looming large. So food items must not be traded speculatively. There is also pressure on the Government to lift the ban on future trading of rice. The Government should not give in to this pressure.

The Presidential Address mentions that till 1st February 2013 there was a stock of 6.62 crore tonnes of foodgrains in the country. It is three time the target, which was only 2 crore tonnes. Wheat amounts to 3.07 crore tones, rice 3.53 crore tones. The MNCs are putting pressure on Indian Government in view of the impeding world food crisis. They are asking us to liberally export the stored foodgrains. All the big corporate companies, industrialists are trying to arm twist the Government. In the year 2012, the exported foodgrains have fetched Rs.11,80,000 crores. The rate of export was Rs.1800 to Rs.2000 per quintal and what was the subsidy rate paid to the farmers? Only Rs.1285/- per quintal. Today the farmers are not getting the remunerative price while the traders are making huge profits. This is at a time when ¼ of the hungry people of the world are residing in India. They are starved and malnourished, don’t even get two square meals a day. Thus we demand that the foodgrains should be distributed among the people though PDS so that each family gets at least 35 kgs of grains at the rate of Rs.2/- per kg. The APL-BPL distinction should be done away with and all families be given 35 kgs at cheap rate from the available stock of foodgrians. We know that wheat and paddy are rotting in the central warehouses of Food Corporation of India; rats are feeding on the stocks. Though the Supreme Court has directed the Government to distribute those among the poor, yet and Government has not shown any inclination to do so. Black marketing and

hoarding of foodgrains can be checked if that 6 crore tonnes of grains is distributed through PDS. Rampant export of foodgrains is not in our national interest. The Government is totally indifferent about the rise in prices.

The rise in fuel price is the main reason behind the steep hike in prices of all other commodities. Petrol has already been deregulated while the Kelkar Committee's recommendation to deregulate diesel price will also be implemented in near future. Thus regularly the fuel prices are escalating. Just before the start of this budget session, there was a hike. The Government must control the fuel price and the policy of deregulation must be shelved. The Government should determine the prices of diesel and petrol. More than 1 lakh crore rupees are earned by the Government illegally from the less on fuel. If it controls the fuel price then this tax will be slashed which will in turn bring down transport cost and cost's of all commodities.

The public distribution system should be universalized. Steps should also be taken to stop hoarding and corruption involved in it. Government investment in agricultural sector should be increased. Subsidies on seeds, fertilizers, pesticides should also be raised so that food production increases. Retrenchment of labourers must be stopped. On one hand we find that the number of billionaire in our country is on the rise, while on the other, the number of retrenched workers is also increasing every day. Thus the leflists, our party CPI (M) demands that the minimum wage of a worker should be Rs.10,000/- per month. The workers are agitating; meeting, processions, yatras are being held. They are fighting for their rights.

We are also opposed to the idea of paying subsidy to the BPL families though AADHAR cards. This will not serve the purpose. As we know that 70% of the population can spend only Rs.20 or less a day. So the APL – BPL distinction should be removed and be brought under one umbrella of PDS. This is very necessary. The budget has been passed in this House. If we analyse the

budget then we will find that in the year 2009-10, the quantum of future trade was to the tune of Rs.12,17949 crores which, in the year 2010-11 has increased to 14,56,390 crore. This year's budget has not tried to check forward trading and the Government remained silent on this issue. The subsidy amount on essential commodities in 2012-13 revised estimate was Rs.96,880 crores. This budget has slashed this amount to Rs.65,000 crores. Hon. Minister has already announced that diesel price will also be allowed to be determined by market. Food subsidy was Rs.85,000 crores as per the revised estimate of 2012-13; it has marginally increased to Rs.90,000 crores this year. We demand that it should be raised further. If we intend to give 35 kg of grains to each family at the rate of Rs.2 per kg per month then we'd require 9 crore tonnes of foodgrains and a subsidy of Rs.135,000 crores. Thus we need additional 45,000 crore rupees. So if we are able to spend Rs.135,000 crores, then we will be in a position to offer 35 kgs of foodgrains to each family for Rs.2/kg. Only Rs.10,000 crores have been earmarked in this budget for food security which is absolutely inadequate.

Agricultural expenditure is coming down every year. In the year 2011-12, the quantity of foodgrain production was 25 crores 93 lakh tonnes. In 2012-13 it came down to 25 crore 1 lakh tonne. Per capita food availability is also dwindling. In the year 1991, it was 510 gm which has come down to 463 gm in 2011. The budget does not propose to increase the per capita availability of food. In 2012, the allocation for MGNREGA was Rs.31,000 crores; in 2013 it has been raised by only Rs.2000 crores to Rs.33,000 crores. This should be further enhanced for the benefit of common people. Moreover, there is rampant corruption in MGNREGA projects in various parts of the country. People are not getting their due. In the year 2012-13 the allocation for Rural Development Department was Rs.76,376 crores which became Rs.55,000 crores in the Revised Estimate while it has been pegged at Rs. 80,194 crores in this year's budget. The allocation for Human Resource Development Ministry, in the year 2011-12 was

Rs.61,427 crores; (Revised Estimate was Rs.56,223 crores). This budget earmarks only Rs.65,869 crores for this very important department. The total budgetary allocation in 2013-14 budget is Rs.16,65,297 crores while the plan outlay is of Rs.5,55,322 crores. Thus this budget is direction less; it does not talk about arresting inflation.

Thus this is an ominous sign. Since we attained independence, various committees that were set up mentioned that the rate of inflation should be not more than 3% - 4%. But we find that it has touched 6% or even 7% at times. So the Government should ponder over this aspect. When on one hand, the number of billionaires is increasing, on the other the incomes of workers and ordinary people are decreasing steadily. People are fast becoming jobless, worthless. Outsourcing is the new fad. The rich industrialists, corporate houses are making a fortune while the poor are becoming poorer. They are living in a pitiable condition. The fruits of development are still far from these hapless lot. The Government must take adequate measures to get rid of this crisis.

Hon. Chairman Sir, with these words, I thank you once again for allowing me to initiate this debate and I conclude my speech.

MR. CHAIRMAN : Resolution moved:

> "This House expresses its serious concern over consistent increase in the rate of inflation and consequent rise in the prices of essential commodities and urges upon the Government to take effective steps to control the rising prices of essential commodities and strengthen and universalize the Public Distribution System."

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, जो महेन्द्र कुमार राय जी प्रस्ताव लेकर आए हैं कि मुद्रास्फीति की दर में निरन्तर वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप वृद्धि पर उन्होंने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है और सरकार से आग्रह किया है कि वह आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों पर नियंत्रण रखे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं महेन्द्र कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि वह बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं।

आज़ादी के पहले हमारी जब परिस्थिति खराब थी तो हम सोचते थे कि हम गुलाम हैं और अंग्रेज ही हमारी इस खराब परिस्थिति के लिए जिम्मेवार हैं तथा इसके कारण ही हमारा विकास नहीं हो रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद हम ही शासक हो गये और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा और सभी लोगों का विकास होगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज आज़ादी के 65 सालों के बाद भी परिस्थिति बिल्कुल निराशाजनक है। हमारे हिन्दुस्तान में दो हिन्दुस्तान का जन्म हुआ है। एक अमीर भारत और एक गरीब भारत। एक ऐसा भारत है जहां ढ़ाई हजार की डिश भी लोग खा सकते हैं और एक लाख रुपये की टाई भी पहन सकते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने बूट की डोरी भी चांदी की होती है लेकिन दूसरी ओर पांच करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रात का भोजन भी नसीब नहीं होता है और वे रात को भूखे सोते हैं। इस तरह से बिल्कुल विषम परिस्थिति है।

हमारी जो कल्पना थी कि राम राज्य आएगा, कल्याण राज्य आएगा और देश में हर कोई सुखी होगा। ऐसी आज परिस्थिति नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जब मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है तब महंगाई बढ़ती है। पिछले तीन-चार महीनों में अगर देखें तो मुद्रास्फीति की डब्ल्यूपीआई कम हो रही है और सीपीआई बढ़ रही है। खाद्यान्नों के भाव भी बढ़ रहे हैं। आज सामान्य लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। वे दो समय का भोजन भी कहां से लाएं? यह उनके लिए एक गंभीर समस्या हो गई है।

अब मैं किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे देश में ज्यादातर 70 प्रतिशत किसान हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज किसान इतना दुखी है कि वह जो पैदावार करता है, उसे कई बार उसका लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि वहां टमाटर की खूब खेती होती है। जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि हमसे एक रुपये किलो में टमाटर मांगते हैं। उन्होंने जो टमाटर थे, वे पशुओं को खिला दिए और अखबार में फोटो भी आई थी कि यदि किसान वहां से बाजार में अपनी उपज लेकर जाएं तो उन्हें काफी महंगा पड़ता है। इसलिए एक तरफ ऐसी स्थिति है और दूसरी ओर दिल्ली में 30 रुपये किलो टमाटर बिकते हैं। जो उत्पादन करता है, उसको सही मूल्य नहीं मिलता है।

अब मैं बीपीएल के बारे में बात करना चाहूंगा। बीपीएल में इतनी गलत नीतियां हैं कि जो सही यानी वास्तव में गरीब लोग हैं, वे बीपीएल से बाहर हैं और जो गरीब नहीं हैं जिनके पास अच्छे साधन हैं, वे बीपीएल की कैटेगरी में हैं। हम जब अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं तो वही एक फरियाद हमें हर जगह से मिलती है कि सर, हम गरीब हैं लेकिन हमारी नीति ऐसी है कि अगर किसी के घर में एक बल्व जलता हो या उस व्यक्ति के घर में कोई दीवार सीमेंट की हो या उसके घर में अगर एक 200 रुपये का सैकेंड हैंड पंखा हो जो मच्छरों को भगाने के लिए उसने ले रखा है और जो बहुत सही हालत में नहीं है तो वह भी अगर उसके पास होगा तो वह बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आएगा। यह कितनी गलत नीति है? अगर किसी के पास ये सब चीजें हैं तो क्या वह पैसे वाला व्यक्ति कहलाएगा? गलत नीतियों के कारण जो वास्तव में गरीब लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब लोग हैं, वे इस श्रेणी में नहीं आते और उनको जो लाभ मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिल रहा है। चाहे बीपीएल या एपीएल हों, गरीबों का राशन प्रति मास मिलना चाहिए। पीडीएस की सार्वजनिक प्रणाली में गड़बड़ी मिलती है। कई बार अनाज बाहर से ही बाजार में बिक जाता है, जिनके पास पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंचता है। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम कम्प्यूटराइज्ड है। यहां बहुत अच्छा काम किया गया है। जब यहां के मुख्यमंत्री जी ने विवरण दिया तो पता चला कि यहां अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश में वितरण प्रणाली में सुधार लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, कुपोषण की समस्या काफी बढ़ी है। आज ज्यादातर महिलाएं एनीमिक हैं, बच्चे कुपोषित हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है, राष्ट्र के लिए कलंक की बात है। आजादी के 65 सालों बाद बच्चे कुपोषित हैं। हमें देखना होगा कि बच्चों को पूरी खुराक मिले। वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि गरीबों को लाभ मिल सके।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं माननीय सदस्य महेन्द्र कुमार द्वारा रिजाल्यूशन 'Steps to control the rise in prices of essential commodities' के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में बहुत गरीबी है। हमारी पार्टी का भी नारा है- गरीबी हटाओ। महंगाई बढ़ने से गरीब की रसोई का बजट गड़बड़ हो जाता है। महंगाई निश्चित रूप से कम होनी चाहिए। सरकार को बड़े सार्थक और सामर्थ्यवान कदम उठाने चाहिए ताकि गरीब की रसोई के बजट में कोई गड़बड़ न हो।

महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत विषम है, पहाड़, घाटियां हैं और बहुत दूर के इलाके हैं। अक्सर हम सचिव से पूछते हैं कि क्या एसेंशिएल कमोडिटीज़ दूर के इलाकों में मिल रही हैं। उनका नपा तुला जवाब होता है - "Everything is being given out." सब कुछ मिल रहा है। मिट्टी का तेल, चीनी, अनाज, सब कुछ मिल रहा है। मैं स्वर्गीय राजीव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे देश में मोबाइल टेक्नोलाजी लाए। पहले हमारे देश में लैंड लाइन से फोन करना पड़ता था, आपको तो मालूम ही है। पहले आर्डिनरी काल होता था फिर अर्जेंट काल होता था फिर लाइटनिंग काल होती थी और बात करने में घंटों लग जाते थे। अब यह लेटेस्ट टेक्नोलाजी है कि आदमी अपनी जेब में मोबाइल फोन रखकर घूम रहा है, बातचीत कर रहा है। जब हम सुदूर इलाके के गांव से, नीति और माणा के प्रधान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे यहां मिट्टी का तेल, चीनी और अनाज है? तो वह कहता है कि कुछ भी नहीं है। तब पता चलता है कि पीडीएस सिस्टम में कितनी खामियां हैं। इन्हें दूर करने के लिए सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे सबसे सुदूर और आखिरी इलाके में अनाज पहुंचे और इसकी मानिटरिंग हो। उनके पास ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों और राशन की दुकानों के मोबाइल नंबर होने चाहिए ताकि वे जान सकें कि ये चीजें उपलब्ध हैं या नहीं।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब वहां एक किलो तोला जाता है तो एक किलो किसी को नहीं मिलता है बल्कि 800 ग्राम तोला जाता है। जब पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि सड़क से खच्चर पर माल रखकर आया है इसलिए खच्चर के मूल्य पर 200 ग्राम की कटौती कर रहे हैं। कभी भी पहाड़ों में, सुदूर इलाकों में पूरा एक किलो सामान नहीं मिलता है। वहां आठ सौ ग्राम ही तौला जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करना होगा।

इसके अलावा जो हमारे भारत की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में बैठे हैं, जो हमारे भारत की चौकसी कर रहे हैं। जब भी कोई आक्रमण होगा, सबसे पहले उन्हें सूचना मिलेगी, जो देश के रक्षक हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि उन तक अनाज पहुंचाना हमारा दायित्व है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि देश में ब्लैक मनी के बारे में बहुत चर्चा हुई कि हमारे देश का बहुत सा कालाधन विदेशों में है। मैं समझता हूं कि सरकार को उस काले धन को देश में वापस लाने की कोई योजना बनानी चाहिए और उस कालेधन को देश में लाकर उसका उपयोग करना चाहिए। आप गरीबी हटाने में उसका उपयोग करें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही करने में उसका उपयोग करें तो बड़ा फायदा होगा। सैकिंड वर्ल्ड वार में जर्मनी बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया था, वहां सारे मकान टूट कर समाप्त हो गये थे और जर्मनी के लोगों को बड़ी चिंता हो गई थी कि जर्मनी को कैसे खड़ा करेंगे। तब उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी आदमी अगर इंफ्रास्ट्रकचर में ब्लैक मनी का इनवैस्टमैन्ट करेगा तो उससे हम कुछ नहीं पूछेंगे, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा और रातों-रात जर्मनी खड़ा हो गया। इस तरह से जो कालाधन विदेशों में हैं, उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, देश के अंदर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को सही करने में यदि इस पैसे का उपयोग होगा तो निश्चित रूप से इससे देश का बड़ा फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं ऐसे स्थान से आता हूं, जहां बड़ी गरीबी है और मैं समझता हूं कि लोग अवसरों के अभाव में निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें दो घर संभालने पड़ते हैं, एक घर दिल्ली में संभालना पड़ता है, चूंकि वे दिल्ली में काम करते हैं. और पहाड़ों पर दूसरे घर में पैसा भेजते हैं। हमारा सारा उत्तराखंड मनीऑर्डर इकोनोमी पर टिका हुआ है। लोग सेना में भर्ती हैं, वे लोग मनीऑर्डर भेजते हैं, उनके मां-बाप वहां अपना पालन-पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे एक वाकया याद आया कि एक महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पति ने उसे साड़ी लाकर नहीं दी। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साड़ी न मिलने पर महिला ने आत्महत्या कर ली, हमारे पहाड़ों में इतनी गरीबी है। निश्चित रूप से वहां का विकास होना चाहिए।

सभापति महोदय : उत्तराखंड के बारे में बाहर के लोगों की बहुत अच्छी भावना है, आप ये पर्दाफाश क्यों कर रहे हैं।

श्री सतपाल महाराज: नहीं, मैं वहां की वस्तुस्थिति बता रहा हूं, क्योंकि यह मेरी वेदना थी कि मैं यहां इस बात को रखूं, इसलिए आपके समक्ष मैंने इस बात को रखा है। वहां बड़ी गरीबी है, लोगों के पास अवसर नहीं हैं, रोजगार नहीं हैं। उन्हें रोजगार के लिए निकलना पड़ता है। वहां के लोग सेना में भर्ती होते हैं, बाहर काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं।

सभापति महोदय : आपके यहां इतने तीर्थयात्री जाते हैं और वे वहां खर्चा करते हैं, क्योंकिं हर आदमी पैसा स्पैन्ड करने के लिए जाता है। उनसे उत्तराखंड को बहुत आमदनी होती होगी।

श्री सतपाल महाराजः उनसे कुछ लोगों को आमदनी होती है, सबको आमदनी नहीं होती और तीर्थयात्रा में कुछ ही लोगों को फायदा होता है, सबको फायदा नहीं होता है। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं जो इन तीर्थस्थानों से बहुत दूर हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोबारा बीपीएल का सर्वे होना चाहिए, जिससे कि वास्तव में जो इसके योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें बीपीएल का फायदा मिले और इसका सर्वे पूरे देश में होना चाहिए। एक बड़े साइंटिफिक पैमाने से हम इसका सर्वे करें और हमारे पास यह सूचना भी होनी चाहिए कि अति गरीब कौन हैं, एपीएल कौन हैं और बीपीएल कौन हैं। यदि इसका सही मायने में साइंटिफिकली सर्वे होगा तो बड़ा फायदा होगा।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा -

"मेरे वतन की बहारें जवान होने दो, महान है मेरा भारत महान होने दो, किसी को सींच रहे हो, किसी पर पानी बंद, तमाम खेतों की फसलों को समान होने दो, गुबार दिल से, ख्यालों से गर्द दूर करो, नई जमीन, नया आसमान होने दो, सुभाष, गांधी, जवाहर की रूह भी यही कहती है, तमाम देश को एक खानदान होने दो।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने कविताएं भी सुनाईं। लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा, it will be my request that if BPL and APL are counted again, the process should be so transparent that this mistake should not be repeated because what we see is very sordid.

Now, Shri Shaliendra Kumar.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा आवश्यक वस्तुओं को मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के कदम के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अगर देखा जाए तो मध्यमवर्गीय और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह जिंदगी की बुनियादी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है।

हम लोग महंगाई पर इससे पहले भी इस सदन में कई बार चर्चा कर चुके हैं। महंगाई के बारे में हमारे पहले के बड़े नेताओं ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर हमें महंगाई पर काबू पाना है तो दाम बांधो नीति अपनानी पड़ेगी। हर वस्तुओं के उत्पादन से ले कर बाज़ार में आने तक उसका एक दाम फिक्स किया जाए। तभी महंगाई को रोका जा सकता है। मेरे ख्याल से अब तक उनका नारा केवल नारों में ही रह गया है। लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, उसमें सर्वे करने वाले या महंगाई पर काबू करने वाले, तमाम योजनाओं को देश के लिए आगे बढ़ाने वाले, विकास के लिए जो देते हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर हमें महंगाई कम करनी है तो हर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा? भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। देश की आर्थिक स्थिति खेती पर ही निर्भर है। खेती को प्रोत्साहन सहित हमने आज तक क्या दिया है? पहले भी इस सदन में चर्चा हुई है कि आज भी हिंदुस्तान की खेती योग्य जो 60 फ़ीसदी ज़मीन है, हमने उसे सिंचाई से दूर रखा हुआ है। उसको सिंचाई के साधन-संसाधान नहीं दे पाए हैं। कभी-भी जब देश का उत्पादन बढ़ता है, वह किसान की स्वयं की मेहनत-मशक्कत होती है। उसमें सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट आई कि हर किसान को चार फ़ीसदी ब्याज पर ऋण देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जब भी बजट का प्रावधान किया गया तब यह कहा गया कि जो समय से ऋण की अदायगी कर देगा हम उसे चार फ़ीसदी ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा मापदण्ड नहीं है।

विदेशों में देखा गया है कि वहां की सरकारों ने खेती पर, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसके अनुरूप जो भी उत्पादन होते हैं, उस पर मूलभूत तरीके से पूरी सहूलियतें प्रदान करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। समय-समय पर यह भी कहा गया कि सर्वाजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने से ही हम महंगाई पर काबू कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार यह भी कहेगी कि यह राज्यों का विषय है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, एक मिनट रूकिए। मेघवाल जी, आप अपना इतना सुंदर भाषण दे कर चले गए। लेकिन आपको हाऊस की तरफ भी तो देखना चाहिए था कि आपको भी बैठना चाहिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं इसीलिए वापस आया हूँ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब जगदम्बिका पाल जी आएं और मेघवाल जी आएं तब समझिए कि ज़ीरो ऑवर आने वाला है। शैलेन्द्र जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति जी, मैं कह रहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने से महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। इसको राज्य का विषय कह कर टाला जाता है। जो चोर बाज़ारी होती है या जमाखोरी होती है, अभी हमारे साथी आदरणीय सतपाल जी कह रहे थे कि देश का जो काला धन है, जो बाहर जमा है, उसको वापस लाने की बात है।

सभापति जी, आज देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रलिस्ट, जो बड़े-बड़े बकाएदार हैं, उनसे लाखों-करोड़ों की वसूली नहीं हो पाती है। जो गरीब है, किसान है, जो इस देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाता है, उसके ऊपर सभी नियम लागू कर के उसको जेल जाने की स्थिति आती है, उसकी आर.सी. इश्यू हो जाती है। ये स्थितियां हैं। महंगाई तो इतनी जबरदस्त है, इतनी चरम सीमा पर हैं कि हर व्यक्ति मूल्य चुकाने के बावजूद जो अपेक्षा करता है कि हमें ये सुविधायें मिलनी चाहिए, वे उसे नहीं मिल पाती हैं, वह उन सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाता है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। यह देखा गया है कि सरकार की तरफ से बजट में और अन्य अवसरों पर भी देखा गया है कि कुछ चंद लोग हैं, जिन तक हम सीमित होकर रह गए हैं और उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार की बातें तो यहां बहुत की जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर है, तो किसानों के उत्थान के लिए क्यों काम नहीं किया जाता है? किसानों के लिए तो कृषि का अलग से बजट प्रस्तुत होना चाहिए, तब जाकर हम अपने कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसका निर्यात कर सकते हैं और उससे विदेशी राजस्व की भी वसूली हो सकती है। इस तरह से हम देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। यह देखा गया है कि आज आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो मूलभूत सुविधायें हमें मुहैया कराना चाहिए, जैसे पेयजल है, बिजली है, परिवहन है, सीवरेज सिस्टम है, सड़कें हैं और घर के करीब अगर स्कूल हो या खाना पकाने के लिए रसोई गैस हो, हम उन्हें वे सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते हैं।

महोदय, आपने देखा होगा कि समय-समय पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में जो वृद्धि होती है, उस का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ते हैं। जो वस्तुएं होती हैं, स्वाभाविक है कि जो बेचने वाला होता है, वह उस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करता है। ऐसा करना उसकी मजबूरी हो जाती है। इन तमाम बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक पेट्रोल और डीजल के मूल्य

में वृद्धि की बात है, सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि चालीस से पचास पैसे प्रतिमाह डीजल के मूल्य में वृद्धि होगी। यह फिक्स होना चाहिए। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घटते-बढ़ते रहते हैं और इसके अनुसार सरकार दाम निश्चित करती है, लेकिन हमें कहीं न कहीं इसकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। आज देखा जाता है कि हमारी आबादी बढ़ी है। मॉल में चले जाइए, बाजारों में देखिए कि वहां बहुत भीड़ है, लेकिन वहीं यह भी देखिए कि जो हमारे उत्पाद हैं, उनमें भी कमी आयी है। इसका मुख्य कारण महंगाई है। सरकार भी आम लोगों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो। पहले देखा जाता था कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती थी और अपने वेतन से वह ब्रांडेड वस्तुओं को ज्यादा खरीदता था। आज क्या कारण है कि हम ब्रांडेड वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं? केवल सस्ती चीजों की तरफ हम ज्यादा भागते हैं कि हमें कम दाम पर सस्ती चीजें मिल जाएं। यही कारण है कि आज ब्रांडेड चीजों को हर व्यक्ति नहीं ले पाता है और सस्ती चीजों की ओर उसका रूझान रहता है।

सभापति महोदय: प्रो. सौगत राय।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप कंक्लूड कर लीजिए। आप तो मास्टर हैंड हैं, आप किसी भी विषय पर बोल लेते हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): ये मुलायम सिंह यादव जी के राइट हैंड हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आपने राइट हैंड कहा, यह बहुत अच्छी बात है। हम यह कहना चाहते हैं कि कमाई तो बढ़ी है, हर व्यक्ति की कमाई बढ़ी है, यह हम नहीं कहते, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो इनकम है, उस पर कहीं न कहीं हम डाका डालने की कोशिश करते हैं। इस प्रवृत्ति को हमें त्यागना पड़ेगा और महंगाई की रफ्तार पर भी हमें अंकुश लगाने की जरूरत होगी। जहां तक पिछली सरकारों के बारे में देखा गया है, राजग की सरकार में मैंने देखा कि 48 फीसदी महंगा हुआ है और यूपीए के शासनकाल में महंगाई में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज हमारे तमाम उत्पादन होते हैं, हमारे अनाज सड़ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि जो गरीब और भूखे लोग हैं, उन्हें बांटना चाहिए। हमारे यहां भण्डारण क्षमता नहीं है, ये तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसी बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान गोदामों के लिए रखा गया है, मेरे ख्याल से यह पर्याप्त नहीं है। हमें खाद्यान्न भण्डारों के लिए ठोस प्रबन्धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी जाकर हम महंगाई पर थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। महंगाई, घोटाले और बेरोज़गारी की समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इस ओर भी हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार ने यह कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लाकर महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल से

वह सही नहीं है। तमाम ऐसे फुटकर व्यवसायी हैं, जिनका इससे व्यवसाय नष्ट होगा और उन पर मार पड़ेगी। बीपीएल की बात कही गयी है। बीपीएल का पुनः सर्वे होना चाहिए। इनको प्रत्यक्ष फायदे के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनायी हैं, जिससे राजकोषीय घाटे को कंट्रोल किया जा सके और उससे महंगाई को रोकें, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं ताकि किसी प्रकार से महंगाई काबू में आए। हमारा दल और हमारे तमाम साथी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपने मुझे संकल्प पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mr. Chairman Sir, thank you for allowing me to speak on this Resolution regarding Steps to Control the Rise in Prices of Essential Commodities.

The country is caught in a catch-22 situation. The situation is what the Prime Minister's Economic Adviser Shri Rangarajan said the day before yesterday – it is stagflation. On the one hand, there is stagnation, not enough growth. On the other hand, it is inflation. It is a situation from which so far the Government or anybody has not shown a way out.

Even the Finance Minister in his Budget speech said that it is food inflation that is worrying. He said the Wholesale Price Index inflation is about 7 per cent and the core inflation is 4.2 per cent. He said, it is food inflation that is worrying and we shall take all possible steps to augment the supply side to meet the growing demand for food items. The other thing that the Finance Minister has said is that the main problem is to reduce the fiscal deficit. This is creating the catch-22 situation. What is he doing to reduce the fiscal deficit? He is reducing subsidies. In the last Budget, subsidies were 12 per cent on the total expenditure. This year it has been brought down to 10 per cent of the expenditure. What are the main three items of subsidies? Food, fuel and fertilizer. This year, subsidy on fuel has been reduced. Price of diesel is going up, LPG price is going up and that is putting pressure on the common people. Subsidy on fertilizer has been reduced. So, price of fertilizer for farmers is going up. Ultimately it will lead to rise in food prices.

Thirdly, the food subsidy has also been reduced. Prof. K.V. Thomas is here. He has been dealing with the subject seriously. The Government is talking of the Food Subsidy Bill to be passed this year. I want to ask him whether this year out of the food subsidy which is Rs. 90,000 crore it is possible to give food subsidy to the targeted population. No, it will take at least Rs.1.2 lakh crore. So, on the one hand you are saying that we should control headline and food inflation. On the other hand, your decrease of subsidies is adding to the prices.

Please see the other side also. Because he has to reduce prices, what else is he doing to reduce fiscal deficit? He is reducing the budget allocation. He said that we will take some supply side steps. It means that you increase the supply of food, and then you are able to reduce food prices.

Now, in agriculture, the Budget is minimal. The farmers in the country have done very well, and as a result of that during the Eleventh Plan rise in production was 3.6 per cent, but the Budget of the Ministry of Agriculture is only Rs. 27,000 crore. You cannot increase food production with this meagre Budget. If you really want to take an all-out effort, then this is not sufficient. So, the Government is caught in its own trap. It has to reduce fiscal deficit, so it is reducing budgetary allocation, and budgetary allocation reduction is leading to supply-side constraints.

Look at the other thing. The main thing is not only production of food grains, but it has to reach the consumers. What does it mean? It means that you have got to have warehousing; you got to have roads; and you got to have other arrangements in place. How much money has been given in this Budget for developing infrastructure for supply of food? It is only Rs. 5,000 crore in this huge country for developing warehousing and infrastructure for food grains. So, what is happening is that though the country has had record food grains production of 260 million tonnes last year and 250 million tonnes this year -- in spite of severe drought in parts of Maharashtra -- food rots in godowns and in the open and does not reach the consumer.

This brings us to the question of Public Distribution System (PDS). Mr. Thomas knows that at the moment there are about 5,04,000 Fair Price Shops (FPS) in the country. Now, do they have enough to supply? If you go to a rural area -- even in your own Maoist-infested area -- you will see that the FPS is empty. They have no rice or wheat and they have no other things. The FPS remains closed for four days a week. I will tell you of an experience. Yesterday, the All India Fair Price Shop Dealers Federation came in a big procession to Delhi. They have a

membership of 4 ½ lakh, and almost 2-3 lakh people congregated in Delhi. Some of them who were from my Constituency caught hold of me. So, I took them to see the Prime Minister. Now, one of their demands was to universalise PDS. It means that this Government's Food Subsidy Bill covers 75 per cent of rural areas and only 50 per cent of urban areas. Therefore, the total comes to about 67 per cent of the total population. They were demanding universalization, that is, to give subsidised food grains to everybody. The PM said that : "I cannot do it because there is not enough procurement, and there is not enough stock." The PM himself said this yesterday in the Parliament House. See the catch 22 situation again. So, I said that : "PDS is run by the State Government." He said that : "The States are not lifting their allotment of wheat and rice. So, what do I do?"

It seems to me that Government is caught in a helpless situation because of budgetary constraints; need to reduce deficit; their desire to reduce subsidies; and their inability to utilise the PDS that is there. If there are roughly 5 lakh villages in the country and if there are FPS everywhere, then why cannot you assure sufficient quantity of food grains reaching to all these 5 lakh shops? This is where you have failed. So, unless the common man is protected from this rising prices, the life is terrible. Life is terrible for salaried people and for daily wage earners. It does not matter to people who live in South Delhi as to what the prices are, but the common man is drowning under this price rise.

I will end by just citing the problem. My intention is not to blame Mr. Thomas. He is sitting here in Delhi. The State Governments have to deal with it. But I am telling you that if you could just give cheap rice to people and if it reaches them, then the situation changes. In our own State, we had a large Maoist-dominated area. The present Mamata Banerjee's Government planned to give BPL rice and wheat to the poor tribals in that area as a result of which, after the death the famous Maoist leader, Kishenji – you know the Maoists; they tried to blow up your car, but we were very assured when nothing happened – there was no revolt or there was no violence because the tribals are refusing to join the Maoists. They

say that they are getting rice and wheat at subsidised price and they shall not go and take up arms. That is how important supplying of food grains at subsidised prices is, but we are failing to do it.

I will just give you one example: the Index for food articles rose by 0.2 per cent. What are the prices of pulses? In case of Masoor Dal, it was eight per cent; in case of Raagi, the coarse grain, it was seven per cent; in case of poultry chicken, it was six per cent; the prices of *gram* rose by seven per cent, and the prices of all other food articles rose.

MR. CHAIRMAN : Prof. Roy, will you suggest some solution to the problem, that is, how it has to be tackled?

PROF. SAUGATA ROY: Now, I will come to the solution. All I am trying to say is that the Government should improve the supply side, that is, make arrangements to ensure that the produce reaches the consumer, and the way is to develop better infrastructure for warehousing for maintenance of food articles, and better roads to supply to the Fair Price Shops in the villages.

I have told you already that there are 5,04,000 Fair Price Shops in the country. Why can the Government not reach food grains and other food articles at a reasonable price to the people? It is not impossible. You have to improve the supply side. Unfortunately, due to various other constraints, the Government is not being able to do that.

Lastly, I will end with a quotation from Joseph Stiglitz, the Nobel Prize winning Economist. He wrote a Book called "Globalization and its Discontent". We followed the path of globalization, liberalization and privatization. This is the path the Government has followed since 1991, which is Dr. Singh's contribution to India. Joseph Stiglitz wrote:

> "The West has seriously mismanaged the process of privatization, liberalization and stabilization, and following its advice, Third World countries and former Communist States are worse off than they were before globalization. The globalization is not working for the world's poor, environment and stability."

So, while we are being affected by globalization, the poor are suffering. I would request the Government to seriously think of strengthening the delivery system of food articles through the PDS.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much for your excellent suggestions.

जगदम्बिका जी, हमने तो आपको देखकर सोचा था कि आप जीरो ऑवर के लिए आये हैं। अब देखता हूं तो इस पर भी आपके विचार सुने जायें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं आज जीरो ऑवर में उपस्थित नहीं रहूंगा।

सभापति महोदय: पर आपके बिना जीरो ऑवर सूना-सूना लगेगा।

श्री जगदम्बिका पाल: भविष्य में आपके निर्देशों का पालन करूंगा। आज आपकी पीठ से निर्देश हो गया, भविष्य में मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं जीरो ऑवर में उपस्थित रहूं।

सभापति महोदय: शैलेन्द्र जी, आप हुए, अर्जुन राम मेघवाल जी हुए, कुछ नाम हैं, जो जीरो ऑवर के हीरो हैं। You are the Heroes of 'Zero Hour'.

श्री जगदम्बिका पाल: यह आपका बहुत बड़ा प्रमाण-पत्र है। कम से कम संसदीय जीवन में पीठ से यह प्रमाण-पत्र मिले। आरदणीय शैलेन्द्र जी को, मेघवाल जी को या हमें, तो निश्चित तौर से हम आपके आभारी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, जिसकी चिंता आज पूरे देश में सभी को है। मैं समझता हूं कि इस महंगाई के बढ़ने से आम जनमानस, आम आदमी निश्चित रूप से प्रभावित होता है। उस आम आदमी की चिंता सबसे ज्यादा हमारी पार्टी को है, हमारे लोगों को है, हमारी सरकार को है। आज यह अच्छी बात है कि इस पर बहस हो रही है। आपने कहा कि सुझाव दिया जाए, क्योंकि कभी-कभी यह विषय आरोप-प्रत्यारोप का हो जाता है। जैसा शैलेन्द्र जी ने कहा कि कभी राज्य की जिम्मेदारी केंद्र वाले डालते हैं और केंद्र की जिम्मेदारी राज्य वाले डालते हैं। आज हम उससे ऊपर उठकर इन बातों पर चर्चा करेंगे।

निश्चित तौर से यह देश के सामने चिंता का विषय है। फूड इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या बढ़ती हुयी महंगाई से जो आम जनजीवन प्रभावित होता है। हमें इस बात को देखना होगा कि आखिर इस महंगाई का प्रमुख कारण क्या है? आज चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस बात के लिए निरंतर प्रयास करती है कि महंगाई पर हम उस फूड इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन को कम करें और सरकार उस दिशा में कदम भी उठा रही है। आज महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कौन-कौन से कारण हैं? मैं समझता हूं कि पहले हमें उन महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करनी होगी। देश में जितनी मांग होगी, अगर उसकी तुलना में उत्पादन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन और डिमांड में गैप होगा, तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव महंगाई पर पड़ेगा। जब बाजार में मांग के सापेक्ष कमी हो जाती है, तो उस समय ब्लैक मार्केटियर्स और जमाखोर इसका फायदा लेते हैं। इससे जनता या जनजीवन प्रभावित होता है।

दूसरी बात यह है कि आज भी इस देश में हमारी खेती 60 से 70 परसेंट मानसून पर निर्भर करती है। The agricultural area and its production are dependent on weather and technology. अगर आज भी सूखा पड़ जाए या देश के किसी हिस्से में बाढ़ आ जाए, तो वह भी उत्पादन को प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। इसी तरीके से जो एमएसपी है, जो हम किसानों को देते हैं और फिर पीडीएस के थ्रू वितरण प्रणाली में देते हैं, तो वह मिनिमम सपोर्ट प्राइज भी एक कारण है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। जो सब्स्टीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, डिमांड एंड कंजंप्शन है, सीजनल साइकल्स हैं और इंटरनेशनल प्राइसेज हैं। इसके छः महत्वपूर्ण कारण हैं। यह इस देश में या किसी भी देश में महंगाई बढ़ने का कारण बनते हैं। किसी भी पक्ष के बैठे हुए साथी हों, वे इस बात को जानते हैं कि अस्सी प्रतिशत क्रूड ऑयल आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। स्वाभाविक है कि जब हम अस्सी प्रतिशत इस देश के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें निर्धारित करना हमारे नियंत्रण के बाहर हैं।

जो ओपेक कंट्रीज हैं, वे मूल्य निर्धारित करती हैं। जब 120, 125 या 127 डॉलर प्रति बैरल क्रूड पहुंच जाता है, तो इसका बढ़ना स्वाभाविक है। जो ये चिंता कर रहे हैं, हम भी इसकी चिंता करते हैं कि अगर डीजल का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि ट्रांसपोर्टेशन पर प्रभाव पड़ता है, इसकी कॉस्ट बढ़ती है। एक तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है।

हमारे विद्वान साथी सौगत राय जी ने कहा कि जब फिसकल डेफिसिट को कम करने का प्रयास करते हैं, अगर हम कोई वित्तीय नियंत्रण करना चाहेंगे तो उसका क्या रास्ता होगा? सब्सिडी के सिवाय कोई रास्ता नहीं हो सकता है। एक लाख चालीस हजार करोड़ रूपए हम अंडर रिकवरी रहें, पेट्रोलियम कंपनीज में, तो अगर हम सब्सिडी को कम करते हैं, तभी हम उस वित्तीय घाटे को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी इकॉनामी के लिए या देश की इकॉनामी के लिए निश्चित तौर से ये कदम पिछले दिनों उठाए गए, नहीं तो हम भी यही सोचते कि वर्ष 2014 का चुनाव है, जितना पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, हम पर्सनल इंकम टैक्स में स्लैब्स को बढ़ा दें। हम सब्सिडी को भी जारी रखें, वर्ष 2014 में हमारी सरकार आएगी, तब हम चिंता करेंगे या किसी की सरकार आएगी, तब वह चिंता करेगी। लेकिन हम आज जिम्मेदार हैं और हमें अपनी सरकार से ज्यादा चिंता देश की है, देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है। इसी चिंता के कारण हमने जिम्मेदारी का एक बजट प्रस्तुत किया और जिसका बाजार में प्रभाव पड़ा है।

आप देखते हैं कि आज जिस तरह से चीजों की कमी है उसका क्या सुझाव है? एडीबल ऑयल, सुगर, कैरोसिन ऑयल के दाम बढ़े। आप भी कहीं न कहीं निश्चित तौर पर सहमत होंगे कि जो पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम है, कुछ राज्यों को छोड़कर, ओडिसा में यह अच्छा है, छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम सबसे अच्छा है। कुछ और राज्यों में यह अच्छा है। अगर उन राज्यों के लिए हम केन्द्र से जो डिमांड मांगते हैं, चाहें वह व्हीट, पैडी, सुगर या कैरोसिन के लिए हो, हम देते हैं। अगर आप प्रत्येक परिवार को पांच लीटर मिट्टी का तेल मिलना चाहिए, शैलेन्द्र जी उपस्थित नहीं हैं, आज भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में पांच लीटर मिट्टी तेल प्रत्येक परिवार को नहीं मिल रहा है। उनको दो लीटर, ढ़ाई लीटर या डेढ़ लीटर तेल मिल रहा है। यह पीडीएस का सिस्टम है। उनको यह तीन-तीन महीने में एक बार मिलती है। महीने में चीनी कुछ परिवारों को मिल गई और कुछ को नहीं मिली। यह तीन-तीन महीने में शायद एक बार मिलती होगी। यही हाल आदिवासी इलाकों में भी होगा। हमें पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एसेंशियल कमोडिटीज जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं, वह अधिकार किस को है। उन ब्लैक मार्केटियर्स के होडर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहें तो वह ऐसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में प्रासिक्युशन करने की कार्रवाई राज्य सरकारों की है। तीन बट्टे सात जो ऐक्ट है उस ऐक्ट को हम क्रियान्वित नहीं कर सकते है।

इसे राज्य सरकारें ही क्रियान्वित करती हैं। आपने देखा होगा कि राज्यों में बहुत ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग का काम हो रहा है लेकिन जनता के बीच में उनका सुचारु रूप से वितरण हो। इस बात की व्यवस्था नहीं हो रही है। एसेंशियल कमोडिटीज लोगों के बीच ठीक से पहुंचे, तीन बट्टे सात में जो होर्डिंग करते हों, ब्लैक मार्केटिंग करते हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ...(व्यवधान) मैं एक दो मिनट में अपनी बात कंक्लूड करूंगा।

सभापति महोदय : जगदम्बिका जी, बजट के बाद क्या कुछ प्राइसेज घटे हैं?

श्री जगदम्बिका पाल: बजट के पहले जो इंफ्लेशन दहाई में था...(व्यवधान) आप का` होल प्राइस इंडेक्स हो या कंज्युमर प्राइस इंडेक्स हो, आप कहिएगा तो पूरा चार्ट पढ़ कर सुना देंगे। ...(व्यवधान) आज आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों से मांगे हैं कि आज ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या हैं? जिस समय एडीबल ऑयल, सुगर की कमी हो गई, पिछले साल हमने इसी सदन में चर्चा किया था कि हम ने ड्यूटी फ्री सुगर इम्पोर्ट किया था। कांडला पोर्ट पर रॉ सुगर पड़ा रहा। उस समय की तत्कालीन सरकार ने मिलर्स को एलाउ नहीं किया कि कांडला पोर्ट से उस सुगर को उठा कर, उसको फिनिश कर के बाजारों में दे सकें। हमने 30.06.2012 को रॉ सुगर इम्पोर्ट पर ड्यूटी फ्री किया और आज तक हम उसको एक्सेटेंड करते रहें। इसी तरह से हमने एडीबल ऑयल को एक्सपोर्ट के लिए बैन किया है। आखिर प्राइसेज को कंट्रोल करना है, जो चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस बात की कोशिश करती है कि देश में किसी चीज की उत्पादन की कमी हुई हो, चाहे चीनी, दाल, दलहन या तेलहन हों, उनकी हमने इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्युस किया है। व्हीट, ओनियन, प्लसेज या पामोलीन की बात की बात हो, इस तरीके से हमने उस कदम को भी उठाया था। जो वायदा बाजार निशिकांत जी ने शुरु किया जिसका बहुत बड़ा प्रभाव महंगाई पर पड़ा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन को यह मालूम होना चाहिए कि निशिकांत जी आ गए।

श्री जगदम्बिका पाल : यह महत्वपुर्ण विषय है और हम सभी लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों को मिल कर...(व्यवधान) उत्पादन की जगह राज्य सरकार है। ...(व्यवधान) राष्ट्रीय कृषि विकास नीति में हम पैसा देते हैं जो देश के लिए आवश्यकता है, जैसे, प्याज, आलू, वेजिटेबल्स के लिए हो, इनके लिए उत्पादन एरिया बढ़े। आज केन्द्र के पास अपनी कोई लैंड नहीं है कि केन्द्र सरकार उस उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। आज राज्यों को उत्पादन बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास नीति एवं अन्य योजनाओं में हम पैसा दे रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग करें, राज्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। केन्द्र के निर्देशों के अनुसार महंगाई को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करे जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman. I stand here today to participate in the Resolution that has been moved by Shri Mahendra Kumar Roy relating to 'steps to control the rise in prices of essential commodities'. I think there are no two opinions in the House other than supporting the Resolution which has been spelt out by Shri Roy in his own elucidating and convincing point of view to be passed. But, I very much doubt it. After hearing the Minister's view on this Resolution, I think that ultimately Shri Roy has to withdraw his Resolution. That has been the practice in this House since the day I have been a part of this House. I think, it is necessary that we should contemplate and also discuss as to why it has become imperative to discuss about the Public Distribution System prevalent today in our country.

Already, the Government has rolled out a Direct Benefit Transfer Scheme divesting PDS from that scheme. But, what we have all learnt in-between the lines is, phase-wise this PDS is going to be divested through Direct Benefit Transfer. I want to narrate one of my experiences. When a Delegation from Brazil had come to visit our Parliament, I had the opportunity to interact with them. They said that, "You have one of the best systems to deliver food-grains in kind to the poor people. We are providing money and that is leading to a lot of trouble". What we have done today is, by all our think tank and corporate house mobilization, our Government is going to adopt or has already started adopting Direct Benefit Transfer, the idea we have derived from Latin American countries, especially Brazil. Brazil is looking up to India that how successfully we are channelising food-grains to reach the house of the poor people. Here, I think there is a necessity on the part of the Government to understand the difficulties which Brazil is facing and the difficulties which we are facing in our country so that the poor and the disadvantaged are not put to loss.

When we are talking about PDS, in this Resolution there are two specific parts as far as I understand. One is the rise in prices of essential commodities -

what steps the Government intends to take and what suggestions, the effective steps to control price rise, Shri Roy has given is one part. The second part is about the essential commodities; to strengthen and universalize the Public Distribution System. Targeted PDS evolved in early nineties. During Shri Narasimha Rao's tenure a specific targeted PDS was evolved. It was practised during 1996-97. As a Member of Public Accounts Committee when we were touring different States, we interacted with the people of Jammu and Kashmir, both in Leh and in certain areas of Kashmir Valley. We went to the rural areas of Jammu. The Secretary of Food and Public Distribution Department very forcefully tried to convince the Committee that there they have a token system. They did not have specific shops which are entitled to sell PDS products.

18.00 hrs.

They have token system and Government give these tokens to the BPL families. They can purchase and get whatever they want to and what they are entitled to and that token can be reimbursed at the Civil Supply Office. There were also pilferages.

सभापति महोदय : मेहताब जी, चूंकि छः बज चुके हैं, इसलिए प्राइवेट मैम्बर्स बिल का टाइम खत्म हो गया है। अगर आप बोल चुके हैं तो मैं किसी दूसरे माननीय सदस्य का नाम लूं, लेकिन अगर आप अपनी बात को अगले शुक्रवार तक कन्टीन्यू करना चाहते हैं, तो मैं आपको एलाऊ कर सकता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I have many more points to make.

MR. CHAIRMAN: Then, you will continue your speech next time.

अगर सभा की अनुमति हो, तो सभा की कार्यवाही शून्य काल की समाप्ति तक बढ़ा दी जाती है, क्योंकि शून्य काल को चाहने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

कई माननीय सदस्य: हां।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, काशीपुर, रूद्रपुर, बाजपुर, हल्द्वानी, सितारगंज, किच्छा, वीरूमदारा व रामनगर, जो कि कृषि उत्पाद में भरपूर बेल्ट है। वहां पर एफडीआई समर्थित खरीद सैंटर की नितांत आवश्यकता है। इसके अभाव में जो किसान अपने माल को मंडी तक लेकर जाते हैं, वे बिचौलियों के बीच फंसकर औने-पौने दामों पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहीं-कहीं तो किसान अपनी फसल को आग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता। उन्हें अपनी फसल का औचित्य नहीं मिल पाता, जिससे परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसानों की बड़ी कठिनाई होती है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह किच्छा या रामनगर में एफडीआई समर्थित कृषि उत्पाद खरीद सैंटर की शीघ्र स्थापना करे, जिससे किसानों को बिचौलियों से बचने का मौका मिले।

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): During the lean agricultural months, thousands of families migrate from the western districts of Odisha to the brick kilns of Andhra Pradesh, Karnataka and some other States.

18.01 hrs (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

These workers migrate from Bolangir, Koraput, Kalahandi, Kandhamal and Bargarh districts of western Odisha in KBK area which is one of the poor areas of Odisha.

Migrants are lured with advance payments and are subjected to work in harsh living conditions. They undergo 18 hours work days and physical violence. Workers do not have access to the basic facilities of food, healthcare and education for the children. They are also forced to work for a pittance. As per the Minimum Wages Act, a pair of workers should be paid Rs.367 for making 1000 bricks. This is based on certain assumptions. But in reality, a family of 3-4 members is paid just Rs.150 to Rs.200. If the workers make an attempt to walk out, they are physically assaulted and beaten up. Child labour in these brick kilns is rampant. Children are used to flip bricks while they are drying because the heavier palms of adults may lead to cracks in the bricks. Despite laws that protect

and safeguard migrant labourers' rights, working conditions for migrants continue to worsen.

In view of this, I urge upon the Government to provide social security entitlements to migrant workers and undertake efforts to strengthen enforcement of labour rights. I also urge the Government to expand the coverage and compensation provided by MNREGA and other employment programmes in the areas western Odisha which I have mentioned just now to check distressed migration.

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Sir, I rise to raise a very important matter regarding my Constituency, Mangaldoi as well as Assam.

The East-West Corridor passes through my Constituency from Nalbari to Guwahati. The work is progressing at snails pace. There is haphazard traffic. It is very difficult to cover 30 kilometres up to Guwahati. Sometimes, it takes three hours to reach there. The people are facing many problems. The fate of the second bridge in Brahmaputra is the same. It is not coming up. The work is very slow at the circle in Jhalukbari which is also a part of East-West Corridor. The work is very slow. So, I demand the Government, through you, that the work should be taken up fast so that the people can get the benefits of the communication system.

Another point is, NH-52 is passing through my constituency from Baihata Chariani via Mazbat and it touches Arunachal Pradesh. It is a two-lane National Highway.

So, I urge upon the Government to take up this Highway and construct as a four-lane one so that the people can move freely because this is the lifeline of north bank of Brahmaputra. This is the only Highway which connects Arunachal Pradesh to my constituency from Baihata Chariani to Tezpur. This is a two-lane road and it should be widened from the strategic point of view also because China border is nearby this area and it will be very difficult to move the Army personnel in the case of any eventuality.

In view of this, I urge upon the Government through you to take up these two issues so that the people can enjoy the fruits of the communication system.

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Meghwal may be allowed to associate with the issue raised by Shri Raman Deka.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): धन्यवाद सभापति महोदय, आज एक महत्त्वपूर्ण विषय को मैं उठाना चाहती हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र अति पिछड़ा है और आज भी बहुत ज्यादा अविकसित है। मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण वहां शिक्षा का अत्यधिक अभाव है। निश्चय ही आजादी के 65 वर्ष बाद भी यह क्षेत्र पिछड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहां रहने वाले अधिकांश लोग आदिवासी हैं। इसी कारण आज तक इसका विकास नहीं हुआ है। मेरी यह मांग है कि पिछले साल 2011 में हमारे यहां सेन्ट्रल स्कूल आया। हमारे पास कुछ नवोदय विद्यालय भी आए। पिछले साल सेन्ट्रल स्कूल आने के कारण, हमारी छः टिकटें तो अभी बढ़ी हैं, लेकिन मांग अधिक होती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यहां सेन्ट्रल स्कूल आने के कारण इसके प्रति लोगों में बहुत ही अधिक जागरुकता आयी है। लोग अपने बच्चों को यहां शिक्षित करना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन बढ़ाया जाए ताकि उन्हें सेन्ट्रल स्कूल की सुविधा मुहैया हो सके। उन लोगों के बच्चे, जो महंगी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सेन्ट्रल स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरा एक और निवेदन है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय मेरे इस पिछड़े क्षेत्र में नहीं है, जिसे निश्चय ही इसी पैरामीटर में रखा गया है। मैं चाहती हूं कि मेरे यहां दस ब्लॉक हैं, उसमें से अधिक से अधिक आदिवासी बहुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी दिये जाएं। यह मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति लोक महत्त्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ मांग करना चाहूंगा। देश की आजादी में हमारे बहुत से शहीदों ने कुर्बानी दी। हमारे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में मौलाना लियाकत अली साहब थे, जिन्होंने 21 दिन तक इलाहाबाद में शासन किया था। उन्होंने अंग्रेजों को बंधक बनाया था। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर खुसरूबाग रखा था। उसके बाद उन्हें कालापानी की सज़ा हुई। चूंकि वे मौलाना टाईप के थे, इसलिए अंग्रेज भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी मज़ार पोर्ट ब्लेयर में बनायी गयी। मैं अभी कमेटी के टूर पर वहां गया था, तो देखा कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसके बारे में मैंने वहां के ले. गवर्नर से भी बात की। मैं चाहूंगा कि उनकी मज़ार को अच्छी तरह से बनाया जाए।

सभापति महोदय : संरक्षित किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: ताकि आज़ादी के हमारे सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। इसी तरह दुर्गा देवी थीं, जिनको दुर्गा भाभी कहते थे चन्द्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह। हमारे कौशाम्बी में शहजादपुर की थीं। वह उस समय आंदोलन में क्रांतिकारियों की सूचनाएं देना, उनको आर्म्स पहुंचाना, पैसा देना और लोगों को पनाह देना आदि काम करती थीं। मैं अभी गया था कम्बल वितरण कार्यक्रम में, लखौरी ईंटों का बना हुआ उनका जर्जर घर है। उनकी बहन, जिनकी उम्र लगभग 105 वर्ष होगी, आज भी जीवित हैं। मैं चाहता हूं कि जो ऐसे तमाम सपूत हैं, वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, कम से कम उनके घरों को स्मारक के रूप में बनाया जाए, उनके कृत्य एवं इतिहास को लिखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उससे सबक ले।

दूसरे, वहां पर कड़ाधाम है, जहां पर संत मलूक दास रहते थे। उनकी एक कहावत है :

"अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। संत मलूका कह गए सबके दाता राम।।"

उनका भी स्मारक वहां है, जो बहुत जर्जर हालत में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि बौद्ध सर्किट में भी अभी तक कौशाम्बी को नहीं जोड़ा गया है जहां पर बौद्ध एवं जैन लोगों के स्थान हैं। ऐसे तमाम स्थानों को, जो धार्मिक एवं एतिहासिक स्थान हैं, हमारे देश के ऐसे सपूत जो आजादी के लड़ाई में बलिदान हुए हैं, उनके स्मारकों को बनाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए और उनके नाम पर योजनाएं चलाई जाएं। मैंने सुना है, रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी कह रहे थे कि शहीदों के नाम से रेलगाड़ियां चलें, तो मेरे ख्याल से ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मुझे एक बात कहने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, अभी आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तकनीकी तथा प्राविधिक शिक्षा के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली छात्रवृत्ति में हो रही व्यापक घोटाले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, सरकार द्वारा पिछड़े, अनुसूचित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है जिसे शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में सीधे शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के खाते में जमा कर दिया जाता है। इस छात्रवृत्ति के भुगतान में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों के संचालकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। अनेक

संस्थानों में फर्जी छात्रों के नाम चढ़ाए गए हैं। इन छात्रों का संस्थान द्वारा स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली परीक्षा में उपस्थित दिखाया गया है, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनुपस्थित दिखा दिया जाता है। इस प्रकार से सर्वतः फर्जी नामों के आधार पर करोड़ों रुपयों की लूट हो रही है। इस लूट के अन्य दो आयाम भी हैं। बहुत वास्तविक छात्रों को निरंतर यह कह कर टाला जाता है कि उनकी छात्रवृत्ति का पैसा अभी तक नहीं आया है और इस प्रकार से छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाता है। इसके अलावा इस घोटाले में सामान्यतः सभी वास्तविक छात्रों से शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि जमा किए जाने के बदले 5000 रुपये, 10000 रुपये या अधिक रुपये भी ले लिए जाते हैं। इस लूट के कारण अनेक निर्धन छात्रों के भविष्य तथा उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मुझे इस संबंध में अनेक संस्थानों के प्रति शिकायतें मिली हैं। इस प्रकार की अनियमितताओं के समाचार प्रदेश एवं देश के विभिन्न स्थानों से प्रायः आते रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि निर्धन वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली छात्रवृत्ति में हो रहे घोटाले की उच्चस्तरीय तथा व्यापक जांच कराई जाए तथा इसमें लिप्त अधिकारियों एवं संस्थानों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए ताकि निर्बल व निर्धन वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना संभव न हो सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। ऐसा ही प्रकरण मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का है। प्रकरण 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश करके यहां भेजा है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी यूजीसी की सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है। लेकिन यूजीसी द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग का हृदयस्थल है तथा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति में एक रेगिस्तानी इलाके का विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी की शर्तें पूरी करता हो तथा वह प्रकरण सभी स्तरों से अभिशंसित होकर यूजीसी में लम्बित हो, तो मान्यता दिलवाने में प्राथमिकता से काम करने का दायित्व यूजीसी का बनता है।

मैंने यह विषय लोक सभा में नियम 377 के तहत भी उठाया था। उसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कहा कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय ने अभी तक आवश्यक विश्वविद्यालय सुविधाएं विकसित नहीं की है, जबकि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय ने वे सारी सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि विकसित कर ली हैं। यह मैं खुद वहां देखकर आया हूं। अतः मैं आपके माध्यम से भारत

सरकार से मांग करता हूं कि बीकानेर में स्थित इस महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी की धारा 12-बी के तहत मान्यता दिलाने की व्यवस्था करें, जिससे वहां पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I would thank you very much for giving me this opportunity to raise an important issue here.

Sir, the members belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes Communities of Tamil Nadu as also the other Southern States have migrated to Delhi. For more than five decades, they have been permanently living here and they have become the domiciles of Delhi. They are exercising their basic rights such as voting in the Municipal, Panchayat and the Parliamentary Elections but, at the same time, they are denied the privilege of contesting the above elections. They cease the privilege of belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes communities once they cross the borders of the State of their origin. In spite of their being the law-abiding citizens and domiciles of the migrated State for more than five decades, the basic rights are denied and they are compelled to lose their distinct identity.

The benefits of reservation as guaranteed by Artcile 16 (4) of our Constitution, which is a basic right enjoyed by the fellow Scheduled Caste, Scheduled Tribe persons are not available to them as the State of Delhi does not provide reservation in educational institutes, Government appointments. Further, it has not issued caste certificates to these communities. Moreover, the caste certificates issued by the appropriate authorities of Tamil Nadu Government and the other Southern States are also not being accepted in Delhi.

It is a very important problem faced by the people who are living here. Even in Singapore, the people of Indian origin are living there. If they are living there, they have the right to contest elections but not in Delhi!

Hence, I urge upon the Union Government to bring forward a suitable legislation to amend the Constitution of India to ensure that the reservation meant for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and the Other Backward Classes

communities people is available to them even when they migrate to other States other than their place of birth.

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): सभापति जी, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार एवम् उत्तर प्रदेश की संयुक्त महत्वाकांक्षी योजना, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना संचालित है। जिसके माध्यम से पंचायत स्तर पर ग्रामीण खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा की जा रही है। परन्तु इनका संचालन करने वालों को आज की महंगाई के समय में भी काफी कम मानदेय मिल रहा है। देश में 4600 की जनसंख्या के आधार पर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान को संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 90 प्रतिशत चयनित गांवों में यह योजना चल रही है। इस योजना में खेल के सामानों एवम् उपकरणों के रख-रखाव एवम् नए तथा अच्छे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संविदा पर नियुक्त क्रीड़ाश्री की है। खेलों के प्रति रुझान बढ़ाकर खिलाड़ियों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी क्रीड़ाश्री की है, परंतु आज की महंगाई में इन क्रीड़ाश्री को केवल 500 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। इस 500 रुपए में पंचायत क्रीड़ा एवं खेल योजना के अंतर्गत नियुक्त संविदा क्रीड़ाश्री तन्मयता के साथ कैसे काम कर सकते हैं।

मे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त योजना में संविदा पर कार्यरत क्रीड़ाश्री का मानदेय बढ़ाकर 8000 रुपए प्रतिमाह किया जाए तथा इन्हें नियमित भी किया जाए, ताकि ये दिल लगाकर इस योजना को सफल बना सकें।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I wish to raise an issue which involves two States. This is about the Polavaram project in southern Odisha and Andhra Pradesh. Polavaram irrigation project being implemented by the Andhra Pradesh Government has put the lives of people living in southern Odisha at great peril. No public hearing was conducted before issuing environmental clearance to the project and the project violates the Forest Conservation Act, 1980, so far as the diversion of forest land for submergence was concerned. In the absence of upstream projects – which is within the State of Odisha – which have not been undertaken by the Andhra Pradesh Government, there will be a large reservoir making huge backwater submergence within Odisha, which in turn would result in large scale human habitat displacement.

Water is a scarce resource and it is our duty to use it in a very sustainable manner. I urge the Central Government in the Ministry of Water Resources to act as a mediator and encourage both the State Governments to resolve the matter via mutual agreement. Such matters should not be taken to court as they only result in additional burden on the taxpayers of both the States, taking several years to reach a consensus and thereby continuing wastage of valuable national resources.

Both State Governments could divide responsibilities for building the dam so that people from both States could benefit equally. Cost could be incurred by both States, including compensation paid to displaced people, where I think the Government of India and most States are at a loss because when people are displaced, the compensation is never ever paid on time and properly. This way an essential matter could be solved and without stalling the project, people from both States could benefit as there is water scarcity for drinking water and irrigation.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया अंधकार युग एवं पााण युग में थी, तब हमारे देश में कृा का जन्म हुआ था, विकास हुआ था। कई सदियों से अच्छे खाद्यान्न हमारे देश में तैयार होते आए हैं। लेकिन जब से हरित क्रान्ति के नाम से अधिक उत्पादन करने हेतु रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग शुरू हुआ है, तब से समाज में व्याधियां बढ़ने लगी हैं। पहले 70 के दशक तक न तो गांव में कीटनाशक थे और न ही कैंसर जैसी व्याधियां थीं।

महोदय, हरित क्रांति बहुराट्रीय कंपनियों की कुटिल चाल है। ये हमारे ग्रामीण समाज को पंगु बनाकर अपनी तिजोरियां भरने का काम करती हैं तथा जिसको सरकार का समर्थन एवं संरक्षण मिल रहा है।

महोदय, अधिक उत्पादन के लालच में उर्वरकों तथा कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग होने लगा है। जिसके कारण जमीन की उर्वरा शक्ति तेजी से खत्म होती जा रही है। जमीन अनउपजाऊ तथा बंजर बन रही है। उत्पादित खाद्यान्न स्वादहीन तथा जहरीले बन रहे हैं। हरी सब्जियां तथा फल भी सलामत नहीं रहे। सब्जियों के विकास तथा फलों को पकाने के लिए हार्मोन्स तथा कैमीकल्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं।

महोदय, तीन दशक पहले देश में कैन्सर के इक्का-दुक्का मामले होते थे और वह भी जीवन के संध्याकाल में। परंतु अब तो इस कैमीकलयुक्त जहरीले खुराक ने कैंसर, लीवर, किडनी, हृदय के रोग जैसी

गंभीर बीमारियां आम बात हो गई हैं। बीमारियों ने बच्चे, बूढ़े और जवान सबसको अपने चपेट में ले रखा है। कभी-कभी तो चिकित्सक भी बीमारियों के नहीं समझ सकते।

महोदय, हरितक्रांति से शायद थोड़ा उत्पादन जरूर बढ़ा होगा, लेकिन अब जमीन की उर्वरा शक्ति खलास होने से उत्पादन कम होता जा रहा है। लोगों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ रहा है, जो हमारे सबके लिए चिंता का विाय है। अगर समाज स्वस्थ एवं तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो फिर ज्यादा उत्पादन करने का क्या फायदा?

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कृाि में प्रयोग हो रहे रासायनिक खाद्य, कीटनाशकों, नए कैमीकल्स के ऊपर अंकुश या रोक लगाई जाए। बाजार में बिक रही सब्जियों, फलों तथा खाद्यान्नों की नियामक संस्था का गठन करके नियमित जांच करनी चाहिए। नुकसान करने वाले फलों, सब्जियों को नट करके दोाी लोगों को सजा देनी चाहिए तथा जनजागृति अभियान द्वारा लोगों को जागृत करना चाहिए तथा जैविक कृाि को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे (हिंगोली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री का ध्यान दिन प्रतिदिन बीएसएनएल की बिगड़ती स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र हिंगोली, महाराष्ट्र में किनवट, महागांव, उमरकैत, हिमायतनगरी, नखलैत और पूरा ट्राईबल क्षेत्र है। बीएसएनएल के टॉवर्स सही मात्रा में नहीं होने की वजह से इसकी सेवा बुरी तरह से पिछ्ड़ गई है और बीएसएनएल के उपभोक्ता बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर इस स्थिति से अवगत कराया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र हिंगोली में बीएसएनएल के टॉवर सही मात्रा में नहीं होने से बीएसएनएल की सेवा बुरी तरह पिछ्ड़ गयी है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को पत्र के द्वारा भी स्थिति से अवगत कराया था और मेरे निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय क्षेत्र में 50 टॉवर स्थापित किये जाने की मांग की थी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में बीएसएनएल प्रणाली पूरी तरह से ठप्प हो गई है। बाकी दूसरी संस्थाएं या रिलायंस इत्यादि की सेवाएं भी हैं लेकिन बीएसएनएल के टॉवर्स सही मात्रा में नहीं हैं। बीएसएनएल की खराबी यह है कि टॉवर्स नहीं हैं और अगर टॉवर्स हैं तो डीजल नहीं हैं और अगर डीजल है तो वहां वॉचमैन नहीं हैं। टॉवर्स की जो पॉवर है, जो उसकी कैपेसिटी है, वह बहुत कम है। लेकिन उसके उपभोक्ता यानी कनैक्शंस की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों को मैं दोष नहीं दूंगा। लेकिन उनका इस तरफ ध्यान नहीं है और ज्यादा से ज्यादा टॉवर वे बंद रखते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि

महाराष्ट्र के अंदर जितने बीएसएनएल के टॉवर्स हैं, उनको अधिक से अधिक सक्षम बनाया जाए और संचार सुविधाओं में सुधार लाया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदय, कुश्ती एथेंस में हुए पहले ओलंपिक से लेकर अब तक के आयोजनों में शामिल रही है। खासकर भारत में इस खेल का इतिहास बहुत पुराना है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी अच्छी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। पिछले दो ओलंपिक और् वैश्विक स्पर्धा में हमारे पहलवानों ने दुनिया के अखाड़ों में देश को सम्मानजनक जगह दिलायी थी। कुश्ती में भारत एक ताकतवर देश बनकर सामने आया। उससे भविष्य को लेकर कुछ बेहतर उम्मीद जगी थी। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय खेल कुश्ती को 2020 के ओलंपिक में शामिल न करने की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सिफारिश तमाम भारतीयों को हैरान करने वाली है। आई.ओ.सी. की सिफारिश का अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती जगत ने कड़ा विरोध जताया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में लोकप्रिय खेल कुश्ती को ओलंपिक से हटाने की यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। किसी भी खेल को ओलंपिक में शामिल कराने के लिए दवाब समूह की जरुरत पड़ती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आई.ओ.सी. के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में कुश्ती की पैरवी करने के लिए भारत सहित किसी अन्य कुश्ती प्रेमी देश का प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। यह भारत में लोकप्रिय खेल के प्रति शर्मनाक बात है। मेरा आग्रह है कि सरकार द्वारा कुश्ती खेल को 2020 के ओलंपिक में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर दबाव डालकर उन्हें भारत के खेलों को ठेस पहुंचाने वाला निर्णय लेने से रोका जाए।

सभापति महोदय : श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री भर्तृहरि महताब और श्री राजाराम पाल को भी एसोशिएट किया जाए।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि महाराष्ट्र में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जाति के लिए जो आरक्षण प्रणाली देश में अपनाई गई थी, उसमें हमें 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। महाराष्ट्र ने इस नीति को अपनाया था लेकिन महाराष्ट्र में तीन जगहों पर जो मेरा चुनाव क्षेत्र है- चन्द्रपुर और यावतमाल में, वहां पर इसका प्रतिशत कम किया गया है और साथ में गड़चिरोली भी है। यहां छः प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 14 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। कुल मिलाकर तीन जिलों में 17, 22 और 11 परसेंट आरक्षण है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सूचित करे कि महाराष्ट्र में इन तीन जिलों में आरक्षण कम किया गया है और अन्य पिछड़ा जाति वर्ग पर अन्याय हो

रहा है। इससे विद्यार्थियों और नौकरी पाने वालों को तकलीफ हो रही है। मेरी मांग है कि उन्हें अधिकार मिले। केंद्र सरकार चाहे तो वहां अन्य पिछड़ा जाति आयोग के अधिकारी भेजकर जांच करके निर्देश दिया जाए ताकि 27 परसेंट आरक्षण लागू किया जाए।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत अत्यंत विषय के बारे में कहना चाहता हूं। बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या है। इस सदन में आए दिन महंगाई, भ्रष्टाचार पर चिंतन करते हैं लेकिन शिक्षित बेरोजगार की परेशानी की चर्चा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आज पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहुएं, रोजगार सेवक, शिक्षक मित्र और कृषक मित्र ऐसे पढ़े लिखे नौजवान और नवयुवतियां हैं जो रोजगार पाने के लिए, समाज की सेवा करते हैं। इन्हें सरकार 3000 रुपए मानदेय देती है और वह भी समय से नहीं देती है। वहीं आशा बहुओं को मात्र डिलीवरी, बच्चा पैदा कराने, अस्पताल ले जाने में केवल 500 रुपए दिए जाते हैं और उसमें भी 250 रुपए भाड़ा काटा जाता है। टीकाकरण के नाम पर 100 रुपए मिलते हैं।

सभापति महोदय, मैं सब शिक्षित नौजवानों और नवयुवतियों की ओर से मांग करता हूं कि इनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्हें परमानेंट किया जाए। यही नौजवान नक्सलवाद का रूप लेते हैं, डकैती और अन्य धंधों में शामिल हो जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए परमानेंट नौकरी दी जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है और मुख्य रूप से किसानों की चर्चा होती है। जब भी सत्र प्रारंभ होता है तो अधिकांश समय किसानों के हित में चर्चा होती है। मैं बिहार राज्य के जमुई लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। बिहार दो भागों में विभक्त है - एक उत्तरी बिहार है जो बाढ़ से त्रस्त रहता है और दूसरा पश्चिमी बिहार है जो सूखे से त्रस्त है।

मैं आपको अपने क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण जलाशय योजना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। एक बरनाल जलाशय योजना है जिसके काम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी और करीब दो से पांच करोड़ रुपए व्यय हुए। मात्र 70-80 फीट बांध के अभाव में इस योजना को लोग मृत समझने लगे हैं। यहां से खेतों तक नहर की खुदाई हो गई, किसानों के चेहरे पर खुशी आई कि लगभगग 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। दूसरी योजना मुंगेर के तारापुर विधानसभा की है। यहां भी आज से 33 वर्ष पहले काम की शुरुआत हुई थी और एक से डेढ़ करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से किसानों की व्यथा और दर्द से अवगत कराते हुए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि बरनाल जलाशय और सिंधवानी

जलाशय योजना का निर्माण किया जाए ताकि जो खेत बंजर हो गए हैं, पथरीले हो गए हैं वहां खेती हो सके और नौजवानों को काम मिल सके। यह क्षेत्र नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। मेरी मांग है कि इन दोनों योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले और मुख्यधारा से जुड़ सकें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I rise to raise a very important issue. Though I had tried to raise it for the last four days in this House during the ‘Zero Hour’ as a matter of urgent public importance, but to my misfortune, none of the time it fructified in the lottery.

Islamic activists have attacked dozens of Hindu temples in Bangladesh and hundreds of homes across Bangladesh have been torched and some have been put to death. This has been reported by AFP, a foreign news agency that Bangladesh Puja Udjapon Parishad, a group which looks after Hindu temples, has said, 47 temples and 700 Hindu houses were torched and vandalized.

Amnesty International has made an urgent appeal to the Bangladesh Government to provide its minority better protection. Abbas Faiz of Amnesty International has stated: “The Hindu community in Bangladesh is at extreme risk. They are being targeted simply for their religion. The attackers are from Jamaat-e-Islami and its student wing Islami Chhatra Shibir.”

The latest attack has occurred at Daudkandi at Comilla where a Hindu temple was vandalised and burnt down. A minority village of Rajganj Bazar in Noakhali was set on fire by Jamaat supporters.

According to Amnesty International, Bangladesh’s Hindu minority constitutes only 8 per cent of the population and historically has been at risk of violence. They have suffered heavily in 1971 both during the liberation war and again after the 2001 Parliamentary elections when BNP and Jamaat coalition came to power.

I would urge all political Parties to condemn such violence against the Hindu community in Bangladesh.

Residents of Jamia Nagar of Delhi have expressed strongly against this violence. They have come out on the streets with placards. One girl, the student of Jamia Millia Islamia, Nuzrat, along with others have held demonstration and have said that Muslims in India are quite concerned about what is happening in Pakistan and Bangladesh.

I urge upon the Government to impress upon Bangladesh Government to control violence and also create world opinion in favour of the minorities of Bangladesh.

MR. CHAIRMAN : Shri Rajendra Agrawal, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri Bishnu Pada Ray, Shri Hansraj G. Ahir, Shri Ramen Deka and Shri Nishikant Dubey are allowed to associate with the matter raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, झारखंड में गरीबी है, विस्थापन है और नक्सलवाद है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसके पीछे केन्द्र सरकार की गड़बड़ नीतियां हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी खान है। लेकिन वह नुकसान में है। लेकिन हमारे यहां जो राजमहल, चित्रा कोल फील्ड्स हैं, वे प्रोफिट में हैं। उसके कारण हम लोगों को सीएसआर की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसी तरह से कोल इंडिया का जो हैडक्वार्टर है, हम कोयले का ज्यादा उत्पादन करते हैं, वह बंगाल में है। स्टील अथारिटी का सबसे ज्यादा आयरन ओर हम देते हैं, चिड़िया माइन्स हमारे यहां हैं, उसका हैडक्वार्टर हमारे पास है। हिंदुस्तान कापर का बॉक्साइट हमारे पास है। लेकिन उसका हैडक्वार्टर बंगाल में है। दामोदर वैली कारपोरेशन हमारे यहां से पानी ले जाती है, लेकिन उसका हैडक्वार्टर बंगाल में हैं और रेलवे को हम सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन हमारे यहां धनबाद में जोनल हैडक्वार्टर नहीं है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, दामोदर वैली कारपोरेशन और धनबाद में रेलवे का जोनल ऑफिस और हमारे यहां ईसीएल को अलग करके राजमहल कोलफील्ड्स का एक नया हैडक्वार्टर कोल इंडिया क्रिएट करे, यही मेरा सरकार से आग्रह है।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। किसी भी प्रदेश व क्षेत्र के विकास के लिए

उसकी आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को केन्द्र बिन्दु मानकर किये जाने वाले समग्र विकास के कार्य से ही उस क्षेत्र को वास्तविक लाभ मिलता है।

इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के युवा, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए संसदीय क्षेत्र में राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर तथा सुसनेर के निकट उपलब्ध हजारों हैक्टेअर अनुपजाऊ गैर कृषि भूमि पर भारत सरकार के रेलवे, रक्षा तथा नागरिक उड्डयन विभागों के अंतर्गत खोले जाने वाले नवीन कल-कारखानों व उद्योगों को लगाने की मंजूरी प्रदान करे। साथ ही मेरा विशेष अनुरोध भी है कि भारत सरकार की मेन पॉवर वाली औद्योगिकि परियोजनाओं को संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में स्थापित किए जाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक सर्वे करवा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त प्रकार की औद्योगिक परियोजानाओं को स्थापित किए जाने के लिए यह क्षेत्र बेहद उपयुक्त होगा।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंडमान के जो नौजवान हैं, जिन्होंने बीडीएस की डिग्री हासिल की है, आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे प्रशासन के लोग भारत के बाकी राज्यों से ले कर भर्ती किए जा रहे हैं। इसका विरोध शुरू हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाल ही में दो पोस्ट जीडीएमओ (डेंटल) के लिए कॉन्ट्रेक्ट में एनआरएच की स्कीम के माध्यम से भर्ती की गई है। लोकल डॉक्टर को प्रिफरेंस देना है। स्वास्थ विभाग में दो जीडीएमओ (डेंटल) के लिए विज्ञापन निकला था, उसी मुताबिक 16 आदमियों ने अप्लाई किया था। जिसमें अंडमान के 7 डॉक्टर्स, जिन्होंने बीडीएस किया है, उन्होंने अप्लाई किया है। जिनका एक्सपिरिएंस सर्टिफिकेट भी है, सुनामी के समय सर्विस भी दिया गया। उसमें ऐसे तमिल डॉक्टर्स हैं, जिनको उपराज्यपाल ने कंमडेशन सर्टिफिकेट भी दिया था। उनको नौकरी नहीं मिली। उसके बदले में राजस्थान और बाकी राज्यों से ला कर डॉक्टरों को भर्ती कर दिया गया है। एनआरएचएम की गाइडलाइंस के मुताबिक तीन साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, लेकिन बाहर के राज्यों के डॉक्टर्स को नौकरी दी गई है। दो डॉक्टर्स को भर्ती करना था, वे दोनों ही बीडीएस डॉक्टर्स अंडमान निकोबार को मिले। मुख्य भूमि के राज्यों के डॉक्टर्स को नौकरी दी गई है। जिसका विरोध चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अंडमान में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नौकरी दी जाए जो अंडमान निकोबार के हैं। अखिरी में मेरी मांग है कि इस पर 10वीं आईडीए मीटिंग, जो जनवरी 2003 में हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपयी जी ने यह पास किया था कि ग्रुप डी और सी पोस्ट के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही भर्ती हो और उसके लिए स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए। दस साल बीत गए हैं और

यूपीए सरकार सोई हुई है। यूपीए सरकार साजिश कर के बाहर से लोगों को अंडमान में भर्ती कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आखिर में दो जीडीएमओ (डेंटल) भर्ती की ग ई है, उसको कैंसल कर के अंडमान निकोबार के डॉक्टरों को नौकरी दी जाए। मेरी उपराज्यपाल महोदय, से यह प्रार्थना है और स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी तुरंत बनाई जाए।

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब): सर, मुझे यहां से बोलने की इजाज़त दी जाए। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से पंजाब में दलितों, लड़कियों और अब कांग्रेसी विधायकों पर हो रहे सरकारी अत्याचार पर संसद का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपने सभी नैशनल मीडिया पर देखा होगा कि चार मार्च को तरनतारण में एक दलित परिवार की लड़की, उसके पिता और भाई के साथ पुलिस वालों ने क्या व्यवहार किया था। जब वह अपनी छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास गई तो उसको पीटा गया। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उसे जलियावालां बाग के अत्याचार के बराबर बताया है। जब वह परिवार अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा चुका है तो अब पंजाब सरकार और पुलिस रोज़ उसके पिता और भाई के ऊपर यह ज़ोर डाल रही है कि वे अपनी एफआईआर वापस लें। अभी पंजाब में विधान सभा चल रही है। उस लड़की ने हमारे सीएलपी लीडर सुनील जाखड़ जी और हमारे विधायकों से अपनी गुहार लगाई कि मुझे सी.एम. साहब या स्पीकर से मिलाया जाए। तब वे उसे विधान सभा ले गए। वहां पर सीएलपी के दफ्तर में और ऑपोज़िशन लीडर के दफ्तर में बैठे हुए डेढ़ सौ पुलिस वाले विधान सभा में उसको उठाने आ गए। जब विधायकों ने उसे बचाने की कोशिश की तो नौ विधायकों को सस्पैंड कर दिया गया और छह विधायकों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर साहब वहां पर इंटरवीन ज़रूर करें नहीं तो पंजाब के हालात बहुत ही बद्तर हो चुके हैं। मेरी यही गुज़ारिश है।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 18th March, 2013 at 11 a.m.

18.45 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 18, 2013/Phalguna 27, 1934 (Saka).